

68वीं वार्षिक रिपोर्ट 68th Annual Report 2023-2024



दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)
CIN : U74899DL1961GOI003439

68वीं वार्षिक रिपोर्ट 68th Annual Report 2023-24

अनुक्रमणिका CONTENTS

1.	निदेशक मंडल, प्रधान कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-इकाइयां,इकाइयां/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय, लेखा परीक्षक, बैंकर और कानूनी सलाहकार। Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers.	2-5
2.	सूचना /Notice	6-7
3.	अध्यक्ष का भाषण / Chairman's Speech	8-10
4.	निदेशकों की रिपोर्ट / Directors' Report	11-27
5.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report	28-88
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां Comments of the Comptroller and Auditors General of India & Management Reply	89-99
7.	वित्तीय स्थिति विवरण / Balance Sheet	100-102
8.	लाभ-हानि लेखा / Profit & Loss Account	103-105
9.	टिप्पणी 1 से 24 / Note 1 to 24	106-143
10.	लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरण का भाग हैं। / Accounting Policies & Notes to Accounts Forming Part of Financial Statement	144-185
11.	नकद प्रवाह विवरण /Cash Flow Statement	186-189

निदेशक मंडल

श्रीमती अनीता सी मेश्राम,

अतिरिक्त सचिव,
उर्वरक विभाग,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
(08.11.2024 से)

श्रीमती नीरजा अदिदम,

विशेष सचिव,
उर्वरक विभाग,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
(20.01.2022 से 09.09.2024 तक)

श्री नरेश आर्य,

निदेशक (एफआईसीसी),
उर्वरक विभाग,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
(30.04.2024 से)

श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटिल

निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
(26.09.2022 से 03.04.2024 तक)

श्री मोहन लाल मीना,

उप सचिव,
उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सरकारी नामिती
निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
(01.11.2024 से)

BOARD OF DIRECTORS

Smt. Aneeta C Meshram

Additional Secretary,
Department of Fertilizers
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairperson & Managing
Director
(w.e.f 08.11.2024)

Smt. Neeraja Adidam

Special Secretary,
Department of Fertilizers
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairperson & Managing
Director
(w.e.f 20.01.2022 to 09.09.2024)

Shri Naresh Arya

Director (FICC),
Department of Fertilizers
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director(Finance)
(w.e.f 30.04.2024)

Shri Padamsing Pradipsing Patil

Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(w.e.f. 26.09.2022 to 03.04.2024)

Shri Mohan Lal Meena

Deputy Secretary,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Govt. Nominee Director
(w.e.f 01.11.2024)

श्रीजोहन टोपनो,
निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
(20.04.2020 से 30.09.2024 तक)

Shri Johan Topno,
Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
w.e.f. 20.04.2020 to 30.09.2024)

श्रीएच.चिंजसन
संयुक्त निदेशक (एफआईसीसी),
उर्वरक विभाग,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
सरकारी नामित निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
(01.11.2024 से)

Shri H. Chinzason
Joint Director (FICC),
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Govt. Nominee Director
(w.e.f 01.11.2024)

श्रीमतीगीता मिश्रा,
संयुक्त निदेशक (एफआईसीसी),
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
सरकार के नामित निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
29.09.2021 से 31.08.2024 तक)

Smt. Geeta Mishra
Joint Director (FICC)
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Govt. Nominee Director
w.e.f 29.09.2021 to 31.08.2024)

प्रधान कार्यकारी अधिकारी

PRINCIPAL EXECUTIVES

श्री अनिल फुलवारी,
निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मुख्य सतर्कता
अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार
(28.11.2023 से)

Shri Anil Phulwari
Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f 28.11.2023)

श्रीएस.एस.शेखावत,
विशेष कार्य अधिकारी

Shri S.S. Shekhawat
Officer on Special Duty

श्रीमतीसिओन कोंगारी
सलाहकार

Smt. Sion Kongari
Advisor

श्रीमतीमोनिका आहुजा,
कंपनी सचिव
(16.08.2024 से)

Smt. Monika Ahuja
Company Secretary
(w.e.f. 16.08.2024)

श्रीमती रितु भाटिया,
कंपनी सचिव
(19.09.2022 से 15.01.2024 तक)

Smt. Ritu Bhatia
Company Secretary
w.e.f. 19.09.2022 to 15.01.2024)

मुख्य कार्यपालक-इकाइयां

CHIEF EXECUTIVES-UNITS

श्री वी. के. चौधरी
प्रभारी, सिंदरी इकाई

Shri V.K. Choudhary
Incharge, Sindri Unit

श्री घनश्याम लाल श्रीवास्तव,
प्रभारी, गोरखपुर इकाई

Shri Ghanshyam Lal Srivastava
Incharge, Gorakhpur Unit

श्रीमती एम. एन. मालेश्वरी
प्रभारी, रामगुंडम यूनिट

Smt. M.N. Maleshwari
Incharge, Ramagundam Unit

श्री इरफान अहमद,
प्रभारी, तलचर इकाई

Shri Irfan Ahmad
Incharge, Talchar Unit

श्री आर. एल. देशभ्रतार
प्रभारी, कोरबा प्रभाग

Shri R.L. Deshbhratar
Incharge, Korba Division

इकाइयाँ/प्रभाग/कार्यालय

UNITS / DIVISION / OFFICE

सिंदरी इकाई – झारखंड
गोरखपुर इकाई – उत्तर प्रदेश
रामगुंडम इकाई – तेलंगाना
तलचर इकाई – ओडिशा
कोरबा प्रभाग – छत्तीसगढ़
केंद्रीय कार्यालय – नोएडा (यूपी)

Sindri Unit	- Jharkhand
Gorakhpur Unit	- Uttar Pradesh
Ranagundam Unit	- Telangana
Talcher Unit	- Odisha
Korba Division	- Chhatisgarh
Central Office	- Noida (U.P)

पंजीकृत कार्यालय

REGISTERED OFFICE

7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर- III, लोदी रोड,
दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110003.

7, Institutional Area, SCOPE Complex, Core-III,
Lodhi Road, South Delhi, New Delhi-110003.

केंद्रीय कार्यालय

पीडीआईएल भवन (5 वीं मंजिल), ए-14,
सेक्टर-1, नोएडा
जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश- 201301.

लेखा परीक्षक

मैसर्स एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली.

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
केनरा बैंक

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फॉक्स एंड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता
मैसर्स जी जोशी एंड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स हम्मुराबी एंड सोलोमन, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor), A-14,
Sector-1, NOIDA
Distt Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh- 201301.

AUDITORS

M/s M. Verma & Associates
Chartered Accountants, New Delhi.

BANKERS

State Bank of India
Union Bank of India
Canara Bank

LEGAL ADVISERS

M/s Fox & Mandal, Advocates, Kolkata.
M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New
Delhi
M/s. Hammurabi & Solomon, Advocates, New
Delhi

सूचना

एतद्वारा संक्षिप्त सूचना दी जाती है कि दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 68वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 25 नवंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:-

68वीं वार्षिक आम बैठक का साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर (सी एंड एजी) की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।
निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या उसके बिना पारित करने पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों के साथ एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाए।

2. **कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण।**

निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या उसके बिना पारित करने पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के

NOTICE

SHORTER NOTICE is hereby given that the **68th Annual General Meeting** of the Members of Fertilizer Corporation of India Limited will be held on **Monday, the 25th November, 2024** at **12:30 P.M.** in the Conference Room, 2nd Floor, 'A' Wing, Department of Fertilizers, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001 to transact the following business :-

ORDINARY BUSINESS OF 68TH AGM

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements, together with Board's Report, Auditors' Report and C&AG's Report thereon for the financial year ended on 31st March, 2024.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution :-

"RESOLVED THAT the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2024, together with Board's Report, Auditors' Report, and the Comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) thereon be and are hereby **approved and adopted."**

2. **Fixation of Remuneration of Statutory Auditors' of the Company.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution :-

"RESOLVED THAT pursuant to Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, Fixation of remuneration of the Statutory Auditors' appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2024-25, to be

पारिश्रमिक का निर्धारण, बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा,
और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
निदेशक मंडल के आदेश से फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ
इंडिया लिमिटेड के लिए

ह0/-
(सीएस मोनिका आहुजा)
कंपनी सचिव
एम नं0: एसीएस 56411

दिनांक: 19.11.2024
स्थान: नोएडा

टिप्पणी: बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार
शेयरधारक, खुद के बजाय भाग लेने और मतदान करने के लिए
प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है। प्रॉक्सी को कंपनी का
शेयरधारक/सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा में,
एफसीआईएल के सभी शेयरधारक।
एफसीआईएल के सभी बोर्ड सदस्य।

प्रति:

1. मैसर्स एम वर्मा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
2. अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति।

decided by the Board, be and is hereby
approved.”

By Order of the Board of Directors
For Fertilizers Corporation of India Limited

Sd/-
(CS Monika Ahuja)
Company Secretary
M.No: ACS 56411

Date: 19.11.2024
Place: Noida

NOTE : A Shareholder entitled to attend and
vote at the meeting, is entitled to appoint proxy
to attend and vote instead of himself. A proxy
need not be a Shareholder/Member of the
Company.

To,
All Shareholders of FCIL
All Board Members of FCIL

Copy to :

1. M/s. M Verma & Associates, Chartered
Accountant.
2. Chairman, Audit Committee.

एफसीआईएल की 68वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों, देवियों और सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से, मैं आज आयोजित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक में सभी शेयरधारकों का स्वागत करती हूँ।

प्रारंभ में, यह सूचित किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ समझ लेती हूँ।

वित्तीय प्रदर्शन

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 50.90 करोड़ रुपये का पीबीटी और 37.85 करोड़ रुपये का पीएटी अर्जित किया है। कंपनी की कुल संपत्ति 750.03 करोड़ रुपये है। कंपनी को होने वाली आय मुख्यतः एफडीआर से ब्याज, एफसीआईएल रेल लाइन का उपयोग करने के लिए एसीसी से लाइसेंस शुल्क और पट्टे पर दिए गए आवासों से किराया आदि के कारण होती है।

लाभांश:

हालांकि कंपनी ने रु. 37.85 करोड़ का पीएटी अर्जित किया है, लेकिन कंपनी का संचयी घाटा रु. 13.89 करोड़ है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कि कोई भी कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं करती है जब तक कि पिछले नुकसान और पिछले वर्षों में प्रदान नहीं किए गए मूल्यहास को चालू वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जाता है, कंपनी के बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के दौरान लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है।

Chairman's speech at the 68th Annual General Meeting (AGM) of FCIL

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Board of Directors, I welcome all the Shareholders to the 68th Annual General Meeting of your Company for the Financial Year 2023-24 being held today.

At the outset, it is informed that the Directors' Report and Audited Annual Accounts for the year ended 31st March, 2024, together with Statutory Auditors' Report and comments of C&AG thereon have already been circulated. With your permission, I take them as read.

Financial Performance:

I am pleased to inform you that during the financial year 2023-24, your Company has earned **PBT of Rs.50.90 crore** and PAT of Rs 37.85 crore. **The net worth of the Company is Rs.750.03 crore.** The income to the Company is mainly on account of interest from FDRs, license fee from ACC for using the FCIL Rail Line and rentals from leased accommodations etc.

Dividend:

Although the Company has earned PAT of Rs.37.85crore, the cumulative loss of the Company stands at Rs.13.89crore. In view of the provisions of Companies Act, that no company declares dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in previous years are set off against profit of the company for the current year, the Board of the company has decided not to declare dividend during the year 2023-24.

भविष्य का दृष्टिकोण:

भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, कोरबा को छोड़कर एफसीआईएल के सभी संयंत्रों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- ◆ **रामागुंडम इकाई** को आरएफसीएल द्वारा पुनर्जीवित किया गया है और वाणिज्यिक उत्पादन 22.03.2021 से शुरू हो गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, आरएफसीएल ने 11,15,896 मीट्रिक टन यूरिया और 6,37,765 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के 14.43 करोड़ रुपये की तुलना में 44.10 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ और पिछले वर्ष के 8.60 करोड़ रुपये की तुलना में 32.81 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया।
- ◆ **गोरखपुर परियोजना** चालू हो गई है और वाणिज्यिक उत्पादन 03.05.2022 को शुरू हो गया है। परियोजना 90% लोड पर चल रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान, गोरखपुर ने 13,50,128 मीट्रिक टन यूरिया और 7,67,590 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने समग्र रूप से रु. 1,797.80 करोड़ का पीबीटी और रु. 1,324.66 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया।
- ◆ **सिंदरी परियोजना** चालू हो गई है और सिंदरी में वाणिज्यिक उत्पादन 15.4.2023 को शुरू हो गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, सिंदरी ने 11,43,767 मीट्रिक टन यूरिया और 6,59,610 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया है।
- ◆ **तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मैसर्स टीएफएल)** ने एलएसटीके और गैर-एलएसटीके दोनों ठेकों सहित 90% पैकेज प्रदान किए हैं। सिविल गतिविधियों के साथ निर्माण गतिविधियां पूरे जोरों पर हैं। प्रोजेक्ट का काम अब आगे बढ़ रहा है। परियोजना-पूर्व कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं।

Future Outlook:

Consequent upon the decision of GoI, all the plants of FCIL are being revived except Korba. The present status is as under:

- ◆ **Ramagundum Unit** has been revived by RFCL and commercial production started w.e.f. 22.03.2021. During the year 2023-24, RFCL has produced 11,15,896 MT of Urea and 6,37,765 MT of Ammonia. During the year, the Company earned PBT of Rs.44.10 Crore as against Rs. 14.43 Crore in previous year and PAT of Rs. 32.81 Crore as against Rs. 8.60 Crore in previous year.
- ◆ **Gorakhpur Project** has been commissioned and commercial production started on 03.05.2022. The project is running at 90% load. During the year 2023-24, Gorakhpur has produced 13,50,128 MT of Urea and 7,67,590 MT of Ammonia. During the year, the Company as a whole earned PBT of Rs. 1,797.80 crore and PAT of Rs. 1,324.66 Crore.
- ◆ **Sindri Project** has been commissioned and Commercial Production at Sindri has started on 15.4.2023. During the year 2023-24, Sindri has produced 11,43,767 MT of Urea and 6,59,610 MT of Ammonia.
- ◆ **Talcher Fertilizers Limited (M/s.TFL)** have awarded 90% packages, including both LSTK and NON-LSTK Contracts. Construction activities are in full swing with Civil Activities. The job of project is now going ahead. Pre-Project activities have been completed.

एफसीआईएल एचयूआरएल और आरएफसीएल में 11% इक्विटी और टीएफएल में 4.45% इक्विटी के साथ इन जेवी के लिए एक भागीदार है। प्रत्येक संयंत्र प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। जबकि एचयूआरएल और आरएफसीएल परियोजनाएं गैस आधारित हैं, टीएफएल परियोजना कोयला आधारित परियोजना है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

समाज के प्रति अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए, एफसीआईएल ने वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में सीएसआर फंड के तहत **48.09 लाख रुपये** और वर्ष 2022-2023 में **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 33.76 लाख रुपये** का योगदान दिया था।

पावती:

अंत में, मैं सभी बोर्ड सदस्यों, हमारे हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन और एफसीआईएल में विश्वास के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं इस अवसर पर उर्वरक विभाग को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने पूरे दिल से और निरंतर समर्थन दिया है।

मैं भारत सरकार, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) और सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त पूरे दिल से समर्थन के लिए भी आभारी हूँ। इसके अलावा ईमानदारी से कंपनी के सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा उनकी प्रतिबद्धता और कंपनी के लिए कड़ी मेहनत के लिए किए गए अच्छे काम के लिए भी सराहना करती हूँ।

हस्ताक्षर/-
(अनीता सी मेश्राम)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डिन-09781436)

FCIL is a partner to these JVs with having 11% equity in HURL and RFCL and 4.45% in TFL. Each plant will produce 12.7 lakh MT per annum of Urea. Whereas, HURL and RFCL projects are gas based the TFL project is a coal based project.

Corporate Social Responsibility(CSR)

Considering its obligation towards society, FCIL had made contribution of **Rs 48.09 lakhs** under CSR Fund in **Prime Ministers' National Relief Fund** in the year 2023-24 and Rs 33.76 lakhs in Prime Ministers' National Relief Fund in the year 2022-2023.

Acknowledgement:

Finally, I would like to convey my sincere gratitude to all Board Members, our stakeholders for their constant support and trust in FCIL. I take this opportunity to express my sincere thanks to the Department of Fertilizers, who have given whole hearted and continuous support.

I am also thankful for the whole-hearted support received from the Government of India, other Ministries and Departments of Government of India, Banks, Comptroller & Auditor General of India (C&AG) and Statutory Auditors. Also sincerely place my appreciation for the good work done by all the employees at all levels of the Company for their commitment and hard work for the Company.

Sd/-
(Aneeta C Meshram)
Chairperson & Managing Director
DIN: 09781436

DIRECTORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन के उत्तर, निदेशक की रिपोर्ट और उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की 68वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

वित्तीय परिणाम

कंपनी ने 2023-2024 में 37.85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि 2022-2023 के दौरान 46.82 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

3.0 वित्तीय संसाधन

3.1 शेयर पूंजी

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सब्सक्राइड पूंजी और चुकता पूंजी 750.92 करोड़ रुपये है जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बराबर है।

3.2 भारत सरकार के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

भारत सरकार ऋण पर कोई बकाया ऋण या ब्याज नहीं है।

4. लाभांश

कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम 2014 3 (5) के अनुसार, कोई भी कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं करेगी जब तक कि पिछले घाटे और मूल्यहास को पिछले वर्ष या वर्षों में प्रदान नहीं किया जाता है, चालू वर्ष की कंपनी के लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है। इसलिए, निदेशक मंडल ने 13.89 करोड़ रुपये के पिछले घाटे को पहले से आगे ले जाने के मद्देनजर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

DIRECTORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS

Dear Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 68th Annual Report of the Company together with the Audited Accounts for the Financial Year ended on 31st March, 2024 and the Report of the Statutory Auditors, Management's reply, Director's Report and the C&AG's comments thereon.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company earned a net Profit of Rs. 37.85 crore in 2023-2024 as against a net profit of Rs.46.82 crore during 2022-2023.

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs.750.92 crore during FY 2023-24 which is at par with the last financial year 2022-23.

3.2 GOI LOAN & INTEREST ON GOI LOAN

There is no outstanding GoI Loan or Interest on GoI Loan.

4.0 DIVIDEND

As per Companies (Declaration & Payment of Dividend) Rules 2014 3(5), NO Company shall declare dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in previous year or years are set off against profit of the Company of the current year. Hence, the Board of Directors have not recommended any Dividend in view of earlier carried over previous losses of Rs. 13.89 Crores.

5. राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

कंपनी ने वर्ष 2023 - 24 के दौरान केंद्र और राज्य के राजकोष में जीएसटी, आयकर, बिजली शुल्क के रूप में 23.80 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

6. उत्पादन प्रदर्शन

वर्ष 2002 में कंपनी को बंद करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ था। तथापि, सिंदरी, गोरखपुर और रामागुंडम में संयुक्त उद्यम कंपनियां, जहां एफसीआईएल 11% हिस्सेदारी के लिए इक्विटी भागीदार है, यूरिया का उत्पादन कर रही हैं।

7. एककों की स्थिति

वर्ष 2002-03 (वित्त वर्ष) में सभी इकाइयों को बंद करने के सरकार के आदेशों के अनुसरण में, किसी भी इकाई में उत्पादन नहीं हुआ है और (कार्यकलाप) सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देनदारी के निपटान तक सीमित हैं। हालांकि, एफसीआईएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के संबंध में सीसीईए/मंत्रिमंडल के निर्णय के परिणामस्वरूप, रामागुंडम इकाई का पुनरुद्धार मैसर्स रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल), ई.आई.एल, एन.एफ.एल और एफ.सी.आई.एल के संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया है। गोरखपुर और सिंदरी को मैसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल), जो की एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल का एक संयुक्त उद्यम द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। तलचर इकाई का पुनरुद्धार सीआईएल, आरसीएफ, गेल और एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम मैसर्स तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा किया जा रहा है, जो निर्माण चरण में है।

5.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs.23.80 crore by way of GST, Income tax, Electricity duty to the Central and State exchequers during the year 2023 - 24.

6.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year due to the decision of the GoI for closure of the company in the year 2002. However, Joint venture companies, where FCIL is an equity partner for 11% stake, at Sindri, Gorakhpur & Ramagundam are producing Urea.

7.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Government's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activities are restricted to security arrangements and settlement of dues of employees. However, consequent to the decision of CCEA/ Cabinet regarding revival of closed units of FCIL, Ramagundam Unit has been revived by M/s. Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL), a Joint Venture of EIL, NFL & FCIL. Gorakhpur & Sindri has been revived by M/s. Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL), a Joint Venture of NTPC, CIL, IOCL, FCIL & HFCL. Talcher Unit being revived by M/s Talcher Fertilizers Limited (TFL), a Joint Venture of CIL, RCF, GAIL & FCIL, is at construction stage.

8.0 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में तीन बोर्ड निदेशकों वाली एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की एक बैठक 27.06.2023 को आयोजित की गई थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एफसीआईएल ने सीएसआर दायित्वों के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ₹ 48.09 लाख का योगदान दिया।

9.0 विपणन संचालन

कंपनी की सभी उर्वरक इकाइयों को बंद करने और उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची स्थित विपणन कार्यालय बंद कर दिए गए थे और इन कार्यालयों की परिसंपत्तियों का निपटारा कर दिया गया था/अन्य कार्यालयों/इकाइयों को भेज दिया गया था। इसलिए, कंपनी में कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

10.0 कंपनी का पुनरुद्धार

- बाद में, देश में यूरिया की मांग-आपूर्ति के अंतर को ध्यान में रखते हुए और एफसीआईएल की बंद उर्वरक इकाइयों में उपलब्ध परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए, अप्रैल 2007 में भारत सरकार ने इन इकाइयों के पुनरुद्धार पर विचार करने का निर्णय लिया।
- अक्टूबर, 2008 में, सीसीईए ने सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया जो इन इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की जांच करेगी और सरकारी वित्तपोषण का सहारा लिए बिना तथा गैस की उपलब्धता के अध्यधीन पुनरुद्धार के लिए एक योजना की सिफारिश करेगी।

8.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

In compliance to Section 135(1) of the Companies Act, 2013, a CSR Committee has been constituted with three Board Directors. During the year, One Meeting of Board-level . CSR Committee was held on 27.06.2023.

During the year under review, FCIL had made a contribution of Rs. 48.09 lakhs towards Prime Minister's National Relief Fund as CSR obligations.

9.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi were closed and assets of these offices were disposed/ sent to other offices/ units. Hence, there is no marketing activity.

10. REVIVAL OF THE COMPANY

- Subsequently, considering the demand-supply gap of urea in the country and to leverage the assets & infrastructure available in the closed fertilizer Units of FCIL, GoI, in April 2007, took a decision to consider revival of these Units.
- In October 2008, CCEA constituted an Empowered Committee of Secretaries (ECoS) to examine the viability of revival of these Units and recommend a Scheme for revival, without recourse to Government funding and subject to the availability of gas.

3. सीसीईए ने ईसीओएस की सिफारिशों पर दिनांक 04.08.2011 को एक मसौदा पुनर्वासि योजना अनुमोदित की थी ताकि अलग-अलग इकाइयों का या तो भारत सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अथवा बोली प्रक्रिया के माध्यम से पुनरुद्धार किया जा सके। सीसीईए ने यह भी अनुमोदन किया कि सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार करने वाले संयुक्त उद्यम परियोजना में न्यूनतम 11% इक्विटी और बोर्ड सीट एफसीआईएल को प्रदान करेंगे।
4. इसके अलावा, सीसीईए ने दिनांक 09.5.2013 को एफसीआईएल के निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए भारत सरकार के ऋण (2739.27 करोड़ रुपये) और ब्याज (7904.47 करोड़ रुपये) को माफ करने का अनुमोदन किया है ताकि एफसीआईएल पुनरुद्धार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बीआईएफआर से पंजीकरण रद्द करा सके। कंपनी को दिनांक 27.06.2013 को बीआईएफआर से अपंजीकृत कर दिया गया था।
5. वर्तमान में, भारत सरकार के अनुमोदन से, एफसीआईएल की इकाइयों का पुनरुद्धार निम्नानुसार किया जा रहा है।
3. CCEA approved a Draft Rehabilitation Scheme on 4.8.2011 on the recommendations of ECoS for revival of the individual Units either by GoI nominated PSUs or through bidding route. CCEA further approved that the reviving JVs of Government nominated PSUs would offer a minimum of 11% equity and a Board seat in the Project to FCIL.
4. Further, CCEA on 9.5.2013 approved waiver of GoI loan (Rs.2739.27 crore) & interest (Rs.7904.47 crore) of FCIL as on 31.3.2012 to make its net worth positive to enable FCIL to get de-registered from BIFR to speed up the revival process. The Company was de-registered from BIFR on 27.6.2013.
5. At present, with the approval of GoI, the revival of the Units of FCIL is being carried out as under:

11.0 पुनरुद्धार की वर्तमान स्थिति रामागुंडम इकाई:

- एनएफएल, ईआईएल और एफसीआईएल की भागीदारी के साथ 17.2.2015 को 'रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड' (आरएफसीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई है। एफसीआईएल को यूनिट की अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 11% इक्विटी प्राप्त होगी।

11.0 Present Status of revival Ramagundam Unit:

- A Joint Venture Company, namely 'Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited' (RFCL) has been incorporated on 17.2.2015 with the participation of NFL, EIL & FCIL. FCIL to get 11% equity for providing the infrastructure of the Unit.

- निदेशक (वित्त), एफसीआईएल, आरएफसीएल के बोर्ड में एफसीआईएल नामित निदेशक हैं।
- परियोजना की शून्य तारीख 25.09.2015 थी।
- एफसीआईएल और आरएफसीएल के बीच रियायत समझौते और पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आरएफसीएल, आरएफसीएल (और एफसीआईएल) के ऋणदाताओं के बीच प्रतिस्थापन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- आरएफसीएल ने 22.3.2021 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, आरएफसीएल ने पिछले वर्ष क्रमशः 8,40,436 मीट्रिक टन यूरिया और 5,00,196 की तुलना में 11,15,896 मीट्रिक टन यूरिया और 6,37,765 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के 14.43 करोड़ रुपये की तुलना में 44.10 करोड़ रुपये का पीबीटी और पिछले वर्ष के 8.60 करोड़ रुपये के मुकाबले 32.81 करोड़ रुपये का कर लाभ अर्जित किया।
- Director (Finance), FCIL, is the FCIL nominated Director on the Board of RFCL.
- Zero date of the project was 25.9.2015.
- Concession Agreement & Lease Agreement have been signed between FCIL & RFCL. Substitution Agreement has been signed amongst RFCL, Lenders' representative of RFCL and FCIL
- RFCL has started commercial production w.e.f. 22.3.2021.
- During the year 2023-24, RFCL has produced 11,15,896 MT of Urea and 6,37,765 MT of Ammonia as against 8,40,436 MT & 5,00,196 MT of Urea & Ammonia respectively in previous year. During the year, the Company earned PBT of Rs. 44.10 crore as against Rs. 14.43 Crore in previous year and PAT of Rs. 32.81 Crore as against Rs. 8.60 Crore in previous year.

तालचर इकाई:

- आर.सी.एफ, सी.आई.एल, गेल और एफ.सी.आई.एल की भागीदारी से 'तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' (टी.एफ.एल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया गया है।
- एफ.सी.आई.एल को यूनिट की अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 4.45% इक्विटी प्राप्त होगी।
- निदेशक (वित्त), एफसीआईएल टीएफएल के बोर्ड में नामित निदेशक हैं।

Talcher Unit:

- A Joint Venture Company, namely, 'Talcher Fertilizers Limited' (TFL) has been incorporated with the participation of RCF, CIL, GAIL & FCIL.
- FCIL to get 4.45% equity for providing the infrastructure of the Unit.
- Director (Finance), FCIL is the nominated Director on the Board of TFL.

- सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) द्वारा अनुमोदित क्रमशः 29.01.2021 और 14.07.2022 को एफ.सी.आई.एल और टी.एफ.एल के बीच रियायत समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रियायत समझौते के परिशिष्ट पर भी 03.04.2024 को हस्ताक्षर किए गए। FCIL और TFL के बीच लीज डीड पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी हैं।
- सिविल गतिविधियों के साथ निर्माण गतिविधियां पूरे जोरों पर हैं। प्रोजेक्ट का काम अब आगे बढ़ रहा है।
- परियोजना-पूर्व के कार्यकलाप जैसे जल प्रणाली का निर्माण, विद्युत का निर्माण और स्थल सक्षम बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल) के साथ कोयला लिंकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- Concession Agreement and Substitution Agreement has been signed between FCIL and TFL, on 29.01.2021 and 14.07.2022 respectively, approved by the Empowered Committee of Secretaries (ECoS). Addendum to Concession Agreement also signed on 03.04.2024. The Lease Deed is yet to be signed between FCIL & TFL.
- Construction activities are in full swing with Civil Activities. The job of project is now going ahead.
- Pre-Project activities like Construction of water system, construction of Power and site enabling work have been completed.
- The Coal linkage have been finalized with M/s Mahanadi Coalfields Limited (MCL).

सिंदरी और गोरखपुर इकाइयाँ:

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13.07.2016 को एफसीआईएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों को एचएफसीएल की बरौनी इकाई के साथ नामित पीएसयू नामतः एनटीपीसी, सीआईएल और आईओसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया। एफसीआईएल और एचएफसीएल भी संयुक्त उद्यम भागीदार होंगे, जिन्हें भूमि उपयोग, उपयोग योग्य संपत्ति और अवसर लागत के बदले प्रत्येक परियोजना में 10.99% इक्विटी प्राप्त होगी।
- मंत्रिमंडल ने पुनरुद्धार प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया। इकाइयों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से 'हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)' के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया गया है।
- सिंदरी और गोरखपुर परियोजनाओं के लिए एफसीआईएल और एचयूआरएल के बीच रियायत समझौतों के साथ-साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों के लिए एफसीआईएल, एचयूआरएल और ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों के बीच प्रतिस्थापन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
- गोरखपुर परियोजना को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7.12.2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। संयंत्र ने 3.5.2022 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि सिंदरी वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 15.4.2023 को शुरू हो गया है।
- गोरखपुर और सिंदरी के लिए एचयूआरएल का उत्पादन निम्नानुसार है:

Sindri & Gorakhpur Units:

- Union Cabinet decided on 13.7.2016 to revive Sindri & Gorakhpur Units of FCIL, along with Barauni Unit of HFCL by a Joint Venture Company of nominated PSUs, namely, NTPC, CIL & IOCL. FCIL & HFCL would also be Joint Venture partners, who would receive 10.99% equity in each of the projects in lieu of land use, usable assets & opportunity cost.
- Cabinet also constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) to oversee the revival process. A Joint Venture company in the name of 'Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL)' has been incorporated for the purpose of revival of the units.
- Concession Agreements as well as Lease Deeds have been signed between FCIL & HURL for Sindri & Gorakhpur Projects. Substitution Agreements for Gorakhpur & Sindri Units have also been signed amongst FCIL, HURL & Lenders' Representative.
- Gorakhpur Project was dedicated to the Nation by the Hon'ble Prime Minister of India on 7.12.2021. The Plant has started commercial production w.e.f. 3.5.2022, whereas Sindri commercial production has started on 15.4.2023.
- The production of HURL for Gorakhpur & Sindri are as under:

Production उत्पादन	Gorakhpur गोरखपुर		Sindri सिंदरी	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Ammonia अमोनिया	7,67,590	5,00,307	6,59,610	1,13,000
Urea यूरिया	13,50,128	8,66,000	11,43,767	1,74,000

- वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष क्रमशः (-) 92.86 करोड़ रुपये और (-) 60.94 करोड़ रुपये की तुलना में 1,797.80 करोड़ रुपये का पीबीटी और 1,324.66 करोड़ रुपये का कर लाभ अर्जित किया।
- During the year, the Company earned PBT of Rs.1,797.80 crore and PAT of Rs.1,324.66 Crore, as against Rs. (-) 92.86 crore & Rs. (-) 60.94 crore respectively last year

12.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2023-2024 के लिए इसकी गतिविधियां और उपलब्धियां

सतर्कता विभाग को प्रबंधन कार्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। श्री अनुराग रोहतगी, निदेशक, उर्वरक विभाग, 23.02.2023 तक एफसीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इसके बाद, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.11.2023 के तहत श्री अनिल फुलवारी, निदेशक डीओएफ ने 28.11.2023 से एफसीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। सीवीओ कंपनी के रोल पर उपलब्ध अल्प कर्मचारियों के साथ कंपनी के सतर्कता प्रयासों पर दिशा, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रदान कर रहे हैं। विभाग सामान्य प्रशासन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने और विभिन्न निवारक उपायों के माध्यम से और सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाकर एफसीआईएल में दक्षता बढ़ाने में सहायता करता है।

12.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2023-24.

The Vigilance Department is considered to be an integral part of the Management function. Sh. Anurag Rohatgi, Director, Department of Fertilizers, was holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL upto 23.02.2023. Thereafter, vide order dated 24.11.2023 issued by administrative Ministry Shri Anil Phulwari, Director DoF assumed the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL w.e.f 28.11.2023. CVO's are providing direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with meager staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

12.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोक प्राधिकरणों से संबंधित सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर कार्रवाई करने का अधिदेश देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत निर्देशों का पालन करने के लिए सभी प्रयास करती है।

एफसीआईएल ने अधिनियम के तहत नागरिकों के अनुरोध पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए एक जन सूचना अधिकारी की विधिवत नियुक्ति की है। इस प्रकार, आरटीआई अधिनियम, 2005 का समय पर अनुपालन होता है।

13.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग

कंपनी वार्षिक कार्यक्रमों और निर्देशों और हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के संबंध में सरकार द्वारा जारी अन्य सभी निर्देशों का अनुपालन करती है। साथ ही दिन-प्रतिदिन के कार्यालय कार्यों में हिंदी का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

14.0 जोखिम के तत्व की पहचान सहित कंपनी के लिए

जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, कंपनी के पुनरुद्धार कार्यकलाप चल रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, जोखिम के तत्व, जिससे कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है, की पहचान सहित जोखिम प्रबंधन नीति अभी तक तैयार नहीं की गई है।

12.1 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Right to Information Act, 2005 mandates timely response to citizen's request for information relating to Public Authorities. Under the RTI Act, 2005, the Company makes all out efforts to follow the directives under the Act.

FCIL has duly appointed a Public Information Officer to respond effectively to the request of citizens under the Act. Thus, there is a timely compliance of RTI Act, 2005.

13.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programs and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi. Also, efforts are being made to make use of Hindi in day to day official work.

14.0 STATEMENT INDICATING - DEVELOPMENT & IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY FOR THE COMPANY INCLUDING THE IDENTIFICATION THEREIN OF ELEMENT OF RISK, IF ANY WHICH IN THE OPINION OF THE BOARD MAY THREATEN THE EXISTENCE OF THE COMPANY.

As per the decision of GoI, the revival activities of the Company are going on. Keeping this in view, risk management policy including identification of element of risk, which may threaten the existence of the Company, has not been formulated so far.

15.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा, सहभागी प्रबंधन आदि।

31.3.2024 को कर्मचारियों की संख्या केवल 01 (एक) नियमित कर्मचारी है। कुछ पूर्व कर्मचारियों को पुनरुद्धार गतिविधियों के अलावा, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षा की देखभाल करने और वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अनुचर के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, कंपनी में 1987 के वेतनमान लागू हैं और 2017 वेतनमानों का प्रस्ताव डीओएफ के विचाराधीन है। सभी इकाइयों के बंद होने के कारण, खतरनाक और ज्वलनशील सामग्रियों से निपटने के दौरान सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का एक सीमित लागू सीमा तक पालन किया गया था।

16.0 कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को पूरे वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के किसी भी हिस्से में 8,50,000 रुपये प्रति माह (1,02,00,000 रुपये प्रति वर्ष) या उससे अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, यह कंपनी पर लागू नहीं होता है।

17.0 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का रोजगार

शारीरिक रूप से विकलांग सहित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखा गया था। तथापि, वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गई है।

15.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT etc.

The staff strength as on 31.3.2024 is only 01 (one) regular employee. Some ex-employees have been engaged as retainers to look after the safety & security of the properties of the Company and to discharge statutory obligations, apart from revival activities. Presently, the 1987 Pay Scales are applicable in the Company and the proposal for 2017 pay scales is under consideration of the DoF. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

16.0 DETAILS OF EMPLOYEES

In accordance with Section 197 of the Companies Act 2013 read with Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, no employee was in receipt of remuneration of Rs.8,50,000/- p.m. (Rs.1,02,00,000/- p.a.) or more throughout the financial year or part of the financial year. Therefore, it is not applicable to the Company.

17.0 EMPLOYMENT OF SCs/STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs /STs /Ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

18.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और आउटगो।

कंपनी के उत्पादन कार्यकलापों को बंद करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए कोई उपाय करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य था।

19.0 वैधानिक लेखा परीक्षक।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। मेसर्स एम. वर्मा और सहयोगी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

20.0 लागत अभिलेखों का रखरखाव

चूंकि सभी इकाइयों में उत्पादन गतिविधियां बंद हैं, लागत रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम -2014 के नियम -3 के प्रावधान हमारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

21.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणी।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो प्रबंधन के उत्तरों के साथ इसके साथ संलग्न है।

22.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा

सांविधिक लेखापरीक्षा के बाद, लेखाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत समीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किये गए। वर्ष 2023-24 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के उत्तरों के साथ संलग्न हैं।

18.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION & FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO.

In view of Government's decision for closure of the production activities of the Company, there was no scope to take up any measures for energy conservation, Technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was 'nil' during the year.

19.0 STATUTORY AUDITORS.

The Statutory Auditors of the company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s. M. Verma & Associates were appointed as Statutory Auditors for the financial year 2023-24.

20.0 MAINTENANCE OF COST RECORDS

As production activities at all the units are closed, the provisions of Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and Rule-3 of the Companies (Cost Records and Audit) Rules-2014 for maintaining cost records are not applicable to our Company.

21.0 MANAGEMENT COMMENTS ON STATUTORY AUDITORS REPORT.

The Statutory Auditors of the company have submitted the Audit Report on the accounts of the company for the financial year 2023-24, which is annexed herewith along with replies of Management.

22.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA.

After Statutory Audit, the Accounts were submitted to Comptroller and Auditor General of India for review under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013. Comments of C&AG for the year 2023-24 are annexed herewith along with replies of Management.

23.0 निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

23.1 निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के तहत आवश्यकता के अनुसरण में, यह पुष्टि की जाती है:

क. 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग. निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

घ. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए खाते "गोइंग कंसर्न" के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

23.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

23.1 Pursuant to the requirement under Section 134(5) of the Companies Act 2013 with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

A. That in the preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2024, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

B. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments & estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for the year under review.

C. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

D. The accounts for the financial year 2023-2024 have been prepared on "Going Concern" basis.

E. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

F. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

23.2 वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में, एमजीटी 7 में वार्षिक रिटर्न एफसीआईएल के वेबसाइट fertcorp.in पर उपलब्ध है।

23.2 ANNUAL RETURN FOR THE YEAR 2023-24

As required, pursuant to Sec.92(3) of the Companies Act 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rule 2014, Annual Return in MGT7 is available on the FCIL website : fertcorp.in

24.0 BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

Sl.NO क्रम संख्या	Particulars विवरण	From से	To तक
1.	Smt Neeraja Adidam, Chairman&Managing Director (DIN -09351163) श्रीमती नीरजा आदिदम , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डिन - 09351163)	20-01-2022	31.03.2024
2.	Shri Padamsing P. Patil, Director (Finance) (DIN - 09747446) श्री पदमसिंह पी. पाटिल, निदेशक (वित्त) (डिन - 09747446)	26-09-2022	31.03.2024
3.	Smt Geeta Mishra, Director (DIN -09354822) श्रीमती गीता मिश्रा , निदेशक (डिन - 09354822)	29-09-2021	31.03.2024
4.	Shri Johan Topno, Director (DIN - 08758583) श्री जोहान टोपनो, निदेशक (डिन - 09354822)	20-04-2020	31.03.2024

24.1 Four meetings of Board of Directors were held during the financial year 2023-24. The details of meetings attended by the Directors are given below:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं। निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

SI No क्रमसंख्या	Name नाम	Board Meetings Attended बोर्ड की बैठकों में भाग लिया
1	Smt Neeraja Adidam, Chairman and Managing Director (DIN-09351163) श्रीमती नीरजा आदिदम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डिन-09351163)	4
2	Shri Padamsing P Patil, Director(Finance) (DIN -09747446) श्री पदमसिंग पी पाटिल, निदेशक (वित्त) (डिन- 09747446)	4
3	Smt Geeta Mishra, Director(DIN-09354822) श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक (डिन-09354822)	4
4	Shri Johan Topno, Director (DIN - 08758583) श्री जोहान टोपनो, निदेशक (डिन-08758583)	3

24.2 वर्ष 2023- 24 के दौरान निदेशकों की संरचना में परिवर्तन।

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

24.2 CHANGES IN COMPOSITION OF DIRECTORS DURING THE YEAR 2023-24.

There is no change have taken place in the Board of Directors of Company during the year 2023-24.

24.3 वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशकों की संरचना में परिवर्तन।

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 की समाप्ति के बाद कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

24.3 CHANGES IN COMPOSITION OF DIRECTORS AFTER THE CLOSE OF THE YEAR.

The following changes have taken place in the Board of Directors of the Company after close of the financial year 31st March, 2024:

1. श्री नरेश आर्य (डीआईएन: 10627329), निदेशक (सीई) को डीओएफ आदेश संख्या 76/01/2006-एचआर-1 (ई.4224) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के संदर्भ में 30.04.2024 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जो श्री पदमसिंग पी. पाटिल (डीआईएन: 09747446), निदेशक (एफएस), डीओएफ 03.04.2024 से प्रभावी है।
2. श्रीमती अनीता सी मेश्राम (डीआईएन: 09781436), अपर सचिव, उर्वरक विभाग को दिनांक 08.11.2024 से डीओएफ आदेश संख्या 76/01/2005- एचआर-पीएसयू (ई. 27316) दिनांक 08.11.2024 के संदर्भ में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एफसीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है दिनांक 08.11.2024 वाइस श्रीमती नीरजा आदिदम (डीआईएन: 09351163), पूर्व विशेष सचिव डीओएफ 09.09.2024 से।
3. श्री एच. चिंजसन (डीआईएन: 10837006), संयुक्त निदेशक (एफआईसीसी), वित्त विभाग को डीओएफ आदेश संख्या 95/01/2019-एचआर-पीएसयू (भाग-2) (ई.-31042) दिनांक 01.11.2024 के अनुसार सरकारी नामित निदेशक, एफसीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
4. श्री मोहन लाल मीना (डीआईएन: 10838870), उप सचिव, डीओएफ को डीओएफ आदेश संख्या 95/01/2019-एचआर- पीएसयू (भाग- 2) (ई. 31042) दिनांक 01.11.2024 के अनुसार 01.11.2024 से सरकारी नामित निदेशक, एफसीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डीओएफ के निदेशक जोहान टोपनो 30.09.2024 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।
1. Shri Naresh Arya (DIN : 10627329), Director (CE), has been entrusted additional charge of Director (Finance) w.e.f 30.04.2024 in terms of DoF order No. 76/01/2006-HR-I(E.4224) dated April 30, 2024 vice Shri Padamsing P. Patil (DIN: 09747446), Director (FS), DoF w.e.f. 03.04.2024.
2. Smt. Aneeta C Meshram (DIN : 09781436), Additional Secretary, Department of Fertilizers, has been entrusted additional charge of Chairman & Managing Director (CMD), FCIL w.e.f 08.11.2024 in terms of DoF order No. 76/01/2005-HR-PSU (E. 27316) dated 08.11.2024 vice Smt. Neeraja Adidam (DIN: 09351163), Former Special Secretary DoF w.e.f. 09.09.2024.
3. Shri H.Chinzason (DIN:10837006), Joint Director (FICC), DoF, has been entrusted additional charge of Govt. Nominee Director, FCIL w.e.f 01.11.2024 in terms of DoF order No. 95/01/2019-HR-PSU (Part-2) (E.-31042) dated 01.11.2024 vice Smt. Geeta Mishra, Joint Director (FICC), DoF stands retired from Govt. service w.e.f 31.08.2024.
4. Shri Mohan Lal Meena (DIN:10838870), Deputy Secretary, DoF, has been entrusted additional charge of Govt. Nominee Director, FCIL w.e.f 01.11.2024 in terms of DoF order No. 95/01/2019-HR-PSU (Part-2) (E. 31042) dated 01.11.2024 vice Shri. Johan Topno, Director, DoF stands retired from Govt. service w.e.f 30.09.2024.

25.0 लेखापरीक्षा समिति

संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 में, बेहतर कॉर्पोरेट

25.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act, 2013, a

प्रशासन के उपाय के रूप में एक नई धारा 177, यानी "लेखा परीक्षा समिति" को जोड़ा गया है। हालांकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण एफसीआईएल के मामले में उक्त प्रावधान लागू नहीं है, हालांकि बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, बोर्ड द्वारा 23.12.2022 को ऑडिट समिति का पुनर्गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल होंगे:

new section 177, i.e., "Audit Committee" has been inserted, as a measure for better Corporate Governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL, being Private Limited Company, however for better Corporate Governance, Audit Committee has been re-constituted by the Board on 23.12.2022 comprising of the following Directors:

- | | |
|---|--|
| (1) श्री जोहान टोपनो, निदेशक - अध्यक्ष | (1) Shri Johan Topno, Director - Chairman |
| (2) श्री पदमसिंग पी पाटिल, निदेशक (वित्त) - सदस्य | (2) Shri Padamsing P. Patil, Director (Finance)-Member |
| (3) श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक -सदस्य | (3) Smt Geeta Mishra, Director-Member |

25.1 Four meetings of the Audit Committee were held during the financial year 2023-24. The details of meetings that the Directors attended are given below:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। निदेशकों ने जिन बैठकों में भाग लिया, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

SI No क्रम संख्या	Name नाम	Audit Committee Meetings attended लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लिया
1	Shri Johan Topno, Director (DIN - 08758583) श्री जोहान टोपनो, निदेशक (डिन - 08758583)	3
2	Shri Padamsing P Patil, Director(Finance) (DIN - 09747446) श्री पदमसिंग पी पाटिल, निदेशक (वित्त) (डिन- 09747446)	4
3	Smt Geeta Mishra, Director (DIN - 09354822) श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक (डिन - 09354822)	4

26.0 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) समिति

सी.एस.आर. समिति का पुनर्गठन बोर्ड द्वारा 23.12.2022 को किया गया है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं।

26.0 Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

CSR Committee has been re-constituted by the Board on 23.12.2022 comprising of the following Directors:

(1) श्री जोहान टोपनो, निदेशक - अध्यक्ष

(1) Shri Johan Topno, Director-Chairman

(2) श्री पदमसिंग पी पाटिल, निदेशक (वित्त) - सदस्य

(2) Shri Padamsing P. Patil, Director (Finance) Member

(3) श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक-सदस्य

(3) Smt Geeta Mishra, Director- Member

26.1 One meeting of the CSR Committee was held during the financial year 2023-24. The details of meetings that the Directors attended are given below:

सीएसआर समिति की एक बैठक वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित की गई थी। निदेशकों ने जिन बैठकों में भाग लिया, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

SI No क्रम संख्या	Name नाम	CSR Committee Meetings attended सी एस आर समिति की बैठकों में भाग लिया
1	Smt Geeta Mishra, Director (DIN- 09354822) श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक (डिन-09354822)	1
2	Shri Johan Topno, Director (DIN - 08758583) श्री जोहान टोपनो, निदेशक (डिन-08758583)	-
3	Shri Padamsing P Patil, Director (Finance) (DIN-09747446) श्री पदमसिंग पी पाटिल, निदेशक (वित्त) (डिन-09747446)	1

स्वीकृतियाँ

निदेशक वर्ष के दौरान कर्मचारियों की सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं। निदेशक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों और विशेष रूप से सचिव, उर्वरक विभाग और विभाग के अन्य अधिकारियों से उनके मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन के लिए प्राप्त समर्थन के लिए कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं।

निदेशकों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों को उनके बहुमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।

के लिए & निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

(अनीता सी मेश्राम)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डिन-09781436)

ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries & Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors and to the employees of the Company for their valued cooperation and support.

For & on behalf of the Board of Directors

-sd/-

(Aneeta C Meshram)

Chairperson & Managing Director

(DIN-09781436)

निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ADDENDUM TO DIRECTOR'S REPORT

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (संदर्भ सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 08.08.24)
और कंपनी का स्पष्टीकरण।

**Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditor's
Report Date 08.08.24) and explanation of the company.**

Comments of Statutory Auditors सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ

Management Reply प्रबंधन उत्तर

Basis for Qualified Opinion

योग्य राय के लिए आधार

1. In terms of Joint venture agreement, supplementary Joint Venture agreement, concessioner agreement of HURL (a joint Venture Company of Coal India Ltd, NTPC Ltd, Indian Oil Corporation Ltd, Hindustan Fertilizer Corporation Ltd and Fertilizer Corporation of India Ltd.) for the revival of Sindri and Gorakhpur units, in lieu of use of land and assets and opportunity cost, 10.99% of the paid up equity capital of the joint venture company HURL is to be issued at the time of commencement of commercial production of the projects. As per record available commercial production at Gorakhpur and Sindri units have already been commenced on 03.05.2022 and 15.04.2023 respectively, however the issue of equity shares, accrued with the commencement of commercial production at units is pending and yet to be accounted for. Non accounting of equity, accrued with the commencement of commercial production at the units has resulted into understatement of Assets, liabilities and profit. Due to non-finalization of value of projects cost and consequently value of equity to be issued in favour of FCIL, impact on the Assets, liabilities and profit of the Company is not ascertainable at this stage. (Refer Note no. E).

The matter is under active consideration in the committee headed by Director (F) FCIL/HFCL. It is expected that shares will be issued to FCIL by HURL during 2024-25 positively.

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां
Management Reply
प्रबंधन उत्तर

संयुक्त उद्यम करार, अनुपूरक संयुक्त उद्यम करार, सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए एचयूआरएल (कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान फटलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फटलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के रियायती करार के संदर्भ में, भूमि और परिसंपत्तियों और अवसर लागत के उपयोग के बदले में, संयुक्त उद्यम कंपनी एचयूआरएल की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 10.99% परियोजनाओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करते समय जारी किया जाता है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 03.05.2022 और 15.04.2023 को शुरू हो चुका है, हालांकि इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के साथ अर्जित इक्विटी शेयरों का मुद्दा लंबित है और अभी इसका हिसाब नहीं दिया गया है। इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के साथ उपाजित इक्विटी का लेखा-जोखा न होने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों, देयताओं और लाभ को कम करके आंका गया है। परियोजना लागत के मूल्य को अंतिम रूप न दिए जाने और इसके परिणामस्वरूप एफसीआईएल के पक्ष में जारी की जाने वाली इक्विटी के मूल्य के कारण इस स्तर पर कंपनी की परिसंपत्तियों, देयताओं और लाभ पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। (नोट संख्या ई देखें)।

इस मामले पर निदेशक (एफ), एफसीआईएल/एचएफसीएल की अध्यक्षता वाली समिति में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि एचयूआरएल द्वारा एफसीआईएल को शेयर 2024-25 के दौरान सकारात्मक रूप से जारी किए जाएंगे।

Comments of Statutory Auditors सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply प्रबंधन उत्तर

2. As stated in note number C.4.(iv) at Gorakhpur, as per order of the UP Govt. 268.335 Acres of land is put under the control of DM Gorakhpur, further out of above, after demolishing 215 quarters constructed on land measuring 49 acres, Sainik School is constructed with the order of UP Govt. As ownership of the above stated land is now not with the Company, loss on account of transfer of land measuring 268.335 acres has not been ascertained and provided by the Company.

जैसा कि नोट नंबर सी.4 में कहा गया है। (iv) गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार 268.335 एकड़ भूमि डीएम गोरखपुर के नियंत्रण में रखी गई है, आगे उपर्युक्त में से, 49 एकड़ भूमि पर निर्मित 215 क्वार्टरों को ध्वस्त करने के बाद, सैनिक स्कूल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से किया जाता है। चूंकि उपर्युक्त भूमि का स्वामित्व अब कंपनी के पास नहीं है, इसलिए 268.335 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के कारण हुई हानि का पता नहीं लगाया गया है और कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3. Balances due from/to debtors, creditors, other parties, advances are pending for confirmation/reconciliation and impact of consequential adjustments on standalone financial statements as on 31st March, 2024 are not ascertainable at this stage. (Note No. F.3)

देनदारों, लेनदारों, अन्य पक्षों, अग्रिमों से देय शेष राशियां, पुष्टि/सुलह के लिए लंबित हैं और 31 मार्च, 2024 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजन का प्रभाव इस स्तर पर पता लगाने योग्य नहीं है। (नोट संख्या F.3)

The matter has been referred to DoF for resolution.

इस मामले को समाधान के लिए उर्वरक विभाग को भेज दिया गया है।

The balances are very old i.e. more than 20 years. Addresses of the most of the parties are also not available.

शेष राशि बहुत पुरानी है यानी 20 साल से अधिक। अधिकांश दलों के पते भी उपलब्ध नहीं हैं।

Comments of Statutory Auditors सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply प्रबंधन उत्तर

4. Company through MSTC Ltd. has entered into a sale agreement for unaccounted inventory of fly ash for Rs.1307 Lakhs. As per terms of the agreement, the buyer has to pay the amount in 3 instalments, till 31-03-2024 buyer has deposited Rs.876 Lakhs in 2 instalments (i.e. 67% of the agreement value) which have been accounted for as other income. Balance amount of 3rd instalment Rs.431 Lakhs (33%) is to be deposited by the buyer on or before 18-07-2024 which has not been accounted for by the company as on 31-03-2024. Non accounting of unaccounted material of fly ash has resulted into understatement of assets and profit for the year. Further consequential impact due to non-accounting of above is not ascertainable. (Refer note no. F.10)

एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से कंपनी ने फ्लाई ऐश की बेहिसाब सूची के लिए 1307 लाख रुपये में बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार, खरीदार को 3 किश्तों में राशि का भुगतान करना होगा, 31-03-2024 तक खरीदार ने 2 किश्तों (यानी समझौते के मूल्य का 67%) में 876 लाख रुपये जमा किए हैं, जिन्हें अन्य आय के रूप में माना गया है। तीसरी किश्त की शेष राशि रु. 431 लाख (33%) खरीदार द्वारा 18-07-2024 को या उससे पहले जमा की जानी है, जिसका कंपनी द्वारा 31-03-2024 तक हिसाब नहीं दिया गया है। फ्लाई ऐश की बेहिसाबी सामग्री का लेखा-जोखा न होने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए परिसंपत्तियों और लाभ को कम करके आंका गया है। उपर्युक्त की लेखा-जोखा न दिए जाने के कारण इसके और परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। (नोट संख्या F.10 देखें)

Fly Ash generated during the plant operations was never accounted for in the books since inception of the Company in 1950s.

1950 के दशक में कंपनी की स्थापना के बाद से संयंत्र संचालन के दौरान उत्पन्न फ्लाई ऐश को कभी भी किताबों में शामिल नहीं किया गया था।

Comments of Statutory Auditors

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply

प्रबंधन उत्तर

5. Unaccounted inventory of platinum wares, gold chemicals, and laboratory utensils measuring 2583.04 gm has been reported at Sindri unit. In addition to above unaccounted inventory of platinum wares, gold chemicals, laboratory utensils i.e. 221.40 gm, 524.44gm and 433.68 gm has been transferred from Gorakhpur, Talcher and Ramagundam Units respectively to Sindri Unit. Value of above stated inventory of has not been ascertained and recorded in the books of accounts by the company. Non accounting of above has resulted into understatement of Assets and Profit for the year, quantum of which and its consequential impact on the results of the company is not ascertainable at this stage (Refer note no. C 9.3)

सिंदरी इकाई में 2583.04 ग्राम के प्लैटिनम के बर्तन, सोने के रसायनों और प्रयोगशाला के बर्तनों की बेहिसाब सूची दर्ज की गई है। उपरोक्त के अलावा प्लैटिनम के माल, सोने के रसायनों, प्रयोगशाला बर्तनों यानी 221.40 ग्राम, 524.44 ग्राम और 433.68 ग्राम की बेहिसाब सूची क्रमशः गोरखपुर, तालचेर और रामागुंडम इकाइयों से सिंदरी इकाई में स्थानांतरित की गई है। उपर्युक्त मालसूची का मूल्य कंपनी द्वारा लेखा बहियों में अभिनिश्चित और दर्ज नहीं किया गया है। उपरोक्त का लेखांकन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए संपत्ति और लाभ का कम विवरण हुआ है, जिसकी मात्रा और कंपनी के परिणामों पर इसके परिणामी प्रभाव का इस स्तर पर पता नहीं लगाया जा सकता है (नोट संख्या सी 9.3 देखें)

6. We draw attention to the fact that the financial statements have been prepared on a basis that is not fully compliance with the certain requirement of following Ind AS:

The platinum wares, gold chemicals & laboratory utensils are treated as normal consumable items and have never been shown in the books. However, suitable disclosure has been made in the Notes to Accounts. (Note No. C-9)

प्लैटिनम के बर्तन, सोने के रसायन और प्रयोगशाला के बर्तनों को सामान्य उपभोग्य वस्तुओं के रूप में माना जाता है और किताबों में कभी नहीं दिखाया गया है। तथापि, नोट संख्या सी 9 के लेखा टिप्पणियों में उपयुक्त रूप से खुलासा किया गया है।

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply
प्रबंधन उत्तर

हम इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वित्तीय विवरण जिस आधार पर तैयार किए गए हैं वह इंडस्ट्रीज़ के रूप में निम्नलिखित की कुछ आवश्यकता के साथ पूरी तरह से अनुपालन नहीं है:

a) Ind-AS 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” instead of retrospective restatement of financial statements as if a prior period error had never occurred, other income and other expenses of the current year includes Rs. 420.12 Lakhs and Rs. 65.78 Lakhs respectively amount of errors of prior periods. Impact on the results of the company due to inappropriate classification is not ascertainable.

क) इंड-एस 8 “लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन” वित्तीय विवरणों के पूर्वव्यापी पुनर्कथन के बजाय जैसे कि पूर्व अवधि की त्रुटि कभी नहीं हुई थी, चालू वर्ष की अन्य आय और अन्य खर्चों में क्रमशः 420.12 लाख रुपये और 65.78 लाख रुपये शामिल हैं। अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी के परिणामों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

b) Ind-AS 40 - “Investment Property”, properties leased out to various tenants at Sindri, Gorakhpur, Talcher and Central Office are classified under Property, Plant & Equipment instead of classifying as Investment properties. Since now the properties are held to earn rental & capital appreciation only and are not intended for use in the production or supply of goods & services, the same should be accounted for as Investment Property in accordance with Ind AS-40. Impact on the results of

a) These items pertains to the rents receivable and water charges payable to previous years, which was not certain earlier, hence could not be booked in previous years. These are not errors or omissions in preparation of previous year financial statements.

The company is doing same accounting treatment for such transaction since adoption of IND-AS in the year 2018-19.

क) यह मदें प्राप्त किराए और पिछले वर्षों से संबंधित जल प्रभाव से संबंधित है जो पहले निश्चित नहीं थे इसलिए पिछले वर्षों में बुक नहीं किया जा सकता था यह पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण की तैयारी में त्रुटियां या चूक नहीं है कंपनी वर्ष 2018 से 2019 में इंड एस को अपनाने के बाद से ऐसे लेनदेन के लिए समान लेखांकन उपचार कर रही है।

b) These properties are not basically held to earn rental, therefore not classified as investment property

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply
प्रबंधन उत्तर

the company due to inappropriate classification is not ascertainable.

ख) इंड-एस 40 - "निवेश संपत्ति", सिंदरी, गोरखपुर, तालचर और केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न किरायेदारों को पट्टे पर दी गई संपत्तियों को निवेश संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत वर्गीकृत किया गया है। चूंकि अब संपत्तियों को केवल किराये और पूंजीगत प्रशंसा अर्जित करने के लिए आयोजित किया जाता है और माल और सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, इसलिए इसे इंडस्ट्रीज़ एस -40 के अनुसार निवेश संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए। अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी के परिणामों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

c) Ind-AS 12 "Income Taxes" as stated in note no. "J", no adjustment has been carried out in respect of deferred tax in terms of provision of Ind-AS 12 on Income Taxes notified under the section 133 of the Companies Act 2013.

ग) इंड-एस 12 "आयकर" जैसा कि नोट संख्या "जे" के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित आयकर पर इंड-एस 12 के प्रावधान के संदर्भ में आस्थगित कर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

d) Ind-AS 105 "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations" as stated in note no. C.8 assets not in use or held for sale are valued at book value as the fair value of these assets and corresponding cost to sell these assets are not ascertainable at this stage, therefore, difference if any, on account of FMV and

ख) इन संपत्तियों को मूल रूप से किराए पर कमाने के लिए आयोजित नहीं किया जाता है इसलिए निवेदन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

c) In view of the non-operation of production activities in the company, there being no virtual certainty of set off of the deferred tax assets, hence no adjustment has been made in respect of deferred tax.

ग) कंपनी में उत्पादन गतिविधियों के गैर-परिचालन को ध्यान में रखते हुए, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के सेटऑफ की कोई आभासी निश्चितता नहीं है, इसलिए आस्थगित कर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

d) These assets are shown in the books at 5% of the original cost, as per our existing accounting policy, which will definitely be realised on disposal.

Comments of Statutory Auditors सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply प्रबंधन उत्तर

carrying cost is not ascertainable, hence not provided

घ) इंड-एएस 105 "बिक्री के लिए आयोजित गैर-चालू संपत्ति और बंद संचालन" जैसा कि नोट सं 10 में कहा गया है। C.8 परिसंपत्तियां जो उपयोग में नहीं हैं या बिक्री के लिए रखी गई हैं, उनका मूल्यांकन बही मूल्य पर किया जाता है क्योंकि इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य और इन परिसंपत्तियों को बेचने के लिए संबंधित लागत इस स्तर पर पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए, एफएमवी और वहन लागत के कारण अंतर, यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए प्रदान नहीं किया जाता है।

7. Contrary to the provision of section 194A of the Income Tax Act, TDS amounting to Rs. 8.07 Lakhs has not been deducted on the interest amount of Rs. 80.74 Lakhs paid as per directions of the Hon'ble Supreme Court. Impact on the result of the Company on account of interest and penalty due to non-deduction of tax has not been ascertained and provided.

आयकर अधिनियम की धारा 194 ए के प्रावधान के विपरीत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भुगतान की गई 80.74 लाख रुपये की ब्याज राशि पर 8.07 लाख रुपये की टीडीएस कटौती नहीं की गई है। कर की कटौती न किए जाने के कारण ब्याज और दंड के कारण कंपनी के परिणाम पर पड़ने वाले प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है और न ही इसका प्रावधान किया गया है।

8. As per accounting policy no. A (xiii), debtors outstanding for more than 3 years are considered as bad & doubtful and amount equal to 100% has been provided for the same. Revenue recognition from the same parties have been observed on account of invoices raised during the year,

घ) पुस्तकों में मूल लागत के 5% पर परिसंपत्तियां दर्शाई गई हैं, हमारी मौजूद लेख नीति के अनुसार जो निश्चित रूप से निपटान पर वसूल हो जाएगी।

7. The TDS has been deposited with the IT department on 28.08.2024.

टीडीएस 28.08.2024 को आईटी विभाग के पास जमा कर दिया गया है।

8. As per accounting policy of the Company "Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the company and the revenue can be reliably measured regardless of when the payment is being made. Thus, correct accounting has been done.

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां
Management Reply
प्रबंधन उत्तर

despite non recovery of the earlier recoverable amount outstanding for more than 3 years and considered as bad & doubtful for recovery and 100% provision for the same has been made. Recognition of above revenue is contrary to Ind-AS 115 and accounting policy which states that "Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefit will flow to the company". Since the company is unable to recover the earlier amount outstanding and amount outstanding for more than 3 years are already considered as bad & doubtful, recognizing the further revenue from the parties already considered as bad & doubtful is contrary to accounting policy and Ind-AS 115.

लेखा नीति सं 2005 के अनुसार, वर्ष 2005-06 A (xiii), 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया देनदारों को खराब और संदिग्ध माना जाता है और इसके लिए 100% के बराबर राशि प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान जुटाए गए चालानों के कारण एक ही पार्टियों से राजस्व मान्यता देखी गई है, इसके बावजूद कि 3 साल से अधिक समय से बकाया पहले वसूली योग्य राशि की वसूली नहीं हुई है और वसूली के लिए खराब और संदिग्ध माना जाता है और इसके लिए 100% प्रावधान किया गया है। उपरोक्त राजस्व की मान्यता इंड-एस 115 और लेखा नीति के विपरीत है जिसमें कहा गया है कि "राजस्व को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्रवाहित होगा"। चूंकि कंपनी पहले की बकाया राशि की वसूली करने में असमर्थ है और 3 साल से अधिक समय से बकाया राशि को पहले से ही खराब और संदिग्ध माना जाता है, इसलिए पहले से ही खराब और संदिग्ध मानी जाने वाली पार्टियों से आगे के राजस्व को पहचानना लेखा नीति और इंड-एस 115 के विपरीत है।

However, the matter for changing the accounting policy will be scrutinized / reviewed.

कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, "राजस्व को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है, भले ही भुगतान कब किया जा रहा हो। इस प्रकार, सही लेखांकन किया गया है। तथापि लेखांकन नीति में परिवर्तन के मामले की समीक्षा की जाएगी।

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply
प्रबंधन उत्तर

Emphasis of Matter

पदार्थ का जोर

1. Income Tax Department while assessing for the AY 2018-19 (FY 2017-18) has raised the demand amounting to Rs. 5658.17 Lakhs vide their order dtd.

24-05-2021. In addition to above as per order dtd.27-03-2024 u/s 270A of the Income Tax Act, penalty amounting to Rs. 2500.31 Lakhs is also levied for the AY 2018-19. Against the demand of IT Department appeals were filed by company. Decision of CIT (Appeals) and Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) against the appeals filed by the company for above stated demands were not in favour of the company and the Appellate authority has upheld the demand raised by the Income Tax Department. Company has filed an appeal with the Hon'ble Delhi High Court and has considered the amount of demand as contingent liability on the basis of an expert opinion. (Refer note no. F.4)

आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2018-19 (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए आकलन करते समय अपने आदेश के तहत 5658.17 लाख रुपये की मांग की है। उपरोक्त के अलावा, दिनांक 24-05-2021 आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत दिनांक 27-03-2024 के आदेश के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 2500.31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध कंपनी द्वारा अपील दायर की गई थी। उपर्युक्त मांगों के लिए कंपनी द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) और आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) का निर्णय कंपनी के पक्ष में नहीं था और अपीलीय प्राधिकारी ने आयकर विभाग द्वारा की गई मांग को सही ठहराया है। कंपनी ने माननीय

The matter is pending in Hon'ble High Court Delhi. Its has been suitably disclosed in note No.-F4

यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित है। नोट नंबर एफ-45 में इसका उपयुक्त खुलासा किया गया है।

Comments of Statutory Auditors सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply प्रबंधन उत्तर

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है और मांग की राशि को एक विशेषज्ञ की राय के आधार पर आकस्मिक देयता के रूप में माना है। (नोट संख्या F.4 देखें)

2. Attention is invited to note no. C.4 (iii), at Gorakhpur 125 acres of land is allotted on lease for 55 years to Sahastra Seema Bal (SSB) on an annual premium of Rs. 518 Lakhs, Lease deed of the above is not yet executed, and SSB is disputing the payment of lease rental since inception, therefore no lease rental has been accounted for by the company in the current year and in previous years.

ध्यान नोट संख्या 1 की ओर आकर्षित किया जाता है। सी.4 (iii), गोरखपुर में 125 एकड़ भूमि 518 लाख रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर सहस्र सीमा बल (एसएसबी) को 55 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटित की गई है, उपरोक्त का पट्टा विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है, और एसएसबी स्थापना के बाद से ही पट्टा किराये के भुगतान पर विवाद कर रहा है, इसलिए चालू वर्ष और पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा कोई पट्टा किराया नहीं दिया गया है।

3. As per records and information provided to us, at Sindri Unit company is holding 6548 built quarters and as per verification conducted by the Unit 3260 quarters are unauthorizedly occupied by the occupants i.e. physical possession and control of these quarters are not with the company. However, no adjustment has been accounted for in the books of accounts as the company has initiated action under Public Premises Eviction (PPE) Act and expect no loss on account of this.

The matter has been referred to DoF for resolution. It has been suitably disclosed in Note No. C-4 (iii)

इस मामले को समाधान के लिए उर्वरक विभाग को भेज दिया गया है। नोट संख्या सी - चार (iii) में इसका उपयुक्त रूप से खुलासा किया गया है

The action is being taken as per the provisions of Public Premises Eviction Act.

Comments of Statutory Auditors सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply प्रबंधन उत्तर

हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार, सिंदरी इकाई में कंपनी के पास 6548 निर्मित क्वार्टर हैं और यूनिट द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार 3260 क्वार्टर अनधिकृत रूप से कब्जेदारों द्वारा कब्जा किए गए हैं अर्थात् इन क्वार्टरों का भौतिक कब्जा और नियंत्रण कंपनी के पास नहीं है। तथापि, लेखा बहियों में किसी समायोजन का लेखा-जोखा नहीं रखा गया है क्योंकि कंपनी ने सार्वजनिक परिसर बेदखली (पीपीई) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके कारण किसी हानि की आशा नहीं है।

सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

4. At Sindri as per physical verification report 27.47 acres of land has been unauthorizedly occupied and action under Public Premises Eviction (PPE) Act has been initiated and no loss expected by the company, hence no adjustment has been accounted for by the company in this regard.

The action is being taken as per the provisions of Public Premises Eviction Act.

वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार सिंदरी में 2747 एकड़ भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है और सार्वजनिक परिसर बेदखली (पीपीई) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कंपनी को कोई हानि होने की संभावना नहीं है, इसलिए इस संबंध में कंपनी द्वारा किसी समायोजन का हिसाब नहीं रखा गया है।

सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है

5. Other Non-Current Assets includes income tax refundable Rs. 1039.98 Lakhs, (AY 2020-21 Rs. 426.36 Lakhs, AY 2021-22 Rs. 411.82 Lakhs and AY 2022-23 Rs. 201.81 Lakhs), which has been adjusted by the Income Tax Dept. against the demand assessed during assessment for same/other years. However, notices for adjustment of refund amount issued by

The matter is being consistently followed up with the IT Department.

the Income Tax Department are not in conformity with the amount of refund as per company's record, company is in the process to reconcile the same and are subject to consequential impact.

अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में आयकर वापसी योग्य 1039.98 लाख रुपये, (निर्धारण वर्ष 2020-21 426.36 लाख रुपये, निर्धारण वर्ष 2021-22 411.82 लाख रुपये और निर्धारण वर्ष 2022-23 201.81 लाख रुपये) शामिल हैं, जिन्हें आयकर विभाग द्वारा समान/अन्य वर्षों के लिए मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन की गई मांग के खिलाफ समायोजित किया गया है। तथापि, आयकर विभाग द्वारा जारी रिफंड राशि के समायोजन के लिए जारी किए गए नोटिस कंपनी के रिकार्ड के अनुसार प्रतिदाय की राशि के अनुरूप नहीं हैं।

इस मामले को आयकर विभाग के साथ लगातार उठाया जा रहा है।

6. Attention is drawn on note no. A.III, The Company based on the legal opinion is of the view that the Company's investment in Companies does not fall under the definition of "Joint Venture" as provided for in Accounting Standard AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures' as the Company does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid Companies. The Company has therefore not prepared Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2024.

The Company has only 11% shareholding in JVs Companies and hence does not exercise any control over the economic activities of the JV Companies. Therefore Company's investment in JVs does not fall under the definition of "Joint Venture". It has been suitably disclosed in Accounting policy (A-III Business Combinations).

नोट संख्या A.III पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कानूनी राय के आधार पर कंपनी का विचार है कि कंपनियों में कंपनी का निवेश "संयुक्त उद्यम" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि लेखा मानक AS-27 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' में प्रदान किया गया है क्योंकि कंपनी उपरोक्त कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती

कंपनी की संयुक्त उद्यम कंपनियों में केवल 11% शेयरधारिता है और इसलिए यह संयुक्त उद्यम कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं करती है। इसलिए कंपनी का निवेश संयुक्त उद्यम "संयुक्त उद्यम" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसका समुचित रूप से लेख नीति (ए-III व्यापार संयोजन) में खुलासा किया गया है।

Comments of Statutory Auditors सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply प्रबंधन उत्तर

है। इसलिए कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं

7. Attention is invited to note no. C. 3(v) at Talcher 202 quarters were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP). Further out of above 344 quarters, 296 A type of quarter are demolished by TFL (Talcher Fertilizer Limited) and only 48 quarters of B, C & D category are in existence now. No adjustment entry for exchange of quarters with HWP and on account of demolition of quarters by TFL is accounted for by the company.

ध्यान नोट संख्या 1 की ओर आकर्षित किया जाता है। सी. 3 (v) तालचेर में 202 क्वार्टरों का 344 क्वार्टरों भारी पानी संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) के साथ आदान-प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त 344 क्वार्टरों में से ए श्रेणी के 296 क्वार्टर टीएफएल (तलचर फटलाइजर लिमिटेड) द्वारा ध्वस्त किए गए हैं और बी, सी और डी श्रेणी के केवल 48 क्वार्टर अब अस्तित्व में हैं। एचडब्ल्यूपी के साथ क्वार्टरों के आदान-प्रदान के लिए और टीएफएल द्वारा क्वार्टरों को ध्वस्त करने के कारण कंपनी द्वारा कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की जाती है।

8. As stated in note no. F.7, MSME status of the parties is not available with the company. Therefore, an amount due to MSME is not ascertainable.

जैसा कि नोट संख्या F7 में कहा गया है, पक्षकारों की एम.एस.एम.ई स्थिति कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। अतः एम.एस.एम.ई को देय राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

The lease deed with TFL has been signed on 09.09.2024 and the handing over of assets is under process. The subject quarter issue will also be settled on handing over of the assets.

टीएफएल के साथ लीज डीड पर 09.09.2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं और संपत्ति सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। विषय तिमाही का मुद्दा भी परिसंपत्तियों को सौंपने पर निपटाया जाएगा।

The Outstanding balance are more than 20-25 years old when the company was producing Urea and at that time the classification of MSMEs was not existent. Since these are very old . It is not possible to ascertain MSME status now.

शेष बकाया 20-25 वर्ष से अधिक पुराना है जब कंपनी यूरिया का उत्पादन कर रही थी और उस समय एमएसएमई का वर्गीकरण मौजूद नहीं था। क्योंकि यह बहुत पुराना है, एम.एस.एम.ई की स्थिति का अभी पता लगाना संभव नहीं है।

Annexure 'A'

अनुलग्नक 'ए'

Report on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the Companies (Auditors' Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of section 143(11) of the Act.

अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट।

Comments of Statutory Auditors सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply प्रबंधन उत्तर

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

पैराग्राफ 1 में हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत संदर्भित।

I) A. The company is not maintaining records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

कं. कंपनी मात्रात्मक ब्यौरे और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाने वाले रिकार्ड नहीं रख रही है।

B. The company is not maintaining record showing full particulars of Intangible Assets.

ख. कंपनी अमूर्त परिसम्पत्तियों का पूरा ब्यौरा दर्शाने वाला रिकार्ड नहीं रख रही है।

- "Assets not in use or held for sale" amounting to Rs. 91.22 lakhs as on 31-03-2024 are not physically verified.
- 31-03-2024 को 91.22 लाख रुपये की राशि

Most of the fixed assets are either sold as unusable items or handed over to reviving JV Companies as usable items. Only Furniture, fix fixtures etc are available, which are duly reconciled.

अधिकांश अचल संपत्तियां या तो अनुपयोगी वस्तुओं के रूप में बेची जाती हैं या संयुक्त उद्यम कंपनियों को उपयोग योग्य वस्तुओं के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए सौंप दी जाती हैं। केवल फर्नीचर, फिक्स्चर आदि उपलब्ध हैं, जिनका विधिवत मिलान किया जाता है।

There are no intangible assets.

कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

Noted for compliance.

अनुपालन के लिए नोट किया गया।

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply
प्रबंधन उत्तर

"उपयोग में नहीं आने वाली या बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" भौतिक रूप से सत्यापित नहीं है।

- At Korba during the course of verification Unit has observed that company's railway track is missing, however the quantum of loss has not been ascertained by the company therefore not adjusted in the books of accounts.

- कोरबा में सत्यापन के दौरान एकक ने यह पाया है कि कंपनी का रेलपथ गायब है, तथापि कंपनी द्वारा हानि की मात्रा का पता नहीं लगाया गया है इसलिए इसे लेखा बहियों में समायोजित नहीं किया गया है।

C. As per confirmation and certificates provided to us, title deeds of all the immovable properties owned are held in the name of the company. However, our observations are as follows:

ग. हमें प्रदान किए गए पुष्टिकरण और प्रमाणपत्रों के अनुसार, स्वामित्व वाली सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक

1. The Railway track at korba was almost in non-operative state since inception as the korba project could not be commenced. The missing of track was observed during physical verification of assets in the year 2023-24 and the local police has been duly informed.
2. The korba plant was closed in sept 2002 along with other plants of FCIL. No separate security was deputed for the railway track.
3. The actual loss of the missing track is yet to be ascertained; thereafter approval of board will be obtained for write off.

1. कोरबा में रेल पथ प्रारंभ से ही लगभग निष्क्रिय अवस्था में था क्योंकि कोरबा प्रयोजन शुरू नहीं की जा सकी थी वर्ष 2023 24 में परी संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के दौरान ट्रैक का गायब होना देखा गया था और स्थानीय पुलिस को विधिवत सूचित कर दिया गया है
2. कोरबा संयंत्र के को फसील के अन्य संयंत्रों के साथ सितंबर 2002 में बंद कर दिया गया था। रेलपथ के लिए अलग से कोई सुरक्षा प्रतिनियुक्ति नहीं की गई थी।
3. लापता ट्रैक के वास्तविक नुकसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है; इसके बाद बट्टे खाते डालने के लिए बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां**Management Reply**
प्रबंधन उत्तर

विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं। हालाँकि, हमारी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

- (1) At Talcher, 0.205 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet to be completed and the agreement for same is still to be executed.

The matter is pending before the revenue court for adjudication

तालचेर में 0.205 एकड़ भूमि जो कंपनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं और इसके लिए करार अभी निष्पादित किया जाना है।

Annexure –‘B’
अनुलग्नक –‘बी’

Qualified Opinion
योग्य राय

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”).

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply
प्रबंधन उत्तर

1. Considerable delay in accounting or accounting at the yearend only has been observed in respect of various material aspects relating to the maintenance of accounts of the Company. Delay in the maintenance of accounts or recording the entries at the year-end only, having material impact on the Company's account is showing weak/absent financial control. Some of the instances are stated below,

कंपनी के लेखों के रखरखाव से संबंधित विभिन्न भौतिक पहलुओं के संबंध में केवल वर्ष के अंत में लेखांकन या लेखांकन में काफी विलंब देखा गया है। खातों के रखरखाव में देरी या केवल वर्ष के अंत में प्रविष्टियों को रिकॉर्ड करना, कंपनी के खाते पर भौतिक प्रभाव कमजोर / अनुपस्थित वित्तीय नियंत्रण दिखा रहा है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं,

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> a) TDS deducted by the banks on term deposit interest has been accounted for at the year-end only instead of accounting the same at the regular basis. Above has resulted into under reporting of bank interest earned and TDS (asset) throughout the year. | <ol style="list-style-type: none"> a) As per general practice these are reconciled at year end only taking into consideration the date of IT dept. like 26 AS etc. |
|---|---|

Comments of Statutory Auditors

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply

प्रबंधन उत्तर

बैंकों द्वारा मीयादी जमा ब्याज पर काटे गए टीडीएस का लेखा-जोखा नियमित आधार पर करने के बजाय केवल वर्ष के अंत में किया गया है। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में अर्जित बैंक ब्याज और टीडीएस (परिसंपत्ति) की कम रिपोर्टिंग हुई है।

सामान्य अभ्यास के अनुसार वर्ष के अंत में केवल आईटी विभाग के विवरण को ध्यान में रखते हुए सामंजस्य स्थापित किया जाता है।

- b) Accounts of GST maintained at Units and C.O are reconciled at the year-end only. Non reconciliation of GST accounts at reasonable periodic intervals and reconciliation at the year end only has resulted into accounting of various entries at the year end only, which indicate weak internal financial controls.

- b) Noted for compliance.

इकाइयों और केन्द्रीय कार्यालयों में रखे गए जीएसटी के खातों का मिलान केवल वर्ष के अंत में किया जाता है। उचित आवधिक अंतरालों पर जीएसटी खातों का मिलान न करने और वर्ष के अंत में ही मिलान करने के परिणामस्वरूप केवल वर्ष के अंत में विभिन्न प्रविष्टियों का लेखा-जोखा हो गया है, जो कमजोर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

अनुपालन के लिए नोट किया गया।

2. At Sindri

सिंदरी में

- a) Significant delay in reconciliation of accounts via cash in hand and cash in transit has been observed and accounts were reconciled at the year-end only.

- a) There was some problem in the earlier software D-Base, which was subsequently got corrected. New tally software was introduced and all the required reports were taken from earlier software and duly reconciled.

- क) हाथ में नकदी और मार्गस्थ नकदी के माध्यम से खातों के मिलान में काफी विलंब देखा गया है और खातों का मिलान केवल वर्ष के अंत में किया गया था।

पहले के सॉफ्टवेयर डी-बेस में कुछ दिक्कत आई थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया था। नया टैली सॉफ्टवेयर शुरू किया गया था और सभी आवश्यक रिपोर्टों को पहले के सॉफ्टवेयर से लिया गया था और

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply
प्रबंधन उत्तर

विधिवत मिलान किया गया था।

- | | | | |
|----|--|----|-----------------------|
| b) | During the year Unit has shifted maintenance of accounts from software named D Base (old down software) to new software viz. Tally. It has been observed that all accounting entries for the period April 2023 to March 2024 are accounted for in March 2024 only in the new software. Backup and business continuity plan was also not in existence which indicates deficiency in the internal financial controls. | b) | Same as (a) above |
| ख) | वर्ष के दौरान यूनिट ने खातों के रखरखाव को डी बेस (पुराने डाउन सॉफ्टवेयर) नामक सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर अर्थात् टैली में स्थानांतरित कर दिया है। यह देखा गया है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए सभी लेखा प्रविष्टियों का हिसाब मार्च 2024 में केवल नए सॉफ्टवेयर में रखा गया है। बैकअप और व्यवसाय निरंतरता योजना भी अस्तित्व में नहीं थी जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कमी को इंगित करती है। | ख) | उपर्युक्त (क) के समान |
| c) | 3rd party report/confirmation that the books maintained with help of new software are inconformity with the record maintained through earlier software is not available. | c) | Same as (a) above |
| ग) | तृतीय पक्ष रिपोर्ट/इस बात की पुष्टि उपलब्ध नहीं है कि नए सॉफ्टवेयर की सहायता से रखी गई पुस्तकें पूर्व के सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखे गए रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हैं | ग) | उपर्युक्त (क) के समान |
| d) | Subsidiary records/sub ledger for e.g. Loans and Advances, Sundry Debtors, Sundry Creditors etc. are not maintained through accounting software. Therefore, unable to ascertain the accuracy of party wise payable/receivable and age of payable/receivable. | d) | Same as (a) above |

Comments of Statutory Auditors
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

Management Reply
प्रबंधन उत्तर

घ) ऋण और अग्रिम, विविध देनदार, विविध लेनदार आदि के लिए सहायक रिकॉर्ड/उप खाता लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं रखा जाता है। इसलिए, पक्षवार देय/प्राप्य की सटीकता और देय/प्राप्य की आयु का पता लगाने में असमर्थ।

घ) उपर्युक्त (क) के समान

3. At Ramagundam and Talcher records are maintained with the help of excel spread sheet instead of maintaining the books of accounts with the help of auto balancing, self-reconciling accounting software. Financial data of above stated units are compiled through excel spread sheet. Non maintenance of proper books of accounts depicts the deficiency in internal financial controls.

3. Noted for Compliance

रामागुंडम और तालचर में ऑटो बैलेंसिंग, सेल्फ-रिकंसिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के बजाय एक्सेल स्प्रेड शीट की मदद से रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। उपर्युक्त इकाइयों के वित्तीय आंकड़े एक्सेल स्प्रेड शीट के माध्यम से संकलित किए जाते हैं। खातों की उचित बहियों का रखरखाव न करना आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कमी को दर्शाता है।

3. अनुपालन के लिए नोट किया गया।

4. Audit trail (edit log) was not operated throughout the year.

4. Noted for Compliance

4. ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) पूरे वर्ष संचालित नहीं किया गया था।

4. अनुपालन के लिए नोट किया गया।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट शामिल है।

दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक बैलेंस शीट शामिल है, और लाभ और हानि का विवरण (व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, आधार फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में वर्णित मामले के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ें, जैसा कि संशोधित किया गया है, ("इंडस्ट्रीज़ एएस") और अन्य लेखा सिद्धांत जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं, 31 मार्च, 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और इसका लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन

Auditor's Report on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024 including Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the act")

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED

Report on the Audit of Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31st March 2024, and the statement of Profit and Loss (including comprehensive Income), Statement of changes in equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024, and its profit (including other

और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह।

comprehensive income), changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

योग्य राय के लिए आधार

1. संयुक्त उद्यम करार, अनुपूरक संयुक्त उद्यम करार, सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए एचयूआरएल (कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के रियायती करार के संदर्भ में, भूमि और परिसंपत्तियों और अवसर लागत के उपयोग के बदले में, संयुक्त उद्यम कंपनी एचयूआरएल की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 10.99% परियोजनाओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करते समय जारी किया जाना होता है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 03.05.2022 और 15.04.2023 को शुरू हो चुका है। तथापि, यूनिटों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के साथ प्रोद्भूत इक्विटी शेयरों का निर्गम लंबित है और इसका अभी हिसाब दिया जाना है। इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के साथ उपार्जित इक्विटी का लेखा-जोखा न होने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों, देयताओं और लाभ को कम करके आंका गया है। परियोजना लागत के मूल्य को अंतिम रूप न दिए जाने और इसके परिणामस्वरूप एफसीआईएल के पक्ष में जारी की जाने वाली इक्विटी के मूल्य के कारण इस स्तर पर कंपनी की परिसंपत्तियों, देयताओं और लाभ पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। (नोट संख्या ई देखें)।

Basis for Qualified Opinion

1. In terms of Joint venture agreement, supplementary Joint Venture agreement, concessioner agreement of HURL (a joint Venture Company of Coal India Ltd, NTPC Ltd, Indian Oil Corporation Ltd, Hindustan Fertilizer Corporation Ltd and Fertilizer Corporation of India Ltd.) for the revival of Sindri and Gorakhpur units, in lieu of use of land and assets and opportunity cost, 10.99% of the paid up equity capital of the joint venture company HURL is to be issued at the time of commencement of commercial production of the projects. As per record available commercial production at Gorakhpur and Sindri units have already been commenced on 03.05.2022 and 15.04.2023 respectively, however the issue of equity shares, accrued with the commencement of commercial production at units is pending and yet to be accounted for. Non accounting of equity, accrued with the commencement of commercial production at the units has resulted into understatement of Assets, liabilities and profit. Due to non-finalization of value of projects cost and consequently value of equity to be issued in favour of FCIL, impact on the Assets, liabilities and profit of the Company is not ascertainable at this stage. (Refer Note no. E).
2. As stated in note number C.4.(iv) at Gorakhpur, as per order of the UP Govt. 268.335 Acres of land is put under the control of DM Gorakhpur, further out of

से, 49 एकड़ भूमि पर निर्मित 215 क्वार्टरों को ध्वस्त करने के बाद, सैनिक स्कूल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से किया जाता है। चूंकि उपर्युक्त भूमि का स्वामित्व अब कंपनी के पास नहीं है, इसलिए 268335 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के कारण हुई हानि का पता नहीं लगाया गया है और कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जैसा कि नोट नंबर सी.4 में कहा गया है।

above, after demolishing 215 quarters constructed on land measuring 49 acres, Sainik School is constructed with the order of UP Govt. As ownership of the above stated land is now not with the Company, loss on account of transfer of land measuring 268.335 acres has not been ascertained and provided by the Company.

3. देनदारों, लेनदारों, अन्य पक्षों, अग्रिमों से देय शेष राशियां, पुष्टि/सुलह के लिए लंबित हैं और 31 मार्च, 2024 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजन का प्रभाव इस स्तर पर पता लगाने योग्य नहीं है। (नोट संख्या F.3)

3. Balances due from/to debtors, creditors, other parties, advances are pending for confirmation/reconciliation and impact of consequential adjustments on standalone financial statements as on 31st March, 2024 are not ascertainable at this stage. (Note No. F.3)

4. कंपनी ने एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से फ्लाई ऐश की बहुत अधिक सूची के लिए 1307 लाख रुपये में बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार, खरीदार को 3 किश्तों में राशि का भुगतान करना होगा, 31-03-2024 तक खरीदार ने 2 किश्तों (यानी समझौते के मूल्य का 67%) में 876 लाख रुपये जमा किए हैं, जिन्हें अन्य आय के रूप में माना गया है। तीसरी किश्त की शेष राशि रु. 431 लाख (33%) खरीदार द्वारा 18-07-2024 को या उससे पहले जमा की जानी है, जिसका कंपनी द्वारा 31-03-2024 तक हिसाब नहीं दिया गया है। फ्लाई ऐश की बेहिसाबी सामग्री का लेखा-जोखा न होने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए परिसंपत्तियों और लाभ को कम करके आंका गया है। उपर्युक्त की लेखा-जोखा न दिए जाने के कारण इसके और परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। (नोट संख्या F.10 देखें)

4. Company through MSTC Ltd. has entered into a sale agreement for unaccounted inventory of fly ash for Rs.1307 Lakhs. As per terms of the agreement, the buyer has to pay the amount in 3 instalments, till 31-03-2024 buyer has deposited Rs.876 Lakhs in 2 instalments (i.e. 67% of the agreement value) which have been accounted for as other income. Balance amount of 3rd instalment Rs.431 Lakhs (33%) is to be deposited by the buyer on or before 18-07-2024 which has not been accounted for by the company as on 31-03-2024. Non accounting of unaccounted material of fly ash has resulted into understatement of assets and profit for the year. Further consequential impact due to non-accounting of above is not ascertainable. (Refer note no. F.10)

5. सिंदरी इकाई में 2583.04 ग्राम के प्लेटिनम के बर्तन, सोने के रसायनों और प्रयोगशाला के बर्तनों की बहुत अधिक सूची दर्ज की गई है। उपरोक्त के अलावा प्लेटिनम

5. Unaccounted inventory of platinum wares, gold chemicals, and laboratory utensils measuring 2583.04 gm has been reported

के माल, सोने के रसायनों, प्रयोगशाला बर्तनों यानी 221.40 ग्राम, 524.44 ग्राम और 433.68 ग्राम की बेहिसाब सूची क्रमशः गोरखपुर, तालचेर और रामागुंडम इकाइयों से सिंदरी इकाई में स्थानांतरित की गई है। उपर्युक्त मालसूची का मूल्य कंपनी द्वारा लेखा बहियों में अभिनिश्चित और दर्ज नहीं किया गया है। उपरोक्त का लेखांकन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए संपत्ति और लाभ का कम विवरण हुआ है, जिसकी मात्रा और कंपनी के परिणामों पर इसके परिणामी प्रभाव का इस स्तर पर पता नहीं लगाया जा सकता है (नोट संख्या सी 9.3 देखें)

at Sindri unit. In addition to above unaccounted inventory of platinum wares, gold chemicals, laboratory utensils i.e. 221.40 gm, 524.44gm and 433.68 gm has been transferred from Gorakhpur, Talcher and Ramagundam Units respectively to Sindri Unit. Value of above stated inventory of has not been ascertained and recorded in the books of accounts by the company. Non accounting of above has resulted into understatement of Assets and Profit for the year, quantum of which and its consequential impact on the results of the company is not ascertainable at this stage (Refer note no. C 9.3)

6. हम इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वित्तीय विवरण एक आधार पर तैयार किए गए हैं जो इंडस्ट्रीज़ के रूप में निम्नलिखित की कुछ आवश्यकता के साथ पूरी तरह से अनुपालन नहीं है:

6. We draw attention to the fact that the financial statements have been prepared on a basis that is not fully compliance with the certain requirement of following Ind AS:

क) इंड-एस 8 "लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन" वित्तीय विवरणों के पूर्वव्यापी पुनर्कथन के बजाय जैसे कि पूर्व अवधि की त्रुटि कभी नहीं हुई थी, चालू वर्ष की अन्य आय और अन्य खर्चों में क्रमशः 420.12 लाख रुपये और 65.78 लाख रुपये शामिल हैं। अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी के परिणामों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

a) Ind-AS 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" instead of retrospective restatement of financial statements as if a prior period error had never occurred, other income and other expenses of the current year includes Rs. 420.12 Lakhs and Rs. 65.78 Lakhs respectively amount of errors of prior periods. Impact on the results of the company due to inappropriate classification is not ascertainable.

ख) इंड-एस 40 - "निवेश संपत्ति", सिंदरी, गोरखपुर, तालचेर और केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न किरायेदारों को पट्टे पर दी गई संपत्तियों को निवेश संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत वर्गीकृत किया गया है। चूंकि अब संपत्तियों को केवल

b) Ind-AS 40 - "Investment Property", properties leased out to various tenants at Sindri, Gorakhpur, Talcher and Central Office are classified under Property, Plant & Equipment instead of classifying as Investment properties. Since now the

किराये और पूंजीगत प्रशंसा अर्जित करने के लिए आयोजित किया जाता है और माल और सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, इसलिए इसे इंडस्ट्रीज़ एएस -40 के अनुसार निवेश संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए। अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी के परिणामों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

properties are held to earn rental & capital appreciation only and are not intended for use in the production or supply of goods & services, the same should be accounted for as Investment Property in accordance with Ind AS-40. Impact on the results of the company due to inappropriate classification is not ascertainable.

- | | |
|--|--|
| <p>ग) इंड-एएस 12 "आयकर" जैसा कि नोट संख्या 1 में कहा गया है। "जे" के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित आयकर पर इंड-एएस 12 के प्रावधान के संदर्भ में आस्थगित कर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है।</p> | <p>c) Ind-AS 12 "Income Taxes" as stated in note no. "J", no adjustment has been carried out in respect of deferred tax in terms of provision of Ind-AS 12 on Income Taxes notified under the section 133 of the Companies Act 2013.</p> |
| <p>घ) इंड-एएस 105 "बिक्री के लिए आयोजित गैर-चालू संपत्ति और बंद संचालन" जैसा कि नोट सं 10 में कहा गया है। C.8 परिसंपत्तियां जो उपयोग में नहीं हैं या बिक्री के लिए रखी गई हैं, उनका मूल्यांकन बही मूल्य पर किया जाता है क्योंकि इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य और इन परिसंपत्तियों को बेचने के लिए संबंधित लागत इस स्तर पर पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए, एफएमवी और वहन लागत के कारण अंतर, यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए प्रदान नहीं किया जाता है।</p> | <p>d) Ind-AS 105 "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations" as stated in note no. C.8 assets not in use or held for sale are valued at book value as the fair value of these assets and corresponding cost to sell these assets are not ascertainable at this stage, therefore, difference if any, on account of FMV and carrying cost is not ascertainable, hence not provided.</p> |
| <p>7. आयकर अधिनियम की धारा 194 ए के प्रावधान के विपरीत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भुगतान की गई रु 80.74 लाख की ब्याज राशि पर रु 8.07 लाख की टीडीएस कटौती नहीं की गई है। कर की कटौती न किए जाने के कारण ब्याज और दंड के कारण कंपनी के परिणाम पर पड़ने वाले प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है और न ही इसका प्रावधान किया गया है।</p> | <p>7. Contrary to the provision of section 194A of the Income Tax Act, TDS amounting to Rs. 8.07 Lakhs has not been deducted on the interest amount of Rs. 80.74 Lakhs paid as per directions of the Hon'ble Supreme Court. Impact on the result of the Company on account of interest and penalty due to non-deduction of tax has not been ascertained and provided.</p> |

8. लेखा नीति सं 2005 के अनुसार, वर्ष 2005-06 A (xiii), 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया देनदारों को खराब और संदिग्ध माना जाता है और इसके लिए 100% के बराबर राशि प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान जुटाए गए चालानों के कारण एक ही पार्टियों से राजस्व मान्यता देखी गई है, इसके बावजूद कि 3 साल से अधिक समय से बकाया पहले वसूली योग्य राशि की वसूली नहीं हुई है और वसूली के लिए खराब और संदिग्ध माना जाता है और इसके लिए 100% प्रावधान किया गया है। उपरोक्त राजस्व की मान्यता इंड-एस 115 के विपरीत है और लेखा नीति जिसमें कहा गया है कि "राजस्व को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्रवाहित होगा"। चूंकि कंपनी पहले की बकाया राशि की वसूली करने में असमर्थ है और 3 साल से अधिक समय से बकाया राशि को पहले से ही खराब और संदिग्ध माना जाता है, इसलिए पहले से ही खराब और संदिग्ध मानी जाने वाली पार्टियों से आगे के राजस्व को पहचानना लेखा नीति और इंड-एस 115 के विपरीत है।
- ज) हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा ("एसएसएस") पर मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा आयोजित की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के ऑडिट अनुभाग के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी
8. As per accounting policy no. A (xiii), debtors outstanding for more than 3 years are considered as bad & doubtful and amount equal to 100% has been provided for the same. Revenue recognition from the same parties have been observed on account of invoices raised during the year, despite non recovery of the earlier recoverable amount outstanding for more than 3 years and considered as bad & doubtful for recovery and 100% provision for the same has been made. Recognition of above revenue is contrary to Ind-AS 115 and accounting policy which states that "Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefit will flow to the company". Since the company is unable to recover the earlier amount outstanding and amount outstanding for more than 3 years are already considered as bad & doubtful, recognizing the further revenue from the parties already considered as bad & doubtful is contrary to accounting policy and Ind-AS 115.
- We conducted our audit of the Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules there

अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the financial statements.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उस पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

पदार्थका जोर

1. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2018-19 (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए आकलन करते समय अपने आदेश दिनांक 11-10-2018 के तहत रु 5658.17 लाख की मांग की है। 24-05-2021. उपरोक्त के अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत दिनांक 27-03-2024 के आदेश के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए रु 2500.31 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध कंपनी द्वारा अपील दायर की गई थी। उपर्युक्त मांगों के लिए कंपनी द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) और आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) का निर्णय कंपनी के पक्ष में नहीं था और अपीलीय प्राधिकारी ने आयकर विभाग द्वारा की गई मांग को सही ठहराया है। कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है और मांग की राशि को एक विशेषज्ञ की राय के आधार पर आकस्मिक देयता के रूप में माना है। (नोट संख्या F.4

Emphasis of Matter

1. Income Tax Department while assessing for the AY 2018-19 (FY 2017-18) has raised the demand amounting to Rs. 5658.17 Lakhs vide their order dtd. 24-05-2021. In addition to above as per order dtd. 27-03-2024 u/s 270A of the Income Tax Act, penalty amounting to Rs. 2500.31 Lakhs is also levied for the AY 2018-19. Against the demand of IT Department appeals were filed by company. Decision of CIT (Appeals) and Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) against the appeals filed by the company for above stated demands were not in favour of the company and the Appellate authority has upheld the demand raised by the Income Tax Department. Company has filed an appeal with the Hon'ble Delhi High Court and has considered the amount of demand as contingent liability on the basis

देखें)

of an expert opinion. (Refer note no. F.4)

2. ध्यान नोट संख्या I की ओर आकर्षित किया जाता है। सी.4 (iii), गोरखपुर में 125 एकड़ भूमि रु 518 लाख के वार्षिक प्रीमियम पर सहस्र सीमा बल (एसएसबी) को 55 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटित की गई है, उपरोक्त का पट्टा विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है, और एसएसबी स्थापना के बाद से पट्टा किराये के भुगतान पर विवाद कर रहा है, इसलिए चालू वर्ष और पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा कोई पट्टा किराया नहीं दिया गया है।
3. हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार, सिंदरी इकाई में कंपनी के पास 6548 निर्मित क्वार्टर हैं और यूनिट द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार 3260 क्वार्टर अनधिकृत रूप से कब्जेदारों द्वारा कब्जा किए गए हैं अर्थात् इन क्वार्टरों का भौतिक कब्जा और नियंत्रण कंपनी के पास नहीं है। तथापि, लेखा बहियों में किसी समायोजन का लेखा-जोखा नहीं रखा गया है क्योंकि कंपनी ने सार्वजनिक परिसर बेदखली (पीपीई) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके कारण किसी हानि की आशा नहीं है।
4. वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार सिंदरी में 27.47 एकड़ भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है और सार्वजनिक परिसर बेदखली (पीपीई) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कंपनी को कोई हानि होने की संभावना नहीं है, इसलिए इस संबंध में कंपनी द्वारा किसी समायोजन का हिसाब नहीं रखा गया है।
5. अन्य गैर-चालू संपत्तियों में आयकर वापसी योग्य रु 1039.98 लाख, (निर्धारण वर्ष 2020-21 रु 426.36 लाख, निर्धारण वर्ष 2021-22 रु 411.82 लाख और निर्धारण वर्ष 2022-23 201.81 लाख रुपये) शामिल हैं,
2. Attention is invited to note no. C.4 (iii), at Gorakhpur 125 acres of land is allotted on lease for 55 years to Sahastra Seema Bal (SSB) on an annual premium of Rs. 518 Lakhs, Lease deed of the above is not yet executed, and SSB is disputing the payment of lease rental since inception, therefore no lease rental has been accounted for by the company in the current year and in previous years.
3. As per records and information provided to us, at Sindri Unit company is holding 6548 built quarters and as per verification conducted by the Unit 3260 quarters are unauthorizedly occupied by the occupants i.e. physical possession and control of these quarters are not with the company. However, no adjustment has been accounted for in the books of accounts as the company has initiated action under Public Premises Eviction (PPE) Act and expect no loss on account of this.
4. At Sindri as per physical verification report 27.47 acres of land has been unauthorizedly occupied and action under Public Premises Eviction (PPE) Act has been initiated and no loss expected by the company, hence no adjustment has been accounted for by the company in this regard.
5. Other Non Current Assets includes income tax refundable Rs. 1039.98 Lakhs, (AY 2020-21 Rs. 426.36 Lakhs, AY 2021-22 Rs. 411.82 Lakhs and AY 2022-23 Rs. 201.81 Lakhs), which has been adjusted by the

जिन्हें आयकर विभाग द्वारा समान/अन्य वर्षों के लिए मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन की गई मांग के खिलाफ समायोजित किया गया है। तथापि, आयकर विभाग द्वारा जारी रिफंड राशि के समायोजन के लिए जारी किए गए नोटिस कंपनी के रिकार्ड के अनुसार प्रतिदाय की राशि के अनुरूप नहीं हैं।

Income Tax Dept. against the demand assessed during assessment for same/other years. However, notices for adjustment of refund amount issued by the Income Tax Department are not in conformity with the amount of refund as per company's record, company is in the process to reconcile the same and are subject to consequential impact.

6. नोट संख्या A.III पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कानूनी राय के आधार पर कंपनी का विचार है कि कंपनियों में कंपनी का निवेश "संयुक्त उद्यम" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि लेखा मानक AS-27 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' में प्रदान किया गया है क्योंकि कंपनी उपरोक्त कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। इसलिए कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं।
6. Attention is drawn on note no. A.III, The Company based on the legal opinion is of the view that the Company's investment in Companies does not fall under the definition of "Joint Venture" as provided for in Accounting Standard AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures' as the Company does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid Companies. The Company has therefore not prepared Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2024.
7. ध्यान नोट संख्या 1 की ओर आकर्षित किया जाता है। सी. 3 (v) तलचर में 202 क्वार्टरों का 344 क्वार्टरों भारी पानी संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) के साथ आदान-प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त 344 क्वार्टरों में से ए श्रेणी के 296 क्वार्टर टीएफएल (तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड) द्वारा ध्वस्त किए गए हैं और बी, सी और डी श्रेणी के केवल 48 क्वार्टर अब अस्तित्व में हैं। एचडब्ल्यूपी के साथ क्वार्टरों के आदान-प्रदान के लिए और टीएफएल द्वारा क्वार्टरों को ध्वस्त करने के कारण कंपनी द्वारा कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की जाती है।
7. Attention is invited to note no. C. 3(v) at Talcher 202 quarters were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP). Further out of above 344 quarters, 296 A type of quarter are demolished by TFL (Talcher Fertilizer Limited) and only 48 quarters of B, C & D category are in existence now. No adjustment entry for exchange of quarters with HWP and on account of demolition of quarters by TFL is accounted for by the company.
8. जैसा कि नोट संख्या 1 में कहा गया है। (ख) यदि हां, तो पक्षकारों की एमएसएमई स्थिति कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। अतः एमएसएमई को देय राशि का पता नहीं लगाया
8. As stated in note no. F.7, MSME status of the parties is not available with the company. Therefore, an amount due to

जा सकता है।
उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं
किया गया है।

MSME is not ascertainable.

Our opinion is not modified in respect of the
above matters.

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए
जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में
शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय
विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं
है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को
कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का
आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। हमारे लेखा परीक्षा के
संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, हमारी जिम्मेदारी अन्य
जानकारी को पढ़ना है जब यह हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है
और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या
हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप
से गलत प्रतीत होता है।

जब हम ऐसी अन्य जानकारी पढ़ते हैं जो हमें उपलब्ध कराई
जाती है और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई
गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को उन लोगों तक पहुँचाना
आवश्यक है जिन पर शासन का प्रभार है। हमारे पास इस संबंध में
रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

Other Matters

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon

The Company's Board of Directors is
responsible for the preparation of the other
information. The other information comprises
the information included in the company's
Annual Report but does not include the
standalone financial statements and our
auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial
statements does not cover the other information
and we do not express any form of assurance
conclusion thereon. In connection with our
audit of the standalone financial statements,
our responsibility is to read the other
information when it becomes available to us
and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the
standalone financial statements or our
knowledge obtained during the course of our
audit or otherwise appears to be materially
misstated.

When we read such other information as and
when made available to us and if we conclude
that there is a material misstatement therein,
we are required to communicate the matter to
those charged with governance. We have
nothing to report in this regard.

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और वित्तीय विवरणों के लिए शासन के साथ आरोप लगाए गए

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, आईएनडी एस और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, (i) अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित सभी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उपयुक्त का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है कि वह एक चिंता का विषय के रूप में जारी रहे, जैसा लागू हो, चिंता का विषय बनने से संबंधित मामलों का खुलासा करे और लेखांकन के चिंता के आधार का उपयोग न करे जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

Responsibilities of the Management and those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the IND AS and accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act, 2013. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक भौतिक गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक भौतिक गलत बयान का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण पर ओवरराइड शामिल हो सकता है।

realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override on internal control.

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या कोई सामग्री अनिश्चित रूप से घटनाओं या स्थितियों से संबंधित मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी एक चिंता के रूप में जारी रखने के लिए संघर्ष कर सकती है।
- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है,
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Act, We are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosure are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of

जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

- हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिन पर शासन का आरोप लगाया गया है, अन्य मामलों के साथ, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- हम शासन के प्रभारी लोगों को एक बयान के साथ भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए, जिन्हें यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, हम "अनुलग्नक ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters, that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act 2013, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in Paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by Section 143(3) of the Act, based on audit we report that:

- क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे, योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों और हमारे ऑडिट के जोर अनुभाग के मामलों को छोड़कर।
- ख) योग्य राय और पदार्थ पैराग्राफ के जोर के आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है, जहां तक तलचर और रामागुंडम इकाइयों को छोड़कर उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, जहां एक लेखा सॉफ्टवेयर की मदद से खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के बजाय, पुस्तकों को एक्सेल स्प्रेड शीट पर रखा जाता है, और सिंदरी इकाई में खाते की पुस्तकों को सहायक अभिलेखों के रखरखाव के बिना वर्ष के अंत (मार्च 2024 के एम/ओ में) फिर से लिखा जाता है।
- ग) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, अन्य व्यापक आय सहित, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह विवरण योग्य राय और मैटर पैराग्राफ के जोर के आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ समझौते में हैं।
- घ) उपरोक्त योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामला, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- च) योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में उल्लिखित मामलों के प्रभाव के अधीन, हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा
- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except the matters described in the basis for qualified opinion and matters of emphasis section of our audit.
- b) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books except at Talcher and Ramagundam units, where instead of maintaining the books of accounts with the help of an accounting software, books are maintained on excel spread sheet, and at Sindri unit books of account are rewritten at the year end (m/o march 2024) without maintenance of subsidiary records.
- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, including other comprehensive income, Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs.
- d) The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
- e) Subject to the effects of the matters mentioned in the Basis for Qualified Opinion section, in our opinion the aforesaid Financial Statement comply with

मानकों का अनुपालन करते हैं, जो कंपनी (खाते) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, सिवाय इंडस्ट्रीज़ एएस के प्रस्थान के ऊपर योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर रिपोर्ट किया गया।

the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 except departure of Ind AS reported in the basis for qualified opinion paragraph above.

छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसरण में, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2), सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होती है।

f) In pursuance to the Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors, is not applicable to the Company, being a Government Company.

ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".

झ) हमारी परीक्षा के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल है, कंपनी केंद्रीय कार्यालय, सिंदरी, गोरखपुर और कोरबा इकाइयों में लेखांकन सॉफ्टवेयर (टैली प्राइम) का उपयोग कर रही है, हालांकि सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा है, हालांकि सुविधा सक्षम नहीं थी, इसलिए संपादन लॉग सुविधा पूरे वर्ष संचालित नहीं हुई थी।

h) Based on our examination, which includes test checks, company is using accounting software (Tally Prime) at Central Office, Sindri, Gorakhpur and Korba Units, although the software is having feature of audit trail (edit log) however the feature was not enabled, hence the edit log feature was not operated throughout the year.

3. अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, निदेशकों को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं

3. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act: As per notification number G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, section 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Company, since it is a Government Company. The Ministry of Corporate Affairs has not prescribed other details under Section 197(16) of the Act

किए हैं, जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी की जानी आवश्यक है।

4. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

क) कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है; और

ख) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भौतिक दूरदर्शी नुकसान था; और

ग) ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

घ) कंपनी के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है (नोट नंबर जी (ix) देखें), कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से सामग्री है) को कंपनी द्वारा उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से), विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्था (ओं) को या इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा, ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों

which are required to be commented upon by us.

4. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a) The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as on 31st March, 2024; and

b) The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

c) There have been no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

d) The Management of the Company has represented (Refer note no.G (ix)), that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company, to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company

की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करेगा।

च) कंपनी के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है (नोट संख्या जी(ix)) देखें कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (ओं) या संस्था (ओं) से कोई धन (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थियों") की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की पेशकश करेगी।

छ) हमारे द्वारा की गई परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत दिए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

5. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक - सी" में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक विवरण देते हैं।

, ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

e) The Management of the Company, has represented (Refer note no. G.(ix)) that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company , shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

f) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances performed by us, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

5. As required under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure - C", a statement on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

एम वर्मा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन 501433सी के लिए

ह0/

मोहेंद्र गांधी (पार्टनर)

कार्यालय संख्या 088396

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08-08-2024

यूडीआईएन : 24088396BKFXCG8651

For M VERMA & ASSOCIATES

Chartered Accountants

FRN 501433C

sd/-

MOHENDER GANDHI

(Partner)

M.No.088396

Place: New Delhi

Date: 08-08-2024

UDIN: 24088396BKFXCG8651

अनुलग्नक 'ए'

अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट।

पैराग्राफ 1 में हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत संदर्भित।

(i)

1. A. कंपनी मात्रात्मक ब्यौरे और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाने वाले रिकार्ड नहीं रख रही है।
2. कंपनी अमूर्त परिसम्पत्तियों का पूरा ब्यौरा दर्शाने वाला रिकार्ड नहीं रख रही है।

(ख)

- हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार, सिंदरी इकाई में कंपनी के पास 6548 निर्मित क्वार्टर हैं और यूनिट द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार 3260 क्वार्टर अनधिकृत रूप से कब्जेदारों द्वारा कब्जा किए गए हैं अर्थात् इन क्वार्टरों का भौतिक कब्जा और नियंत्रण कंपनी के पास नहीं है। तथापि, लेखा बहियों में किसी समायोजन का लेखा-जोखा नहीं रखा गया है क्योंकि कंपनी ने सार्वजनिक परिसर बेदखली (पीपीई) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके कारण किसी हानि की आशा नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, अद्यतन वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सिंदरी में 2747 एकड़ भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है और सार्वजनिक परिसर बेदखली (पीपीई) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और

Annexure 'A'

Report on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the Companies (Auditors' Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of section 143(11) of the Act.

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

(I)

1. The company is not maintaining records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
2. The company is not maintaining record showing full particulars of Intangible Assets.

b)

- As per records and information provided to us, at Sindri Unit company is holding 6548 built quarters and as per verification conducted by the Unit 3260 quarters are unauthorizedly occupied by the occupants i.e. physical possession and control of these quarters are not with the company. However, no adjustment has been accounted for in the books of accounts as the company has initiated action under Public Premises Eviction (PPE) Act and expect no loss on account of this.
- Further at Sindri as per explanation provided to us according to latest physical verification report 27.47 acres of land has been unauthorizedly occupied and action under Public Premises Eviction (PPE) Act has been initiated and no loss expected by the company, hence no adjustment has been

कंपनी को किसी हानि की संभावना नहीं है, इसलिए इस संबंध में कंपनी द्वारा किसी समायोजन का लेखा-जोखा नहीं रखा गया है।

- 31-03-2024 को 91.22 लाख रुपये की राशि "उपयोग में नहीं आने वाली या बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" भौतिक रूप से सत्यापित नहीं है।
- कोरबा में सत्यापन के दौरान यूनिट का अवलोकन किया गया है उस कंपनी का रेल ट्रैक गायब है, तथापि, कंपनी द्वारा हानि की मात्रा का पता नहीं लगाया गया है, इसलिए इसे लेखा बहियों में समायोजित नहीं किया गया है।
- तलचर में 202 क्वार्टरों का 344 क्वार्टरों भारी पानी संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) के साथ आदान-प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त 344 क्वार्टरों में से ए श्रेणी के 296 क्वार्टर टीएफएल द्वारा ध्वस्त किए गए हैं और बी, सी और डी श्रेणी के केवल 48 क्वार्टर अब अस्तित्व में हैं। एचडब्ल्यूपी के साथ क्वार्टरों के आदान-प्रदान के लिए और टीएफएल द्वारा क्वार्टरों को ध्वस्त करने के कारण कंपनी द्वारा कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की जाती है।

ग) हमें प्रदान किए गए पुष्टिकरण और प्रमाणपत्रों के अनुसार, स्वामित्व वाली सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं। हालाँकि, हमारी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

1. जैसा कि गोरखपुर में हमारी रिपोर्ट में कहा गया है, यूपी सरकार के आदेश के अनुसार 268.335 एकड़ भूमि डीएम गोरखपुर के नियंत्रण में रखी गई है। इसके अतिरिक्त, 49 एकड़ भूमि पर निमत 215 क्वार्टरों को गिराने के बाद सैनिक स्कूल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से किया जाता है। चूंकि उपर्युक्त भूमि का स्वामित्व अब कंपनी के पास नहीं है, लेकिन यह अभी भी कंपनी की

accounted for by the company in this regard.

- "Assets not in use or held for sale" amounting to Rs. 91.22 lakhs as on 31-03-2024 are not physically verified.
- At Korba during the course of verification Unit has observed that company's railway track is missing, however the quantum of loss has not been ascertained by the company therefore not adjusted in the books of accounts.
- At Talcher 202 quarters were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP). Further out of above 344 quarters, 296 A type of quarter are demolished by TFL and only 48 quarters of B, C & D category are in existence now. No adjustment entry for exchange of quarters with HWP and on account of demolition of quarters by TFL is accounted for by the company.

c) As per confirmation and certificates provided to us, title deeds of all the immovable properties owned are held in the name of the company. However, our observations are as follows:

1. As stated in our report at Gorakhpur, as per order of the UP Govt. 268.335 Acres of land is put under the control of DM Gorakhpur. Further out of above, after demolishing 215 quarters constructed on land measuring 49 acres, Sainik School is constructed with the order of UP Govt. As ownership of the above stated land is now not with the Company, but the same is still

संपत्ति के रूप में दिखाई दे रहा है और उपर्युक्त भूमि के कारण नुकसान का पता नहीं लगाया गया है और कंपनी द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

appearing as company's property and loss on account of above stated land has not been ascertained and provided by the Company.

2. तलचर में 0205 एकड़ भूमि जो कंपनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं और इसके लिए करार अभी निष्पादित किया जाना है।

2. At Talcher, 0.205 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet to be completed and the agreement for same is still to be executed.

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

d) The company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.

च) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ लंबित नहीं है।

e) No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2024 for holding any Benami property under The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made there under.

(ii)

क) हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और सूचना के अनुसार, चूंकि इकाइयां बंद हैं, सिंदरी संयंत्र में प्लेटिनम की इन्वेंट्री के अलावा कोई इन्वेंट्री नहीं है, जिसकी कीमत 174.79 लाख रुपये है। हालाँकि, हमारी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

(ii)

a) As per records and information provided to us, as the units are closed there is no inventory except inventory of Platinum at Sindri plant valued at Rs.174.79 Lakhs. However, our observations are as follows:

1. एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से कंपनी ने फ्लाई ऐश की बेहिसाब सूची को 1307 लाख रुपये में बेचने के लिए एक समझौता किया है। समझौते की शर्तों के अनुसार खरीदार को 3 किश्तों में राशि का भुगतान करना होगा, 31-03-2024 तक खरीदार ने 2 किश्तों में 876 लाख रुपये जमा किए हैं यानी (समझौते मूल्य का 67%) जिसे अन्य आय के रूप में माना गया है। तीसरी किश्त की शेष राशि 431 लाख रुपये (33%) खरीदार द्वारा 18-07-2024

1. Company through MSTC Ltd. has entered into an agreement for the sale unaccounted inventory of fly ash for Rs. 1307 Lakhs. As per terms of the agreement the buyer has to pay the amount in 3 instalments, till 31-03-2024 buyer has deposited Rs. 876 Lakhs in 2 instalments i.e. (67% of the agreement value) which have been accounted for as other income. Balance amount of 3rd instalment Rs. 431 Lakhs (33%) is to be deposited by the buyer on or before 18-07-

को या उससे पहले जमा की जानी है, जिसका कंपनी द्वारा 31-03-2024 तक कोई हिसाब नहीं दिया गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी द्वारा बनाए गए इन्वेंट्री रिकॉर्ड वर्ष के दौरान और साथ ही अंत में कम हैं। नोट नंबर देखें। एफ.10)

2024 which has not been accounted for by the company as on 31-03-2024. This shows that inventory record maintained by the company are deficient during the year as well as at the end of the year. (Refer note no. F.10)

2. सिंदरी इकाई में प्लेटिनम के माल, सोने के रसायनों और प्रयोगशाला बर्तनों की 2583.04 ग्राम की बेहिसाब सूची दर्ज की गई है। उपरोक्त के अलावा प्लेटिनम के बर्तनों, स्वर्ण रसायनों और प्रयोगशाला बर्तनों यानी 221.40 ग्राम, 524.44 ग्राम और 433.68 ग्राम की बेहिसाब सूची क्रमशः गोरखपुर, तालचेर और रामागुंडम इकाइयों से सिंदरी इकाई में स्थानांतरित की गई है। उपर्युक्त मालसूची के मूल्य का पता नहीं लगाया गया है और कंपनी द्वारा लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी द्वारा बनाए गए इन्वेंट्री रिकॉर्ड वर्ष के दौरान और साथ ही वर्ष के अंत में कम हैं। रिकॉर्ड न किए गए/बेहिसाब उच्च मूल्य वाली इन्वेंट्री मदों के अवलोकन से पता चलता है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखरखाव में कमी है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

2. Unaccounted inventory of Platinum wares, Gold chemicals and laboratory utensils measuring 2583.04 gm has been reported at Sindri unit. In addition to above unaccounted inventory of Platinum wares, Gold chemicals and laboratory utensils i.e. 221.40 gm, 524.44gm and 433.68 gm has been transferred from Gorakhpur, Talcher and Ramagundam Units respectively to Sindri Unit. Value of above stated inventory has not been ascertained and recorded in the books of accounts by the company. This shows that inventory record maintained by the company are deficient during the year as well as at the end of the year. Observances of unrecorded /unaccounted high value inventory items reflect that inventory record maintenance are deficient and needs to be strengthened.

ख) कंपनी को वर्तमान परिसंपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है, इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

b) The Company has not been sanctioned any working capital limits in excess of Rs. 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current asset, hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। हालांकि, जैसा कि नोट संख्या बी .12 में कहा गया

(iii) According to the information and explanations given to us, during the year, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability

हैएफसीआईएल की बंद इकाइयों का पुनरुद्धार भारत सरकार के निर्णय के अनुसार भारत सरकार के नामित पीएसयू के माध्यम से एक पुनर्वास योजना अनुमोदित की गई थी और इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों को निगमित किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनियों और एफसीआईएल के बीच निष्पादित करारों की शर्तों के अनुसार, अवसर लागत, उपयोग योग्य परिसंपत्तियों और संबंधित अवसंरचना सहित सुविधा क्षेत्र के संबंध में रियायत प्रदान करने के विचार में एफसीआईएल वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करते समय संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी का कुछ प्रतिशत प्राप्त करेगी। यद्यपि रामागुंडम, गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया गया है अभी तक केवल रामागुंडम इकाई के लिए इक्विटी जारी की गई है जिसे कंपनी का निवेश माना गया है। हमारी राय है कि इसके नियम और शर्तों कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं। चूंकि वर्ष के दौरान कोई प्रत्यक्ष निवेश/निवेश नहीं हुआ है, इसलिए आदेश के खंड 3(iii)(a) से 3(iii)f के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

Partnerships or any other parties. However, as stated in note no B.12 for the revival of closed units of FCIL as per the decision of Govt. of India a rehabilitation scheme was approved through Govt. of India's nominated PSUs and Joint Venture companies were incorporated for the revival of units. As per terms of agreements executed between Joint Venture companies and FCIL, in consideration of FCIL granting the concession in regard to facility area including opportunity cost, usable assets and related infrastructure the FCIL will get certain percentage of equity in the Joint Venture companies at the time of commencement of commercial production. Although the commercial production has already been commenced at Ramagundam, Gorakhpur and Sindri Units, so far equity has been issued for Ramagundam Unit only which has been treated as investment of the company. We are of the opinion that terms and condition of the same are not prejudicial to the company's interest. Since there is no direct investment/investment during the year, reporting under clause 3(iii)(a) to 3(iii)f of the Order is not applicable.

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है जो अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत आते हैं।

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given loans, made investments or given guarantees which are covered by the provisions of Section 185 and 186 of the Act.

(v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(v) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposit or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

(vi) आदेश के खंड 3 (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है, क्योंकि सभी इकाइयां बंद हैं और पिछले वर्ष से कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

(vi) Reporting under clause 3(vi) of the Order is not applicable, as all units are closed and no production since previous year.

(vii)

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाते की पुस्तकों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी आमतौर पर निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है, कुछ देरी के अधीन, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और कोई अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय समुचित प्राधिकारियों के पास। भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी, 31 मार्च, 2024 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वैधानिक बकाया राशि जो 31.03.2024 तक विवाद के कारण जमा नहीं की गई है, इस प्रकार है:-

(vii)

a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few delays, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income-Tax, Sales Tax, Service Tax, Duty of Custom, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities. No undisputed amount payable in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Duty of Custom, Duty of Excise, Value Added Tax and Cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31st march, 2024 for a period of more than six months from the date they become payable.

b) According to information and explanation given to us, statutory dues which have not been deposited on account of dispute as on 31.03.2024 are as follows:-

Name of the Statute कानून का नाम	Nature of dues बकाया राशि की प्रकृति	Amount (Rs. in Lakhs) राशि (लाख रुपए में)	Period to which amount relates अवधि जिससे राशि संबंधित है	Forum where dispute is pending फोरम जहां विवाद लंबित है
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	Sales Tax (Gorakhpur) बिक्री कर (गोरखपुर)	0.41	1979-80	High Court, Allahabad उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	Sales Tax (Gorakhpur) सेल्स टैक्स (गोरखपुर)	0.32	1981-82	High Court, Allahabad उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	Sales Tax (Marketing) बिक्री कर (विपणन)	24.89	N.A	Asstt. Comm. Of Sales Tax, Patna सहायक। कॉम। बिक्री कर विभाग, पटना
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	Sales Tax (Marketing) बिक्री कर (विपणन)	24.00	N.A	Asstt. Comm. Of Sales Tax, Patna

				सहायक। कॉम। बिक्री कर विभाग, पटना
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	5.42	1983-84	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	1.73	1985-86	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	5.08	1987-88	JCCT, Dhanbad बिक्री कर अधिनियम
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	0.14	1991-92	JCCT, Dhanbad बिक्री कर अधिनियम
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	0.38	1991-92	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	54.93	1991-92	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	6.47	1991-92	ACCT, Ranchi एसीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	0.99	1991-92	ACCT, Ranchi एसीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	0.09	1992-93	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	0.91	1992-93	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	74.38	1992-93	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	5.37	1992-93	CCCT, Ranchi सीसीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	0.13	1993-94	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	2.85	1993-94	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act	CST(Sindri)	75.87	1993-94	JCCT, Dhanbad

बिक्री कर अधिनियम	सीएसटी (सिंदरी)			जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	29.37	1994-95	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	61.02	1994-95	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	104.03	1994-95	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	0.93	1994-95	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	15.05	1995-96	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	6.08	1995-96	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	26.71	1995-96	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	1.50	1995-96	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	2.56	1995-96	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	8.83	1996-97	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	12.89	1996-97	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	1.72	1996-97	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	13.42	1997-98	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	0.48	1997-98	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद

Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	0.63	1997-98	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	25.91	1998-99	JCCT, Dhanbad जेसीसीटी, धनबाद
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	0.90	1998-99	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	29.30	1999-00	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	45.50	1999-00	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	0.27	1999-00	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	667.23	2000-01	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	462.25	2000-01	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	102.65	2000-01	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	94.95	2001-02	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	304.36	2001-02	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	4.67	2002-03	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	5.08	2002-03	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	55.89	2002-03	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	38.98	2002-03	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची

Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	BST(Sindri) बीएसटी (सिंदरी)	15.56	2003-04	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	CST(Sindri) सीएसटी (सिंदरी)	57.76	1993-94	CCT, Ranchi सीसीटी, रांची
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	Sales tax (Talchar) बिक्री कर (तलचर)	1.12	1991-92	Astt. Com. Of Sales Tax, Cuttack, Odisha
Sales Tax Act बिक्री कर अधिनियम	Sales tax (Talchar) बिक्री कर (तलचर)	1.15	1991-92	Astt. Com. Of Sales Tax Cuttack, Odisha
Nagar Nigam नगर निगम	Property Tax (Korba) मालमत्ता कर (कोरबा)	82.20	2017-18	Local Authority स्थानीय प्राधिकरण
M.P. govt. forest growth compensation म.प्र. शासन वन विकास मुआवजा	Compensation (Korba) मुआवजा (कोरबा)	8.66	1975-76	Not yet deposited अभी तक जमा नहीं किया गया है
Local Authority (Korba) स्थानीय प्राधिकरण (कोरबा)	Land Revenue भू-राजस्व	3.52	2002-03	Not yet deposited अभी तक जमा नहीं किया गया है
Income Tax Act स्थानीय प्राधिकरण (कोरबा)	Corporate Income Tax कॉर्पोरेट आयकर	9747.65	2017-18	Delhi High Court दिल्ली उच्च न्यायालय
Income Tax Act आयकर अधिनियम	Corporate Income Tax कॉर्पोरेट आयकर	644.21	2021-22	(CIT Appeal) (सीआईटी अपील)
EPFO ई.पी.एफ.ओ	EPFO Surcharge Demand Sindri Ramagundam	131.82* 43.51	2022-23	EPFO ईपीएफओ
	EPFO सरचार्ज डिमांड सिंदरी रामागुंडम			

*Include Rs. 84.29 Lakhs of amount held in the bank account seized by EPFO.

* ईपीएफओ द्वारा जब्त बैंक खाते में रखी गई 84.29 लाख रुपये की राशि शामिल है।

- (viii) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निधरिण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यपत अथवा प्रकट की गई पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं हुआ था।
- (viii) There were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
- (ix) क) इसलिए कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है; किसी ऋणदाता से ऋण अथवा अन्य उधारों के पुनर्भुगतान अथवा उन पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ix) a) The Company has not availed any loans therefore; there is no default in repayment of loans or other borrowings or in payment of interest thereon from any lender. Hence reporting under clause 3(ix)(a) of the Order is not applicable.
- ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- b) The Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender. Hence reporting under clause 3(ix)(b) of the Order is not applicable.
- ग) कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- c) The Company has not taken any term loan hence, reporting under clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.
- घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी द्वारा कोई अल्पकालिक धन नहीं जुटाया जाता है, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- d) On an overall examination of the financial statements of the Company, no short term funds are raised by the company, therefore reporting under clause 3(ix)(d) of the Order is not applicable.
- च) हमें प्रदान किए गए रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्व को पूरा करने के लिए या किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- e) On an overall examination of the records and explanation provided to us, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligation of its subsidiaries, associates or joint ventures, hence reporting under clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable.

- | | |
|--|--|
| <p>छ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।</p> | <p>f) The Company has not raised any loan during the year, hence reporting under clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.</p> |
| <p>(x)
क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (एक्स) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।</p> | <p>(x)
a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year, hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.</p> |
| <p>ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (एक्स) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।</p> | <p>b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally), hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable</p> |
| <p>(xi)
क) हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।</p> | <p>(xi)
a) As per explanation and information provided to us no fraud by the Company and no fraud on the Company has been noticed or reported during the year.</p> |
| <p>ख) हमें प्रदान की गई जानकारी, रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत रिपोर्टिंग को फॉर्म एडीटी -4 पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।</p> | <p>b) As per information, record and explanation provided to us no fraud by the company or on the company is noticed or reported by the company therefore reporting under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act is not required to be reported on Form ADT-4.</p> |
| <p>ग) हमें प्रदान की गई स्पष्टीकरण, सूचना और रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई व्हिस्ल ब्लोअर शिकायत/संचार प्राप्त नहीं हुआ।</p> | <p>c) As per explanation, information and record provided to us no whistle blower complaint / communication received during the year by the company.</p> |

- (xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xii)(क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xii) The Company is not a Nidhi Company, hence reporting under clause (xii)(a),(b) and (c) of the Order is not applicable.
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और जिनके विवरण का खुलासा किया गया है लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्य।
- (xiii) In our opinion and according to the information and explanation give to us, all the transactions with the related parties entered into by the company are in compliance with Sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details of which have been disclosed in the standalone financial statements, as required by the applicable accounting standards.
- (xiv) क) वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।
- (xiv) a) Internal audit has not been conducted during the year.
- ख) इसलिए वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई है; रिपोर्ट हमारे विचार के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- b) Internal audit has not been conducted during the year therefore; reports are not available for our consideration.
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xv) According to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected to its directors and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xvi) Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a),(b),© and (d) of the Order is not applicable.
- (xvii) कंपनी ने हमारे ऑडिट और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान नकद नुकसान नहीं उठाया है,
- (xvii) Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the

इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

immediately preceding financial year, hence, reporting under clause 3(xvii) of the Order is not applicable.

(xviii)

वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xviii)

There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year. Hence, reporting under clause 3(xviii) of the Order is not applicable.

(xix)

वित्तीय अनुपातों, वृद्धावस्था और वित्तीय आस्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख को मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं।

(xix)

On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा और जब वे देय हो जाएंगे।

We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

(xx)

क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है,

(xx)

a) There are no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility for other than ongoing projects requiring a transfer

जिसमें उक्त अधिनियम की मंजूरी की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरण अपेक्षित है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (XX) (ए) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

to a fund specified in schedule VII to the Companies Act in compliance with second proviso to sub section (5) of sanction 135 of the said act. Accordingly, reporting under clause 3 (XX)(a) of the order is not applicable for the year.

ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में और चालू वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी कोई अव्ययित शेष राशि नहीं थी जिसमें उक्त अधिनियम की मंजूरी की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में किसी विशेष खाते में अंतरण अपेक्षित हो।

b) In respect of ongoing projects, there was no unspent balance at the end of the previous financial year and at the end of current financial year requiring a transfer to a special account in compliance with provision of sub-section (6) of sanction 135 of the said act.

(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(xxi) The Company is not required to prepare consolidated Financial Statement. Hence Reporting under Clause 3(xxi) of the order is not applicable for the year.

एम वर्मा & एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन के लिए – 501433 सी

For M Verma & Associates
Chartered Accountants
FRN – 501433C

ह0/-
मोहेन्द्र गांधी
हिस्सेदार
एम नंबर 088396

Sd/-
Mohender Gandhi
Partner
M. No. 088396

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08-08-2024
यूडीआईएन: 24088396BKFXCG8651

Place: New Delhi
Date: 08-08-2024
UDIN: 24088396BKFXCG8651

अनुलग्नक – 'बी'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

मै0 दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल) के सदस्यों को पैराग्राफ 3 (जी) के भाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2024 तक दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपनी संपत्ति के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

Annexure – 'B'

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

Referred to in paragraph 3(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of the Members of The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) of even date.

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) ("the Company") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Managements' Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal controls over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपना ऑडिट किया (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की संख्या और लेखापरीक्षा मानक के अंतर्गत निर्धारित मानक के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की संख्या और लेखा परीक्षा मानक के अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक रूप से अनुपालन करते हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे आंतरिक वित्तीय पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं; कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण प्रणाली।

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standard on Auditing prescribed under section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those standards and the Guidance Note require that we comply with ethical adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial; controls system over financial reporting of the Company.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं।

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों के अनुपालन की डिग्री या प्रक्रियाएं बिगड़ सकती हैं।

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Limitations of Internal Financial Controls

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal controls over financial reporting to future period are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और केंद्रीय कार्यालय और इकाइयों में हमारे ऑडिट के आधार पर और आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर; इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है, निम्नलिखित कमजोरियों/आंशिक रूप से प्रभावी नियंत्रणों की पहचान 31-03-2024 तक की गई है:

1. कंपनी के खातों के रखरखाव से संबंधित विभिन्न भौतिक पहलुओं के संबंध में केवल वर्ष के अंत में लेखांकन या लेखांकन में काफी विलंब देखा गया है। खातों के रखरखाव में देरी या केवल वर्ष के अंत में प्रविष्टियों को रिकॉर्ड करना, कंपनी के खाते पर भौतिक प्रभाव कमजोर / अनुपस्थित वित्तीय नियंत्रण दिखा रहा है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं,
- क) बैंकों द्वारा मियादी जमा ब्याज पर काटे गए टीडीएस का लेखा-जोखा नियमित आधार पर करने के बजाय वर्ष के अंत में ही किया जाता है। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में अर्जित बैंक ब्याज और टीडीएस (परिसंपत्ति) की कम रिपोर्टिंग हुई है।
- ख) इकाइयों और सीओ में रखे गए जीएसटी के खातों का मिलान केवल वर्ष के अंत में किया जाता है। उचित आवधिक अंतरालों पर जीएसटी खातों का मिलान न करने और वर्ष के अंत में ही मिलान करने के परिणामस्वरूप केवल वर्ष के अंत में विभिन्न प्रविष्टियों का लेखा-जोखा हो गया है, जो कमजोर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

Qualified Opinion

According to the information and explanation given to us and based on our audit at Central Office and Units and based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control; stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India following weaknesses / partially effective controls have been identified as at 31-03-2024:

1. Considerable delay in accounting or accounting at the year end only has been observed in respect of various material aspects relating to the maintenance of accounts of the Company. Delay in the maintenance of accounts or recording the entries at the year-end only, having material impact on the Company's account is showing weak/absent financial control. Some of the instances are stated below,
- b) TDS deducted by the banks on term deposit interest has been accounted for at the year end only instead of accounting the same at the regular basis. Above has resulted into under reporting of bank interest earned and TDS (asset) throughout the year.
- c) Accounts of GST maintained at Units and C.O are reconciled at the year end only. Non reconciliation of GST accounts at reasonable periodic intervals and reconciliation at the year end only has resulted into accounting of various entries at the year end only, which indicate weak internal financial controls.

2. सिंदरी, तलचर, गोरखपुर और रामागुंडम इकाइयों में फ्लाई ऐश, प्लेटिनम के बर्तन, सोने के रसायनों और प्रयोगशाला के बर्तनों आदि की बेहिसाब सूची की सूचना मिली है। यूनिटों में महत्वपूर्ण राशियों की बेहिसाब मालसूची का पालन अपूर्ण/गैर-मौजूद इन्वेंट्री रिकॉर्ड और कमजोर/अपर्याप्त/गैर-मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को दर्शाता है।

3. सिंदरी में

क) खातों अर्थात् हाथ में नकदी और मार्गस्थ नकदी के मिलान में काफी विलंब देखा गया है और खातों का मिलान केवल वर्ष के अंत में ही किया गया था।

ख) वर्ष के दौरान यूनिट ने खातों के रखरखाव को डी बेस (पुराने डाउन सॉफ्टवेयर) नामक सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर अर्थात् टैली में स्थानांतरित कर दिया है। यह देखा गया है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए सभी लेखा प्रविष्टियों का हिसाब मार्च 2024 में केवल नए सॉफ्टवेयर में रखा गया है। बैकअप और व्यवसाय निरंतरता योजना भी अस्तित्व में नहीं थी जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कमी का संकेत देती है।

ग) तृतीय पक्ष रिपोर्ट/इस बात की पुष्टि उपलब्ध नहीं है कि नए सॉफ्टवेयर की सहायता से रखी गई पुस्तकें पूर्व के सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखे गए रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हैं।

घ) ऋण और अग्रिम, विविध देनदार, विविध लेनदार आदि के लिए सहायक रिकॉर्ड/उप खाता लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं रखा जाता है। अतः पक्षवार देय/प्राप्य की यथार्थता तथा देय/प्राप्य की आयु का पता लगाने में असमर्थ।

2. Unaccounted inventory of fly ash, Platinum wares, gold chemicals and laboratory utensils etc. has been reported at Sindri, Talcher, Gorakhpur and Ramagundam Units. Observance of unaccounted inventory of significant amounts at Units reflects deficient / non-existent inventory records and weak / inadequate / non-existent internal financial controls.

At Sindri

a) Significant delay in reconciliation of accounts viz cash in hand and cash in transit has been observed and accounts were reconciled at the year end only.

b) During the year Unit has shifted maintenance of accounts from software named D Base (old down software) to new software viz. Tally. It has been observed that all accounting entries for the period April 2023 to March 2024 are accounted for in March 2024 only in the new software. Backup and business continuity plan was also not in existence which indicate deficiency in the internal financial controls.

c) 3rd party report/confirmation that the books maintained with help of new software are inconformity with the record maintained through earlier software is not available.

d) Subsidiary records/sub ledger for e.g. Loans and Advances, Sundry Debtors, Sundry Creditors etc. are not maintained through accounting software. Therefore, unable to ascertain the accuracy of party wise payable/receivable and age of payable/receivable.

4. रामागुंडम और तलचर में ऑटो बैलेंसिंग, सेल्फ रिंकसिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के बजाय एक्सेल स्प्रेड शीट की मदद से रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। उपर्युक्त इकाइयों के वित्तीय आंकड़े एक्सेल स्प्रेडशीट के माध्यम से संकलित किए जाते हैं। खातों की उचित बहियों का रखरखाव न करना आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कमी को दर्शाता है।
5. ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) पूरे वर्ष संचालित नहीं किया गया था।
हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धियों पर ऊपर वर्णित कमजोरियों के संभावित प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक संबंध में, वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय विवरण के संदर्भ में इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, 2024, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर; **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग** पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शनी नोट में कहा गया है।
4. At Ramagundam and Talcher records are maintained with the help of excel spread sheet instead of maintaining the books of accounts with the help of auto balancing , self reconciling accounting software. Financial data of above stated units are compiled through excel spreadsheet. Non maintenance of proper books of accounts depicts the deficiency in internal financial controls.
5. Audit trail (edit log) was not operated throughout the year.
In our opinion, except for the possible effect of the weaknesses describe above on the achievements of the objectives of the control criteria, the company has maintained, in all material respect, adequate internal financial control with respect to the financial statements and such internal financial controls with reference to financial statement were operating effectively as at March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control; stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

हमने कंपनी के 31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट टेस्ट की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई कमजोरियों पर विचार किया है, और ये कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरण पर हमारी राय को प्रभावित करती हैं जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) के तहत हमारी ऑडिट रिपोर्ट के पैराग्राफ "योग्य राय के लिए आधार" खंड में बताया गया है

We have considered the weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing and extent of audit test applied in our audit for the year ended on 31-03-2024 standalone financial statements of the company, and these weaknesses do effect our opinion on the financial statement of the company as reported in paragraph "Basis for Qualified Opinion" section of our audit report under section 143(3) of the Companies Act 2013

एम वर्मा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन - 501433 सी

For M Verma & Associates
Chartered Accountants
FRN - 501433C

ह0/-
मोहेंद्र गांधी
पार्टनर
एम नंबर 088396
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08-08-2024
यू डी आई एन : 24088396BKFXCG8651

sd/-
Mohender Gandhi
Partner
M. No. 088396

Place: New Delhi
Date: 08-08-2024
UDIN: 24088396BKFXCG8651

अनुलग्नक "सी"

भाग- I

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

Annexure "C"

Part-I

As required under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the directions issued by The Comptroller & Auditor General of India, we report that:

Sl. No.	Directions दिशा-निर्देश	Auditor's reply ऑडिटर का जवाब	Impact on financial statement वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1.	<p>Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.</p> <p>क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जा सकता है।</p>	<p>The company is maintaining its books of accounts at Central Office, Sindri, and Gorakhpur & Korba Unit with the help of accounting software Tally (Prime).</p> <p>कंपनी लेखा सॉफ्टवेयर टैली (प्राइम) की मदद से केंद्रीय कार्यालय, सिंदरी और गोरखपुर और कोरबा यूनिट में अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रख रही है।</p> <p>Further books of accounts at Talcher and Ramagundam Units are maintained on Excel spread sheets instead of maintaining the accounts with the help of auto balancing, self reconciling accounting software.</p> <p>इसके अतिरिक्त, तलचर और रामागुंडम इकाइयों में लेखा-बहियां ऑटो बैलेंसिंग, स्व-सामंजस्य लेखांकन सॉफ्टवेयर की सहायता से लेखों का रख-रखाव करने के बजाय एक्सेल स्प्रेड शीट पर रखी जाती हैं।</p> <p>Further at Sindri Unit, during the year maintenance of account are migrated from software called D-Base to Tally (Prime). As per records and information provided to us accounting entries to period April 2023 to March 2024 are accounted for in a lot at the year end / in the month of March 2024 only. As informed to us the earlier accounting software viz. D-Base was down and</p>	<p>Nil</p> <p>शून्य</p>

S I. No.	Directions दिशा-निर्देश	Auditor's reply ऑडिटर का जवाब	Impact on financial statement वित्तीय विवरण पर प्रभाव
		<p>accounts migrated to new software. System generated subsidiary records of sundry debtors, sundry creditors, Loans & Advances and other parties are not available for the year 2023-24 and this data is also maintained through Excel spreadsheet.</p> <p>इसके अतिरिक्त, सिंदरी यूनिट में वर्ष के दौरान लेखा रख-रखाव डी-बेस नामक सॉफ्टवेयर से टैली (प्राइम) में अंतरित किया जाता है। हमें प्रदान किए गए रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि की लेखांकन प्रविष्टियों का हिसाब केवल मार्च 2024 के महीने में वर्ष के अंत/में किया जाता है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, पूर्व लेखांकन सॉफ्टवेयर अर्थात् डी-बेस डाउन था और खाते नए सॉफ्टवेयर में माइग्रेट हो गए थे। विविध देनदारों, विविध लेनदारों, ऋण और अग्रिम और अन्य पार्टियों के सिस्टम जनित सहायक रिकॉर्ड वर्ष 2023-24 के लिए उपलब्ध नहीं हैं और यह डेटा भी बनाए रखा जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट के माध्यम से</p> <p>We have verified the accounts and transactions on random selection basis, although the deficient account maintenance and maintenance of accounts outside the IT system indicate significant weakness in the financial controls and any financial implication on account of these deficiencies has not been observed.</p> <p>हमने यादृच्छिक चयन आधार पर खातों और लेनदेनों का सत्यापन किया है, हालांकि आईटी प्रणाली के बाहर खातों का त्रुटिपूर्ण रखरखाव और रखरखाव वित्तीय नियंत्रणों में महत्वपूर्ण कमजोरी का संकेत देता है और</p>	

Sl. No.	Directions दिशा-निर्देश	Auditor's reply ऑडिटर का जवाब	Impact on financial statement वित्तीय विवरण पर प्रभाव
2.	<p>Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government Company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).</p> <p>क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हुआ है या ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं जो कंपनी द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण दिए गए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का समुचित रूप से हिसाब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।</p>	<p>इन कमियों के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया है।</p> <p>Based on the information and explanation provided to us no waiver / write-off of debts / loans / interest etc. have taken place during the year. Hence this clause is not applicable.</p> <p>हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर वर्ष के दौरान ऋण/ऋण/ब्याज आदि की कोई छूट/बट्टे खाते में डालने की घटना नहीं हुई है। अतः यह खंड लागू नहीं होता है।</p>	<p>Nil</p> <p>शून्य</p>
3.	<p>Whether funds (grants / subsidy etc.) received / receivable for specific</p>	<p>Not applicable. Based on the information and explanation provided to us, no funds</p>	<p>Nil</p>

Sl. No.	Directions दिशा-निर्देश	Auditor's reply ऑडिटर का जवाब	Impact on financial statement वित्तीय विवरण पर प्रभाव
	<p>schemes from Central / State Government or its agencies were properly accounted for / utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.</p> <p>क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाइए।</p>	<p>in the form of grant/subsidy etc. are received / receivable by the company during the year from Central / State Govt. or other agencies.</p> <p>लागू नहीं। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों से अनुदान/सब्सिडी आदि के रूप में कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं होती है।</p>	शून्य

For M Verma & Associates
Chartered Accountants
FRN – 501433C

Sd/-
Mohender Gandhi
Partner
M. No. 088396
Place: New Delhi
Date: 08-08-2024
UDIN: 24088396BKFXCG8651

एम वर्मा & एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए

एफआरएन - 501433सी

ह0/-
मोहेन्द्र गांधी
पार्टनर
एम नंबर 088396
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08-08-2024
यूडीआईएन : 24088396BKFXCG8651

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted audit of accounts of M/s The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) ("the Company"), for the year ended as at March 31, 2024, in accordance with the directions / sub directions issued by the CAG of India u/s 143 (5) of the Act, 2013 and certify that we have complied with all the directions / sub directions issued to us.

For M Verma & Associates
Chartered Accountants
FRN 501433C
Sd/-
Mohender Gandhi
(Partner)

M.NO. 088396
UDIN: 24088396BKFXCG8651

Place :New Delhi
Dated: 08.08.2024

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के सीएजी द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के खातों की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित किया है कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

एम वर्मा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 501433सी
ह/-
महेन्द्र गांधी
(पार्टनर)
सदस्यता सं: 088396
यूडीआईएन: 24088396BKFXCG8651

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक: 08.08.2024

**महा निर्देशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली**

Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi
गोपनीय

रिपोर्ट/2-272/डी. जी. ए./ सी. ई./ ए. एफ. & डब्ल्यू. आर) / A/cs/FCIL/2023-24/4336

दिनांक :- 22/11/2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,

पीडी आईएल भवन, (पांचवा ताल) ए- 14, सैक्टर-1,

नोएडा- 201301, जिला - गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

**विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत
दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।**

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ भेजी जा रही है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि

ह0/-

(संदीप लाल)

महानिदेशक लेखापरीक्षा,

केन्द्रीय व्यय

(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

**Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi
Confidential**

Report/2-272/DGA/ C.E./CE A.F. & W.R.) A/cs/FCIL/2023-24/4336

Dated :- 22/11/2024

To,

Chairman & Managing Director,
The Fertilizer Corporation of India Limited,
PDIL Bhawan, (5th Floor) A-14, Sector-1,
Noida- 201301, Dist. – Gautam Budh Nagar (U.P.)

Sub: Comments by the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 on the Financial Accounts of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2024.

Sir,

Along with this letter, comments are being sent on the financial accounts of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended March 31, 2024 under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013.

Please kindly send an acknowledgment of this letter.

Sincerely,

Sd/-
(Sandeep Lal),

Director General of Audit,
Central Expenditure
(Agriculture, Food & Water Resources)

Attached : as stated

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.

The preparation of financial statements of **The Fertilizer Corporation of India Limited** for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their **Audit Report dated 08th August 2024.**

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **The Fertilizer Corporation of India Limited** for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Other Comments

A.1 The Statement of Changes in Equity has not been prepared in the format prescribed by Schedule III of the Companies Act, 2013 as amended by MCA notification dated 24.03.2021.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Place: New Delhi

Date: 22.11.2024

**Sd/-
(Sandeep Lall)
Director General of Audit, Central Expenditure
(Agriculture, Food & Water Resources)**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम। यह उनके द्वारा 08 अगस्त 2024 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

अपने पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

A. अन्य टिप्पणियाँ

A.1 इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है, जैसा कि एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2021 द्वारा संशोधित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.11.2024

ह.द/-

(संदीप लाल)

महानिदेशक,

केंद्रीय व्यय (कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

Annexure

C& AG COMMENTS & MANAGEMENT REPLY FOR THE YEAR 2023-24

सी एंड एजी टिप्पणियाँ और प्रबंधन वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर

Q.No.	C& AG COMMENTS सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	REPLY OF THE MANAGEMENT प्रबंधन का जवाब
A	Other Comments	
A.1	The Statement of changes in Equity has not been prepared in the format prescribed by Schedule III of the Companies Act, 2013 as amended by MCA notification dated 24.03.2021.	<p>Part A of Changes in Equity of MCA notification dated 24.3.2021, mainly requires to report the changes due to prior period error and changes in the current period. In this regard we have to submit that during the year and in past 20 years there is no change in equity and also there is no error neither on account of prior period or current period.</p> <p>Further NIL changes in equity share capital during the year and in previous year is reported in Note 11, which is although, exactly not in the prescribed format but it has no impact on the financial statements. We further want to submit that in the previous year also the same format was used.</p> <p>However, the observation is noted for future compliance.</p>
A.	अन्य टिप्पणियाँ	
A.1	इक्विटी में बदलाव का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है, जिसे एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2021 द्वारा संशोधित किया गया है।	<p>दिनांक 24.3.2021 की एमसीए अधिसूचना की इक्विटी में परिवर्तन के भाग ए में मुख्य रूप से पूर्व अवधि की त्रुटि और वर्तमान अवधि में परिवर्तनों के कारण परिवर्तनों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमें यह प्रस्तुत करना होगा कि वर्ष के दौरान और पिछले 20 वर्षों में इक्विटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही पूर्व अवधि या वर्तमान अवधि के कारण कोई त्रुटि है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष में इक्विटी शेयर पूंजी में शून्य परिवर्तन नोट 11 में सूचित किए गए हैं, जो यद्यपि, बिल्कुल निर्धारित प्रारूप में नहीं है लेकिन इसका वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हम आगे यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि पिछले वर्ष में भी उसी प्रारूप का उपयोग किया गया था।</p> <p>हालांकि, अवलोकन भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।</p>

The Fertilizer Corporation of India Limited

दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Balance Sheet as at 31.03.2024

तलन पत्र 31.03.2024 को

(Rupees in Lakhs

(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Note No. नोट नं.	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023- 24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
1	2	3	4
ASSETS			
संपत्ति			
1) Non-current assets			
1) गैर-चालू संपत्ति			
a) Property, Plant and equipment	1	1,355.08	1,417.03
a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
b) Capital Work in Progress	1 (a)	1,397.77	185.18
ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर			
b) Non-Current investments	2	20,795.86	20,795.86
c) c) गैर-चालू निवेश			
d) Long term Loans	3		
e) d) दीर्घकालिक ऋण			
f) Other non-current assets	4	1,463.48	1,510.61
g) e) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
Non-current assets classified as held for sale	10	91.22	91.22
बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियाँ हैं			
Total non-current assets (A)		25,103.41	23,999.90
कुल गैर-चालू संपत्ति (A)			
2) Current assets			
3) चालू संपत्ति			
a) Inventories	5	174.79	174.79
माल सूची			
b) <u>Financial assets</u>			
c) <u>b) वित्तीय संपत्ति</u>			
h) Trade receivables	6	126.28	219.10
i)) व्यापार प्राप्त्य			
ii) Cash and cash equivalents	7	53,481.18	49,193.17
ii) नकद और नकद समकक्ष			
बैंक बैलेंस			
iii) Short term loans and advances	8	1,130.21	1,096.82
iii) अल्पावधि ऋण और अग्रिम			
c) Other current assets	9	2,252.80	1,673.46
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			
Total Current Assets (B)		57,165.26	52,357.34
कुल वर्तमान संपत्ति (बी)		57,165.26	52,357.34
TOTAL ASSETS (A+B)		82,268.67	76,357.24
कुल वर्तमान संपत्ति (ए+बी)			

Particulars विवरण	Note No. नोट नं.	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023- 24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Equity and Liabilities			
Equity इक्विटी			
a) Equity Share capital इक्विटी शेयर पूंजी	11	75,092.39	75,092.39
B) Other Equity अन्य इक्विटी	12	(89.49)	(3,817.54)
Total Equity (A) कुल इक्विटी (ए)		75,002.90	71,274.85
LIABILITIES देयताएं			
i) Non-current liabilities देयताएं जो चालू नहीं हैं	13		
a) Financial liabilities वित्तीय देनदारियां			
b) Trade Payables व्यापार देय			
ii) Borrowings ii) उधार			
a) Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises. क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि।			
b) Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		553.60	557.25
c) Long term provisions ग) दीर्घकालिक प्रावधान	14	62.45	13.13
d) Deferred tax liabilities (Net) e) ष आस्थगित कर देनदारियां (निवल)		-	-
e) Other non-current liabilities f) d) अन्य गैर-चालू देनदारियां	15	5,586.91	3,686.85
Total non-current Liabilities कुल गैर-वर्तमान देनदारियां		6,202.96	4,257.23
3) Current liabilities 4) 2) वर्तमान देनदारियां			
(a) Financial liabilities (b) (a) वित्तीय देनदारियां	16	2.63	3.06
Borrowings उधार			
Trade payables व्यापार देय			
(c) Other current liabilities (b) अन्य चालू देनदारियां	17	830.18	476.21
(c) Short-term provisions (c) अल्पकालिक प्रावधान	18	230.00	345.89
Total Current Liabilities कुल चालू देनदारियां		1,062.81	825.16
Total Liabilities (B) कुल देनदारियां (B)		7,265.77	5,082.39
Total Equity and Liabilities (A+B) कुल इक्विटी और देयताएँ (A+B)		82,268.67	76,357.24

Note No 1 to 25 are integral part of the Financial Statements.

नोट संख्या 1 से 25 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

As per our report of even date

sd/- (S.S Shekhawat) एसएस शेखावत	sd/- (Naresh Arya) नरेश आर्य	sd/- (Neeraja Adidam) नीरजा अदिदम
Officer on Special Duty विशेष कार्य अधिकारी	Director (Finance) निदेशक (वित्त)	Chairman & Managing Director अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN:09351163 डिन : 09351163	DIN:10627329 डिन : 10627329	DIN: 09351163 डिन : 09351163

for M.Verma & Associates
हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम.वर्मा & एसोसिएट्स के लिए
Chartered Accountants
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 501433C
एफआरएन - 501433सी

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date: 08.08.24
तिथि : 08.08.24

sd/-
Mohender Gandhi
मोहेन्द्र गांधी
Partner
हिस्सेदार
M.No. 088396
UDIN: 24088396BKFXCG8651
यूडीआईएन: 24088396BKFXCG8651

The Fertilizer Corporation of India Limited
द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Statement of Profit and Loss for the year ended 31.03.2024
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(Rupees in lakhs)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Note No. नोट नं.	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Revenue From Operations संचालन से राजस्व		-	-
Other income अन्य आय	19	6,446.74	7,175.84
Total revenue (I+II) कुल राजस्व (I+II)		6,446.74	7,175.84
Expenses व्यय			
Employee benefit expense कर्मचारी लाभ व्यय	20	17.33	28.87
Finance cost वित्तीय लागत	21	0.55	1.09
Depreciation and amortisation expense मूल्यहास और परिशोधन व्यय	22	9.08	10.24
Other Expenses अन्य खर्चे	23	1,329.87	1,257.99
Total Expenses (IV) कुल व्यय (IV)		1,356.83	1,298.19

Statement of Profit and Loss for the year ended 31.03.2024 (Continued)
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

Profit/ (loss) before exceptional items and tax असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि)		5,089.91	5,877.65
Profit/ (loss) before tax कर से पहले लाभ/(हानि)		5,089.91	5,877.65
Extra Ordinary Items असाधारण वस्तुएं		-	-
Profit before tax कर से पहले लाभ		5,089.91	5,877.65
Tax Expenses कर पर व्यय			
Current Tax वर्तमान कर		1,210.00	1,600.00
Deferred Tax		-	-
आस्थगित कर Earlier Year Tax पूर्व वर्ष के कर		95.05	(404.51)
Profit/ (loss) for the period from continuing operations परिचालन गतिविधियों से अवधि के लिए लाभ /हानि		3,784.86	4,682.16
Other Comprehensive Income अन्य व्यापक आय		-	-
Items that will not be reclassified to profit & loss मद जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
Re-measurement losses on defined benefit plans परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः मापन हानियाँ		-	-
Income Tax Effect आयकर प्रभाव		-	-
Total Comprehensive income for the period अवधि के लिए कुल व्यापक आय		-	-
Earnings per equity share (for continuing operations) प्रति इक्विटी शेयर आय (परिचालन गतिविधियों से)	24		
a) Basic working क) मूल		50.40	62.35
b) Diluted ख) द्वयीय		50.40	62.35
Corporate information, significant accounting policies and accompanying notes नियमित सूचनाओं, महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और संदर्भित अनुसूचियां	25		

Statement of Profit and Loss for the year ended 31.03.2024 (Continued)

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

As per our report of even date

sd/- (S.S Shekhawat) एसएस शेखावत	sd/- (Naresh Arya) नरेश आर्य	sd/- (Neeraja Adidam) नीरजा अदिदम	for M.Verma & Associates हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
Officer on Special Duty विशेष कार्य अधिकारी	Director (Finance) निदेशक (वित्त)	Chairman & Managing Director अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	एम.वर्मा & एसोसिएट्स के लिए Chartered Accountants चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
DIN:09351163 डिन : 09351163	DIN:10627329 डिन : 10627329	DIN: 09351163 डिन : 09351163	FRN - 501433C एफआरएन - 501433सी

Place : New Delhi

स्थान : नई दिल्ली

Date: 08.08.24

तिथि : 08.08.24

sd/-
Mohender Gandhi
मोहेन्द्र गांधी
Partner
हिस्सेदार
M.No. 088396
UDIN: 24088396BKFXCG8651
यूडीआईएन: 24088396BKFXCG8651

Notes Forming part of Financial Statements for the Year Ended 31st March 2024

नोट 1
Note 1

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT संपत्तिसंव्य और उपकरण										(Rupees in lakhs) (लाख रुपये में)		
विवरण	पड़े की भूमि Leasehold Land	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि Free hold Land	सड़कें एवं पुलिया Roads & Culverts	भवन Buildings	जल व्यवस्था, सीवरेंज और जल निकासी Water System, sewerage and Drainage	विविध उपकरण Misc equipment	फर्नीचर फिक्स्चर और कार्यालय Furniture and Office Appliances	पौधे व मशीनरी (सीएससी) (C) Plant & Machinery (COM)	विद्युत संस्थान टाउनशिप Elec Instt. Township	कुल Total		
Cost or deemed Cost लागत या अंगमानित लागत												
At March 31, 2022	181.37	308.54	233.39	2797.57	141.57	1.01	11.53	26.86	13.17	3715.01		
31 मार्च, 2022 को	-	-	-	-	-	-	0.19	2.25	-	2.44		
जोड़												
Disposal/ Adjustments	-	-	-	(2.65)	-	0.02	(0.04)	(6.84)	-	-9.51		
रेस्ट/ समायोजन												
Classified as held for sale												
बिक्री के लिए आयोजित किया गया												
At March 31, 2023	181.37	308.54	233.39	2794.92	141.57	1.03	11.68	22.27	13.17	3707.93		
31 मार्च, 2023 को												
Additions	-	-	-	-	-	-	-	3.94	-	3.94		
जोड़												
Disposal/ Adjustments	-	-	-	-	-	-	-0.61	-	-	-0.61		
रेस्ट/ समायोजन												
Classified as held for sale												
बिक्री के लिए आयोजित किया गया												
At March 31, 2024	181.37	308.54	233.39	2794.92	141.57	1.03	11.07	26.21	13.17	3711.26		
31 मार्च, 2024												
Accumulated Depreciation/impairment												
संचित मूल्यह्रास/रानि												
At 31 March, 2022	77.73	-	227.28	1744	141.49	1.00	6.89	20.52	13.17	2232.08		
31 मार्च, 2022 को												
Depreciation charge for the year	1.76	-	-	4.41	-	-	1.01	3.05	-	10.23		
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क												
Disposal/ Adjustments	-	-	-	-	-	-	(0.73)	(5.92)	-	-6.65		
निपटान/समायोजन												
Depreciation on revaluation				55.03						55.03		
पुनर्मूल्यंकन पर मूल्यह्रास							0.20			0.20		
Accumulated Dep. on assets held for sale												
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों पर संचित मूल्यह्रास				0.00						0.00		
Transfer to General reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण												
At 31 March, 2023	79.49	-	227.28	1803.44	141.49	1.00	7.37	17.65	13.17	2290.89		
31 मार्च, 2023												
Depreciation charge for the year	1.76	-	-	4.43	-	-	0.70	2.19	-	9.08		
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क												
Disposal/ Adjustments	-	-	-	56.81	-	-	-	-	-	56.81		
निपटान/समायोजन												
Depreciation on revaluation				-	-	-	-0.61	-	-	-0.61		
पुनर्मूल्यंकन पर मूल्यह्रास												
Disposal/ Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
निपटान/समायोजन												
Accumulated Dep. on assets held for sale				-	-	-	-	-	-	0.00		
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों पर संचित विभाग												
At 31 March, 2024	81.25	0.00	227.28	1864.68	141.49	1.00	7.46	19.84	13.17	2356.17		
31 मार्च, 2024												
At 31 March, 2024	100.12	308.54	6.11	930.24	0.08	0.03	3.61	6.37	-	1355.08		
31 मार्च, 2024												
Net Carrying Value												
नेट से मूल्य शिरोता है												
At March 31, 2023	101.87	308.54	6.11	991.48	0.08	0.03	4.30	4.62	-	1417.03		
31 मार्च, 2023 को												

**Note
1(a)
नोट 1 (ए)**

(Amount in
lakhs)
(राशि लाख में)

Capital -Work-in-Progress (CWIP)

प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(सीडब्ल्यूआईपी)

CWIP सीडब्ल्यूआईपी	Amount in CWIP for a period एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				Total* कुल*
	Less than one year एक वर्ष से कम	One to two years एक से दो वर्ष	Two to three years दो से तीन वर्ष	More than three years तीन वर्ष से अधिक	
Projects in progress परियोजनाएं जो प्रगति पर हैं	1212.59	185.18	0	0	1397.77
Projects temporarily Suspended अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					

Notes Forming part of Financial Statements for the Year Ended 31st March 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

Note 2

नोट 2

Non Current Investments

गैर चालू निवेश

(Rupees in lakhs)

(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
<u>Long term Investment</u> दीर्घ अवधि निवेश		
<u>Investment in Equity Instruments</u> इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश		
Non-Trade Investments (At cost unless stated otherwise-unquoted) गैर-व्यापार निवेश (लागत पर जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो-उद्धृत नहीं किया गया)	0.10	0.10
Fully paid up equity shares in Employees Co-operative stores Limited कर्मचारी सहकारी भंडार लिमिटेड में पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	(0.05)	(0.05)
Less: Provision for diminution in value of longterm investment कम: दीर्घावधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.05	0.05
Trade Investments in Joint venture companies (At cost-unquoted) संयुक्त उद्यम कंपनियों में व्यापार निवेश (लागतपर गैर उद्धृत)		
Fully paid up equity shares 5,000 shares @Rs.10 each of Talchar Fertilizers Ltd (Formerly known as Rashtrya Coal Gas Fertilizer Ltd) तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (जिसे पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पूर्ण प्रदत्त 5,000 शेयर @Rs.10 प्रत्येक	0.50	0.50
Fully paid up equity shares 16,667 shares @Rs.10 each of Hindustan Urvarak and Rashyan Ltd. पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर, हिंदुस्तान उर्वरक और राशन लिमिटेड प्रत्येक के 16,667 शेयर @Rs.10 प्रत्येक	1.67	1.67
Fully paid up equity shares 20,79,36,400 @ Rs.10 each (Previous year 20,79,36,400@ Rs.10 each) of Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited issued for consideration other than cases. रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त 20,79,36,400 @ रु.10 प्रत्येक (पिछले वर्ष पूर्ण प्रदत्त 20,79,36,400 @ रु.10 प्रत्येक) इक्विटी शेयर।	20,793.64	20,793.64
Total कुल	20,795.86	20,795.86
Aggregate value of unquoted Investment गैर उद्धृत न किए गए निवेश का सकल मूल्य	20,795.86	20,795.86
Aggregation of diminution in value of longterm investment दीर्घावधि निवेश के मूल्य में कमी का एकत्रीकरण	0.05	0.05

Long Term Loans

दीर्घ अवधि ऋण

Note 3

(Rupees in lakhs)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Unsecured considered good unless otherwise stated जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो असुरक्षित को सुरक्षित जाता है		
(a) Loans & advances ऋण और अग्रिम		
House Building Loan to Employee कर्मचारी को गृह निर्माण ऋण	0.31	0.31
Less: Provision for doubtful loans कम: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(0.31)	(0.31)
Total कुल	-	-

Other Non Current Assets अन्य गैर चालू संपत्ति		Note 4 नोट 4
Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
(a) Advances (a) अग्रिम		
Suppliers (considered doubtful) पूर्तिकर्ता (संदिग्ध)	338.68	338.65
Less: Provision for doubtful advances घटायें: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(338.68)	(338.65)
Suppliers (considered good) पूर्तिकर्ता (समझे गए)	-	-
Employees (considered good) कर्मचारी (समझे गए)	0.85	0.81
Others (considered doubtful) अन्य (समझे गए)	56.77	56.80
Less: Provision for doubtful advances घटायें : संदिग्ध के लिए प्रावधान	(56.77)	(56.80)
Others (considered good) अन्य (समझे गए)	20.30	18.00
Deposit with Govt. Authorities/others(Considered good सरकारी प्राधिकरणों/अन्य के पास जमा (अच्छा माना जाता है))	37.81	67.83
Deposit with Govt. Authorities/others(Considered doubtful) सरकारी प्राधिकारियों/अन्य के पास जमा (संदिग्ध माना जाता है)	0.24	0.24
Less: Provision for doubtful deposits कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	(0.24)	(0.24)
Rental dues बकाया किराया	0.91	1.04
MAT Credit available उपलब्ध मैट क्रेडिट	-	95.05
Income Tax & TDS (Net of Provision) आयकर और टीडीएस (प्रावधान का निवल)	65.25	-
Income tax refundable इनकम टैक्स रिफंडेबल	1,039.98	1,039.98
Total (a) कुल (a)	1,165.10	1,222.72

b) Others-Deposits
ख अन्य-जमाराशियाँ

(Rupees in lakhs)

(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के
	अंत में आंकड़े	अंत में आंकड़े
Fixed deposit Accounts(Amenities Fund) सावधि जमा खाते (सुविधा निधि)	106.90	101.17
Current Account II (Amenities Fund) चालू खाता II (सुविधा निधि)	5.38	5.39
Deposit (Pledged with Excise Deptt) जमा (आबकारी विभाग के पास गिरवी)	38.14	38.14
Rental dues (considered doubtful) किराये की बकाया राशि (संदिग्ध)	995.71	1,041.97
Less: Provision for doubtful debts कम: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(995.71)	(1,041.97)
Others(considered doubtful) अन्य (संदिग्ध)	50.61	81.02
Less: Provision for doubtful dues कम: संदिग्ध देय राशि के लिए प्रावधान	(50.61)	(81.02)
Lease Rent - Ex employees लीज रेंट - पूर्व कर्मचारी	0.05	0.45
Rental dues (Considered Good) किराये की बकाया राशि (अच्छा माना जाता है)	191.40	175.87
Less: Provision for doubtful dues कम: संदिग्ध देय राशि के लिए प्रावधान	(71.41)	(61.27)
Rent/Water & Elec.charges-PDIL किराया/पानी और बिजली खर्च (पी डी आई एल)	26.20	26.90
Interest accrued on deposits जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	1.72	1.24
Total (b) कुल (ख)	298.38	287.89
Grand Total (a+b) कुल योग (a+b)	1,463.48	1,510.61

Inventories
वस्तु सूची यां
Note 5

(Rupees in lakh
(रुपये लाख में))

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
(As verified and certified by Management) (प्रबंधन द्वारा सत्यापित और प्रमाणित)		
a. Raw Materials (valued at Cost) क. कच्चा माल (लागत पर मूल्यांकित)	-	-
Less- Provision for obsolescence कम- अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-
b. Packing Materials (valued at Cost) ब. पैकिंग सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	0.78	0.78
Less- Provision for obsolescence घटायें अप्रचलन के लिए प्रावधान	(0.78)	(0.78)
c. Stores & Spares (valued at Cost) क. स्टोर और पुर्जों (लागत पर मूल्यांकित)	-	-
Goods in transit मार्गस्थ माल	-	-
Goods under inspection निरीक्षण के तहत माल	-	-
Stores unconsumed (stock of Platinum) अप्रयुक्त स्टोर (प्लेटिनम का स्टॉक)	174.79	174.79
Less: Provision for obsolescence घटायें अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-
Scrap (valued at estimated realisable value) कबाड़. (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)	-	-
Less- Provision for obsolescence घटायें अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-
Total कुल	174.79	174.79

Note 6
नोट 6
Trade and Other Receivable
व्यापार और अन्य प्राप्त्य
**(Rupees in lakh
(रुपये लाख में))**

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment भुगतान के लिए देय होने की तारीख से छह महीनों से अधिक के वकाया प्राप्त्य		
Unsecured considered good असुरक्षित जिन्हे अच्छा माना जाता है	124.98	133.04
Unsecured considered doubtful असुरक्षित संदिग्ध माना गया है	1,781.91	1,781.91
Less: Provision for doubtful debts घटायें संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(1,781.91)	(1,781.91)
Input (GST) Purchase Receivable इनपुट जी एस टी) खरीद प्राप्त्य	1.30	1.77
Amount recoverable from RPFC (claim under protest) आरपीएफसी से वसूली योग्य राशि (विरोध के तहत दावा)	-	84.29
Total कुल	126.28	219.10

Trade Receivables ageing schedule
व्यापार प्राप्त्य उम्र बढ़ने अनुसूची
Outstanding as at 31st March 2024
31 मार्च 2024 तक बकाया

Particulars विवरण	Less than 6 months	6 Months to 1 Year	1-2 year	2-3 Year	More than 3 year	Total
(i) - Undisputed Trade receivables निर्विवाद व्यापार प्राप्त्य						
- considered good - अच्छे माने गये	0	116.48	0	0	0	116.48
- which have significant increase in credit risk जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0	3.60	3.60	0	0.84	8.04
- credit impaired साख बिगड़ी हुई	0	0	0	0	0.46	0.46
Sub- total (i) उप-योग (i)	0	120.08	3.60	0.00	1.30	124.98
Sub- total (i+ii) उप-योग (i+ii)	0	120.08	3.60	0.00	1.30	124.98

(ii) - Disputed Trade receivables						
(iii) (ii) - विवादित व्यापार प्राप्त्य						
- considered good अच्छे माने गये	0	0	1.30	0	0	1.30
- which have significant increase in credit risk जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0	0	0	0	0	0
- credit impaired - सख बिगड़ी हुआ	0	0	0	0	1781.91	1781.91
Provision for doubtful debts संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0	0	0	0	- 1781.91	- 1781.91
Sub- total (ii)	0	0	1.30	0	0	1.30
उप-योग (ii)						
Total (i+ii)	0	120.08	4.90	0	1.30	126.28
कुल (i+ii)						

Trade Receivable Continue
Outstanding as at 31st March 2023
31 मार्च 2023 तक बकाया

Particulars विवरण	Less than 6 months 6 महीने से कम	6 Months to 1 Year 6 महीने से 1 साल तक	1-2 year 1-2 वर्ष	2-3 Year 2-3 वर्ष	More than 3 year 3 वर्ष से अधिक	Total कल
(i) - Undisputed Trade receivables (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्त्य						
- considered good अच्छे माने गये	124.49	0	0	0	0	124.49
- which have significant increase in credit risk जिनके ऋणजोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	3.60	3.60	0	0.89	0	8.09
- credit impaired - साख बिगड़ी हुई	0	0	0	0	0.46	0.46
Sub- total (i)	128.09	3.60	0	0.89	0.46	133.04
(ii) - Disputed Trade receivables (ii) विवादित व्यापार प्राप्त्य						
- considered good अच्छे माने गये	0	1.77	0	0	0	1.77
- which have significant increase in credit risk जिनसे ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0	84.29	0	0	0	84.29
- credit impaired - साख बिगड़ी हुई	0	0	0	0	1781.91	1781.91
Provision for doubtful debts संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	0	0	0	0	-1781.91	-1781.91
Sub- total (ii) उप-योग (ii)	0	86.06	0	0	0	86.06
Total (i+ii) कुल (i+ii)	128.09	89.66	0	0.89	0.46	219.10

Cash and cash equivalents
नकद और नकद समकक्ष
Note 7
नोट 7
(Rupees in lakh)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Balance with banks in बैंकों में साथ शेष राशि		
Current accounts चालू खाते में	143.60	241.45
Other Bank Balances अन्य बैंक शेष		
Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 3 m but less than 12 m सावधि जमा खाते जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम है	-	-
Fixed deposit Accounts with original maturity for 12 months 12 महीने के लिए मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते	38,136.41	35,722.42
Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते	15,200.00	13,076.00
Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months (Amenities Fund) 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा खाते (सुविधा निधि)	106.90	101.17
Amount disclosed under non-current assets गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत दर्शाई की गई राशि	-106.90	-101.17
Cash in transit पारगमन में नकदी	-	150.00
Cash in hand हस्तस्थ नगद	1.17	3.30
Total कुल	53,481.18	49,193.17

Short Term Loans and Advances
Note 8

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

नोट 8

(Rupees in lakh)

(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Unsecured considered good unless otherwise stated असुरक्षित को अच्छा माना गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
(a) Advances (a) अग्रिम		
Employees (considered good) कर्मचारी (अच्छे माने गये)	0.36	0.79
Others (considered good) अन्य (अच्छे माने गये)	5.05	6.41
NBCC for construction of office building कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एनबीसीसी	132.08	992.55
- Pre paid expenses पूर्व प्रदत्त व्यय	5.99	5.99
Deposit with Govt. Authorities/others(Considered good) सरकारी प्राधिकारियों/अन्य के पास जमा ((अच्छे माने गये)	23.81	23.81
Income Tax & TDS आयकर और टीडीएस		
Advance Tax & TDS अग्रिम कर और टीडीएस	2172.57	
Less: Provision for Income Tax घटाएं: आयकर के लिए प्रावधान	1210.00	962.57
Receivable from KRIBHCO कृभको से प्राप्त	0.06	0.06
CGST Receivable सीजीएसटी प्राप्त	0.05	0.05
SGST Receivable एसजीएसटी प्राप्त	0.05	0.05
IGST Receivable आई जी एस टी प्राप्त	0.19	0.93
Total कुल	1,130.21	1,096.82

Other Current Assets अन्य चालू संपत्ति		Note 9 नोट 9	
		(Rupees in lakh) (लाख रुपए में)	
Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े	
Rental dues (considered doubtful) किराये की बकाया राशि (संदिग्ध माने गये)	11.24	11.24	
Less: Provision for doubtful dues घटायें: संदिग्ध देय राशि के लिए प्रावधान	(11.24)	(11.24)	
Rental dues (Considered Good) किराये की बकाया राशि (अच्छे माने गये)	79.35	58.63	
Lease Rent Railway siding लीज रेंट रेलवे साइडिंग	15.25	29.17	
Interest accrued on deposits जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	2,057.15	1,525.45	
Interest accrued on NBCC Advance एनबीसीसी एडवांस पर अर्जित ब्याज	57.55	-	
Amount receivable from P.F. Trust पीएफ ट्रस्ट से प्राप्य राशि	1.94	1.94	
Amount receivable (ACC) प्राप्य राशि (एसीसी)	-	2.81	
Input credit GST इनपुट क्रेडिट: जीएसटी	41.56	54.17	
CGST Cash Ledger सीजीएसटी कैश लेजर	-	0.01	
SGST Cash Ledger एसजीएसटी कैश लेजर	-	0.01	
IGST Cash Ledger आईजीएसटी कैश लेजर	-	1.27	
Total कुल	2,252.80	1,673.46	

Note 10
नोट 10

THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED
दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Tangible Assests not in use or held for disposal
मूर्त संपत्तियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटान के लिए आयोजित की गई हैं

(लाख रुपए में)
(Rupees in lakhs)

Particulars विवरण	Gross value as on April 1,2023 सकल मूल्य अप्रैल 1,2023	Additions वृद्धि	Deletions हटाए गए	Gross value as on March 31,2024 मार्च 31,2024 के अनुसार सकल मूल्य	Accumulated depreciation as on April 1,2023 अप्रैल 1,2023 को संचित मूल्य	Depreciation on मूल्य	Depreciation Revaluation पुनर्मूल्यंकन पर मूल्यहास	Transfer to General Reserve	Accumulated depreciation as on March 31,2024	Net value as on March 31,2024	Net value as on April 1,2023
Roads & Culverts सड़कें और पुलिया	59.60	-	-	59.60	56.69	-	-	-	56.69	2.91	2.91
Buildings इमारतों	273.04	-	-	273.04	261.14	-	-	-	261.14	11.90	11.90
Railway Sidings रेलवे साइडिंग	453.70	-	-	453.70	431.02	-	-	-	431.02	22.68	22.68
Plant and Equipment संयंत्र और उपकरण	198.53	-	-	198.53	188.60	-	-	-	188.60	9.94	9.94
Gas Turbine गैस टरबाइन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Water System Sewerage and Drainage जल व्यवस्था, सीवरेंज और ड्रेनेज	804.56	-	-	804.56	764.34	-	-	-	764.34	40.21	40.22
Misc. Equipments विविध उपकरण	47.65	-	-	47.65	47.60	-	-	-	47.60	0.05	0.05
Furniture, Fixture and Office Appliances फर्नीचर, बुडबुदा और कार्यालय उपकरण	34.18	-	-	34.18	31.49	-	-	-	31.49	2.69	2.69
Transport Vehicles परिवहन वाहन	19.78	-	-	19.78	18.96	-	-	-	18.94	0.84	0.82
Capital Stores पूंजीगत स्टोर्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1,891.04	-	-	1,891.04	1,799.84	-	-	-	1,799.82	91.22	91.22
कुल											

Note 10
नोट 10

THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED
दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Tangible Assests not in use or held for disposal
मूर्त संपत्तियाँ जो उपयोग में नहीं है या निपटान के लिए आयोजित की गई है

(लाख रुपए में)
(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross value as on April 1,2022	Additions	Deletions	Gross value as on April 1,2023	Accumulated depreciation as on April 1,2022	Depreciation on Revaluation	Accumulated depreciation on Deletions	Transfer to General Reserve	Accumulated depreciation as on April 1,2023	Net value as on March 31,2023	Net value as on April 1,2022
विवरण	1 अप्रैल, 2022 तक सकल मूल्य	परिवर्धन	हटाए	1 अप्रैल 2023 तक सकल मूल्य	1 अप्रैल, 2022 तक संवत् मूल्यह्रास	पुनर्मूल्यंकन पर मूल्यह्रास	विलोपन पर संवत् मूल्यह्रास	सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	1 अप्रैल 2023 तक संवत् मूल्यह्रास	31 मार्च 2023 तक शुद्ध मूल्य	1 अप्रैल, 2022 तक शुद्ध मूल्य
Roads & Culverts	104.22	(-) 44.62		59.60	101.31		(-) 44.62		56.69	2.91	2.91
Buildings	273.04	-		273.04	261.14		-		261.14	11.90	11.90
Railway Sidings	453.70			453.70	431.02		-		431.02	22.68	22.68
Plant and Equipment	213.78	-	-15.25	198.53	203.10		-14.48		188.60	9.94	10.68
Gas Turbine	-			-	-				-	-	-
Water System, Sewarage and Drainage	804.56	-		804.56	764.34		-		764.34	40.22	40.22
Misc. Equipments	47.81	-	-0.16	47.65	47.76		-0.16		47.60	0.05	0.05
Furniture, Fixture and Office Appliances	37.58	-	-3.40	34.18	34.75		-3.26		31.49	2.69	2.83
Transport Vehicles	26.29	-	-6.51	19.78	25.16		-6.18		18.96	0.82	1.13
Capital Stores	-	-	-	-	-		-		-	-	-
Total	1,960.98	-	69.94	1,891.04	1,868.58	-	68.70	-	1,799.84	91.22	92.40

The Fertilizer Corporation of India Limited
दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

**Note
11
नोट 11**

Equity Share Capital
इक्विटी शेयर कैपिटल

**(Rupees in
lakhs)
(लाख रुपए में)**

Particulars विवरण	As at 31 March 2024 31 मार्च 2024 तक	As at 31 March 2023 31 मार्च 2023 तक	
<u>Authorised</u> प्राधिकृत 8000,000 Equity Shares of Rs 1,000/-each (Previous Year 8000,000 Equity Shares of Rs 1,000/-) प्रत्येक 1,000/- रुपये के 8000,000 इक्विटी शेयर। (पिछले वर्ष रु. 1,000/- के 8000,000 इक्विटी शेयर)	80,000.00	80,000.00	
<u>Issued, Subscribed and Paid Up</u> जारी, सदस्यता और भुगतान किया गया			
75,09,239 Equity Shares of Rs 1,000/-each (Previous Year 75,09,239 Equity Shares of Rs 1000/-each) रु. 1,000/- प्रत्येक के 75,09,239 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 1000/- प्रत्येक के 75,09,239 इक्विटी शेयर)	75,092.39	75,092.39	
Total कुल	75,092.39	75,092.39	

Notes:
नोट्स:

**As At 31.03.2024
31.03.2024 को**

The Aggregate number of shares allotted as fully paid up pursuant to contract(s) without payment being received in cash in the last five years immediately preceding the balance sheet date.

तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले पिछले पांच वर्षों में नकद में भुगतान किए बिना अनुबंध (ओं) के अनुसार पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या।

Nil

Equity Shares calls unpaid by directors and officers of the company.

इक्विटी शेयर कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अवैतनिक कॉल करते हैं।

Nil

Shares held by ultimate holding company/ holding company and their subsidiaries/ associates
अंतिम होल्डिंग कंपनी / होल्डिंग कंपनी और उनकी सहायक कंपनियों / सहयोगियों द्वारा धारित शेयर

Nil

Shareholders in the Company held by each Shareholder holding more than 5% Shares of the Company

कंपनी में शेयरधारक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा आयोजित कंपनी के 5% से अधिक शेयर रखते हैं

Particulars विवरण	As at 31 March 2024 31 मार्च 2024 तक		As at 31 March 2023 31 मार्च 2023 तक	
	Number of shares शेयरों की संख्या	% of Holding होल्डिंग का%	Number of shares शेयरों की संख्या	% of Holding होल्डिंग का%
Hon'ble President of India ((Promoters भारत सरकार	75,09,239	100%	75,09,239	100%

Reconciliation of equity shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period:-
समीक्षाधीन अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का निपटान:-

Amount in Rs. In lakhs
राशि रु लाख में

A. Equity Share Capital A. इक्विटी शेयर कैपिटल	No. of Shares शेयरों की संख्या	Amount कुल धनराशि
Balance as at 1st April 2022 1 अप्रैल 2022 तक शेयर	75,09,239	75,092.39
Changes in equity share capital during the year वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
Balance as on 31st March 2023 31 मार्च 2023 तक शेयर राशि	75,09,239	75,092.39
Changes in equity share capital during the year वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
Balance as on 31st March 2024	75,09,239	75,092.39

As per our report of even date

sd/-
(S.S Shekhawat)
एसएस शेखावत

sd/-
(Naresh Arya)
नरेश आर्य

sd/-
(Neeraja Adidam)
नीरजा अदिदम

Officer on Special Duty
विशेष कार्य अधिकारी

Director (Finance)
निदेशक (वित्त)

Chairman & Managing Director
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN:09351163
डिन : 09351163

DIN:10627329
डिन : 10627329

DIN: 09351163
डिन : 09351163

for M.Verma & Associates
हमारी इस्वी तिथि कीरिपोर्ट के अनुसार
एम.वर्मा & एसोसिएट्स के लिए
Chartered Accountants
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 501433C
एफआरएन - 501433सी

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date: 08.08.24
तिथि : 08.08.24

sd/-
Mohender Gandhi
मोहेन्द्र गांधी
Partner
हिस्सेदार
M.No. 088396
UDIN: 24088396BKFXCG8651
यूडीआईएन:24088396BKFXCG8651

B. Other Equity

बी. अन्य इक्विटी

(1) Current reporting period 01.04.2023 TO 31.03.2024

(1) वर्तमान रिपोर्टिंग अवध 01.04.2023 से

31.03.2024 तक

THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED

दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

Note : 12

Rs./lakhs

रु.लाख

नोट: 12

Reserves and Surplus भंडार और अक्षेप														
	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Capital Reserves	Securities Premium	Other Reserves (specify nature) (Subsidy on Industrial Housing)	Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total

B. Other Equity

बी. अन्य इक्विटी

(1) Current reporting period 01.04.2023 TO 31.03.2024

(1) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 01.04.2023 से

31.03.2024 तक

Restated balance at the beginning of the current reporting period	पुनः घोषित शेष राश की शुरुआत में द करेंट रिपोर्टिंग अवधि	-	75.69	-	5.92	-5174.07	-	-	-	1274.92	-	-	-	-	-	-	-3817.54
Total Comprehensive	कुल वस्तुतः																
Income for the current year	आय के लिए वर्तमान वर्ष	-	-	-	-	3,784.86	-	-	-	-56.81	-	-	-	-	-	-	3728.05
Dividends	लाभभंडार																
Transfer to retained earnings	के लिए स्थानांतरण प्रतिधारित कमाई																
Any other changes (to be specified)	कोई और परिवर्तन (होने वाले) निर्दिष्ट																
Balance at the end of the current reporting period	संतुलन के अंत वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	-	75.69	-	5.92	-1389.21	-	-	-	1218.11	-	-	-	-	-	-	-89.49

As per our report of even date
for M.Verma & Associates
हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

एम.वर्मा & एसोसिएट्स के लिए
Chartered Accountants
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN - 501433C
एफआरएन - 501433सी
Mohender Gandhi
मोहेंद्र गांधी
Partner
हिस्सेदार
M.No. 088396 यूपीआईएन: 240883968KFCG8651

sd/- (S.S Shekhawat)
एसएस शेखावत
Officer on Special Duty
विशेष कार्य अधिकारी

sd/- (Naresh Arya)
नरेश आर्य
Director (Finance)
निदेशक (वित्त)

sd/- (Neeraja Adidam)
नीरजा अदिदम
Chairman & Managing Director
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN: 10627329
डिन : 10627329

DIN: 09351163
डिन : 09351163

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date: 08.08.24
तिथि : 08.08.24

(2) Previous reporting period 1.04.2022 TO 31.03.2023

Reserves and Surplus														
	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Capital Reserves	Securities Premium	Other Reserves (specify nature) (Subsidy on Industrial Housing)	Retained Earnings	Debt Instruments through Other Comprehensive Income उपकरण के माध्यम से अन्य व्यापक आकामक आय	Equity Instruments through Other Comprehensive Income रिस्केटरी उपकरण के माध्यम से अन्य व्यापक आकामक आय	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other Items of Other Comprehensive Income (specify nature) अन्य सामग्री अन्य का व्यापक आय (निर्दिष्ट करें प्रकृति)	Money received against share warrants धन प्राप्त खलाफ शेयर करवा वारंट कुल	Total
Balance at the beginning of the previous reporting period Changes in accounting policy or prior period errors	आवेदन साझा करें लक्षित धन आवंटन	इक्विटी घटक यौगिक का वतीय उपकरण	पूरी भंडार	-	5.92	-9856.23	-	-	-	1332.05	-	-	-	-8442.57
Restated balance at the Total	-	-	75.69	-	5.92	-9856.23	-	-	-	1332.05	-	-	-	-8442.57
	प्रार से बनाने से कुल वस्तु त आय के लर चालू वर्ष	-	-	-	-	4682.16	-	-	-	-57.13	-	-	-	4625.03
Comprehensive Income for the current year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Any other changes (to be specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance at the end of the current reporting period	-	-	75.69	-	5.92	-5174.07	-	-	-	1274.92	-	-	-	-3817.54

Note: Remeasurement of defined benefit plans and fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss shall be recognised as a part of retained earnings with separate disclosure of such items alongwith the relevant amounts in the Notes or shall be shown as a separate column under Reserves and Surplus

परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वतीय देवदारियों के स्वयं के ऋण जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तनों को प्रतिपादित आय के एक भाग के रूप में मान्यता दी जाएगी।
नोटों में प्रासंगिक राशियों के साथ ऐसी मदों का अलग से खुलासा किया जाएगा अथवा उन्हें रिजर्व और अपक्षेप के अंतर्गत एक अलग कॉलम में दर्शाया जाएगा।

Trade and Other Payables
व्यापार और अन्य देय

Note 13
नोट 13
(Rupees in lakh)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Trade Payables व्यापार देय		
Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	-	-
Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय	553.60	557.25
Total कुल	553.60	557.25
Trade Payable Aging Schedule व्यापार देय उम्र अनुसार अनुसूची		

Outstanding as at 31st March 2024 31 मार्च 2024 तक बकाया						
Particulars विवरण	Less than 6 months 6 महीने से कम	6 Months to 1 Year 6 महीने से 1 साल तक	1-2 year 1-2 वर्ष	2-3 Year 2-3 वर्ष	More than 3 year 3 वर्ष से अधिक	Total कुल
i. MSME ii. एमएसएमई - Disputed विवादित - Others अन्य						
Sub-total (i) उप-योग (i)					0	0
(iii) Other than MSME (iv) एमएसएमई के अलावा अन्य - Disputed विवादित - Others अन्य					553.60	553.60
Sub-total (ii) उप-योग (ii)					553.60	553.60
Total (i+ii) कुल (i+ii)					553.60	553.60

Trade and Other Payables
व्यापार और अन्य देय
Note 13
नोट 13
(Rupees in lakh)
(लाख रुपए में)

Outstanding as at 31st March 2023 31 मार्च 2023 तक बकाया						
Particulars विवरण	Less than 6 months 6 महीने से कम	6 Months to 1 Year 6 महीने से 1 साल तक	1-2 year 1-2 वर्ष	2-3 Year 2-3 वर्ष	More than 3 year 3 वर्ष से अधिक	Total कुल
i. MSME एमएसएमई - Disputed विवादित - Others अन्य					0	0
Sub-total (i) उप-योग (i)					0	0
(ii) Other than MSME (iii) एमएसएमई के अलावा अन्य - Disputed विवादित - Others अन्य					557.25	557.25
Sub-total (ii) उप-योग (ii)					557.25	557.25
Total (i+ii) कुल (i+ii)					557.25	557.25

Note 14
नोट 14

Long Term Provisions
दीर्घकालिक प्रावधान

(Rupees in lakh)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Provision for employees's benefits कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान		
<u>Others</u> अन्य		
i) Provision for Expenses	54.97	5.65
ii) खर्च के लिए प्रावधान		
iii) Nehru Place Flat owners (Liability Under dispute under Delhi High Court)	7.48	7.48
iv) नेहरू प्लेस फ्लैट मालिक (दिल्ली उच्च न्यायालय के तहत विवाद के तहत देयता)		
Total कुल	62.45	13.13

		Note 15 नोट 15
Other Non Current Liabilities अन्य गैर वर्तमान देनदारियां		(Rupees in lakh) (लाख रुपए में)
Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Others दूसरों		
(a) Capital items पूंजीगत मदें	272.95	272.95
Sub Total (a)	272.95	272.95
(b) Other long term liabilities अन्य दीर्घकालिक देनदारियां		
i) Trade and other deposits	355.06	275.93
i) व्यापार और अन्य जमा		
ii) Security / Earnest money deposit	542.06	473.64
ii) सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट		
iii) Ex Employees	79.94	82.05
iii) पूर्व कर्मचारी		
iv) Ex-Employees (Lease accomodation)	2,267.32	2,231.06
iv) भूतपूर्व कर्मचारी (पट्टा आवास)		
v) Statutory liabilities (Undisputed)	78.29	78.29
v) सांविधिक देनदारियां (निर्विवादित)		
vii) Other Liabilities	82.45	82.45
vii) अन्य देनदारियां		
viii) Worker's Amenities Fund	123.66	116.35
viii) कामगार सुविधा निधि		
viii) Gratuity (Unfunded)	4.75	4.45
viii) ग्रेच्युटी (अनफंडेड)		
ix) Leave Encashment (Unfunded)	1.81	5.76
ix) लीव एनकैशमेंट (अनफंडेड)		
x) Superannuation (Unfunded)	20.20	19.29
x) अधिवर्षिता (अनफंडेड)		
xi) Bonus	0.10	0.20
xi) बोनस		
xii) Employees Thrift Society	0.45	0.45
xii) कर्मचारी बचत सोसायटी		
xiii) Special Welfare Fund	29.02	34.02
xiii) विशेष कल्याण कोष		
xiv) Provision for payment to IBP (IOCL)	9.96	9.96
(xiv) आईबीपी (आईओसीएल) को भुगतान का प्रावधान		
xv) Deferred rent received in advance	1,718.89	-
xv) अग्रिम रूप से प्राप्त आस्थगित किराया		
Sub Total b (I - XV)	5,313.96	3,413.90
Total (a+b) कुल	5,586.91	3,686.85

Note 16
नोट 16

Trade and Other Payables
व्यापार और अन्य देय

(Rupees in lakh)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Audit fee payable लेखा परीक्षा शुल्क देय	2.63	3.06
Total कुल	2.63	3.06

Note 17
नोट 17

Other Current Liabilities
अन्य वर्तमान देनदारियां

(Rupees in lakh)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
	अंत में आंकड़े	
Security / Earnest money deposit सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट	39.67	64.22
Trade and other deposits व्यापार और अन्य जमा	134.83	5.71
Statutory liabilities वैधानिक देनदारियां	74.41	334.69
Salary for employees कर्मचारियों के लिए वेतन	0.63	0.59
Deferred rent receivable in advance अग्रिम में प्राप्त आस्थगित किराया	556.86	50.20
Advance lease rental अग्रिम पट्टा किराया	2.30	-
Other Current Liabilities अन्य वर्तमान देनदारियां	21.48	20.80
Total कुल	830.18	476.21

Note 18
नोट 18

Short Term Provisions

अल्पकालिक प्रावधान

(Rupees in lakh)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
(a) Provisions for employees benefit (ए) कर्मचारियों के हित के लिए प्रावधान		
Superannuation (Unfunded) अधिवर्षिता (अनफंडेड)	3.14	-
(b) Other (ख) अन्य		
Provision for Expenses खर्च के लिए प्रावधान	226.86	187.83
Provision for arrear payment to contract labour ठेका श्रमिकों के बकाया भुगतान का प्रावधान	-	158.06
Total कुल	230.00	345.89

N. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)
आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक नहीं किया गया)

	(Rs. In lakhs) (रु) लाख में)	
Contingent liabilities and commitments आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (to the extent not provided for) (प्रावधानकी गई सीमा तक)	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
(I) Contingent liabilities		
(I) आकस्मिक देनदारियां		
Claims against the Company not कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें नहीं माना गया है acknowledged as debt. ऋण के रूप में स्वीकार किया जाता है।		
Tax matters in dispute under appeal including विवादित कर मामले (अपील सहित) possible interest संभावित ब्याज		
Demand for Sales Tax बिक्री कर की मांग	2,434.71	2,488.60
Demand for Property Tax संपत्ति कर की मांग	16.64	16.64
Pending decision of Court / under Arbitration निर्णय के लिये न्यायालय में लंबित / मध्यस्थता के तहत	697.39	856.75
Income Tax demand A.Y 18-19* आयकर मांग निर्धारण वर्ष 18-19*	9,747.65	5,698.17
Income Tax demand A.Y 20-21** आयकर मांग निर्धारण वर्ष 20-21**		2,27,205.84
Income Tax demand A.Y 22-23*** आयकर मांग निर्धारण वर्ष 22-23***	644.21	-

Income tax demand foreign Technicians**** आयकर मांग विदेशी तकनीशियन ****	19.14	19.14
Amount payable to Scrap dealer स्क्रेप डीलर को देय राशि	-	187.00
Demand from EPFO for deviation in investment Pattern निवेश पैटर्न में विचलन के लिए ईपीएफओ से मांग।	-	91.05
Total Contingent liabilities कुल आकस्मिक देनदारियां	13,559.74	2,36,563.19
(II) Commitments (II) प्रतिबद्धताएं		
(i) M/s. Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd. (i) मेसर्स डेलोइट टौचे तोहमात्सु इंडिया प्रा. लि	25.45	25.45
(ii) M/s. N.B.C.C. (ii) मै एन.बी.सी.सी.	4,356.02	4,765.69
Total Contingent liabilities कुल आकस्मिक देनदारियां	17,941.21	2,41,354.33

*Appeal has been filled with Hon'ble High Court Delhi
माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में अपील दायर की गई है

** Appeal effect of CIT orders has given by Assessing Officer
सीआईटी आदेशों का अपील प्रभाव निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया है

*** Appeal has been filed with CIT (Appeals
सीआईटी (अपील) में अपील दायर की गई है)

**** It relates to talchar Unit fee payable ,which is under disputed in Court.
यह देयतालचर इकाई से संबंधित है, जो न्यायालय में विवादित है।

Amount of old suit/filed/arbitration/Sales Tax/ Property tax cases are
on the basis of available records.

पुराने वाद/दायर/मध्यस्थता/बिक्री कर/संपत्ति कर मामलों की राशि उपलब्ध अभिलेखों
के आधार पर ली गई है

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की संदर्भित अनुसूचियां

Revenue from operations
संचालन से राजस्व

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Sales बिक्री	-	-
Total कुल	-	-

OTHER INCOME
अन्य आय
Note 19
नोट 19
(Rupees in lakhs)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Interest Income ब्याज से आय		
Short term deposits लघु अवधि जमायें	3,975.80	2,838.17
Bank deposits workers amenities fund श्रमिक सुविधा निधि हेतु बैंक में जमा	4.61	4.61
Less: Transfer to workers amenities fund घटाये: श्रमिक सुविधाओं के कोष में स्थानांतरण	(4.61)	(4.61)
Other non-operating Income अन्य गैर-परिचालन आय		
Recovery of Rent, Elec/Water charges from lease accommodation लीज आवास से किराया, विद्युत / जल शुल्क की वसूली	293.15	227.49
Recovery of rent from land/Railway siding भूमि/रेलवे साइडिंग से किराए की वसूली	790.10	628.36
Misc Income विविध आय	6.72	590.78
Other petty income अन्य छोटी आय	46.21	1,536.30
Recovery of dues from HFC एच एफ सी से देय राशि की वसूली	-	29.56
Receipt of Bid value बोली मूल्य की प्राप्ति	19.33	17.85
Rental Income from Cylinder सिलेंडर से किराये की आय	4.83	4.83
Provision no longer required written back वपस लिये गये प्रावधान जो नहीं चाहिये	3.68	90.88
Sale of fly ash राख की बिक्री	881.59	1,209.00
Prior period Income (refer note 23) पूर्व अवधि आय (नोट 23 देखें)	420.12	2.02
Profit on sale of Fixed Assets अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.47
Sale of Horticultural Products, dry logwoods बागवानी उत्पादों की बिक्री, सूखी लकड़ी की बिक्री	5.21	0.13
Total कुल	6,446.74	7,175.84

Employee Benefits Expense
कर्मचारी हित व्यय
Note 20
नोट 20
(Rupees in lakhs)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Salaries & Wages वेतन और मजदूरी	12.43	23.31
Contribution to provident fund भविष्य निधि में योगदान	0.29	0.28
Expenses on VSS वीएसएस पर खर्च	0.92	1.11
Staff Welfare Expenses कर्मचारी कल्याण व्यय	3.29	3.15
Leave encashment अवकाश नकदीकरण	0.10	0.68
Gratuity to employees कर्मचारियों को ग्रेच्युटी	0.30	0.34
Total कुल	17.33	28.87

Finance cost
वित्त लागत
Note 21
नोट 21
(Rupees in lakhs)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Other Interest अन्य ब्याज	-	0.02
Interest on delayed payment of advance tax अग्रिम कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.31	0.68
Bank charges बैंक शुल्क	0.24	0.20
Penal damages & interest EPF दंड क्षति और ब्याज ई पी एफ	-	0.19
Total Finance Cost कुल वित्तीय लागत	0.55	1.09

Depreciation and Amortization Expenses
मूल्य ह्रास परिशोधन व्यय

Note 22
नोट 22

(Rupees in
lakhs)
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Depreciation on Property Plant & Equipment संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	9.08	10.24
Total कुल	9.08	10.24

Other expenses
अन्य खर्च
Note 23
नोट 23

	(Rupees in lakhs) (लाख रुपए में)	
Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Electricity & Water charges बिजली और जल के शुल्क	14.34	10.72
Rent किराया	6.00	6.00
Repair & Maintenance मरम्मत और रखरखाव	2.88	1.64
Security Expenses सुरक्षा खर्च	311.32	338.27
Insurance बीमा	0.23	0.16
Rates & Taxes दरें और कर	84.72	54.34
Payment to retainers प्रतिधारितों को भुगतान	117.86	113.45
Contract labour expenses ठेका श्रम व्यय	224.76	161.35
Legal & Professional expenses कानूनी और व्यावसायिक व्यय	36.80	157.06
Interest paid as per Court order न्यायालय के आदेश के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज	85.61	-
Hire charges of Vehicles वाहनों का किराया शुल्क	21.11	30.52
Inspection charges of EPF ईपीएफ का निरीक्षण प्रभार	0.12	0.11
News papers & periodicals समाचार पत्र और पत्रिकाएं	0.21	0.20

Other expenses
Note 23
अन्य खर्च
नोट 23

Guest House Expenses गेस्ट हाउस का खर्च	0.08	0.05
Printing & Stationery मुद्रण और स्टेशनरी	3.79	3.85
Postage and Telegram डाक और टेलीग्राम	0.85	1.04
Telephone, Fax etc. टेलिफोन फैक्स आदि	2.16	3.10
Travel Expenses यात्रा व्यय		
Director निर्देशक	0.73	0.65
Others अन्य	6.82	9.70
Lease Rent of NOIDA land नोएडा जमीन की लीज रेंट	5.99	5.99
Advertisement विज्ञापन	7.19	0.30
Provisions for doubtful debts संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	10.19	21.10
Prior period expenditure पूर्व अवधि का व्यय	65.78	31.35
Expenditure on rehabilitation study पुनर्वास अध्ययन पर व्यय	2.57	1.73
Misc. Expenses विविध व्यय	201.23	171.96
Payment to Auditors As auditor		
लेखा परीक्षक के रूप में अंकेक्षरों को भुगतान		
a) Audit fee a) लेखा परीक्षा शुल्क	2.41	2.41
b) Tax Audit fee ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.47	0.47
c) Reimbursement expenses c) प्रतिपूर्ति व्यय	-	-

Other expenses
Note 23
अन्य खर्च
नोट 23

Consultancy charges - PDIL (Net of reimbursement) परामर्श प्रभार - पीडीआईएल (प्रतिपूर्ति का शुद्ध)	-	9.91
Certification charges प्रमाणन शुल्क	0.38	0.07
Expenditure of CGST सीजीएसटी का व्यय	11.37	1.30
Expenditure of SGST एसजीएसटी का व्यय	11.37	1.30
Expenditure of IGST आईजीएसटी का व्यय	1.27	1.39
Expenditure on CESS उपकर पर व्यय	10.05	41.91
Filling and licence fee लाइसेंस शुल्क	0.13	0.38
Loss on Assets transferred to HURL एचयूआरएल को हस्तांतरित परिसंपत्तियों पर नुकसान	-	0.54
Subscription to other organisation अन्य संगठन की सदस्यता	2.00	-
Commission on MSTC एमएसटीसी पर कमीशन	28.99	39.41
Expenditure on CSR Activities सीएसआर गतिविधियों पर व्यय	48.09	33.76
	1,329.87	1,257.99
Prior Period Items पूर्व अवधि की वस्तुएँ		
Salaries & Wages वेतन और मजदूर	0.20	0.21
Depreciation मूल्यहास	-	0.18
Other expenses अन्य खर्चों	65.58	30.96
Total (कुल)	65.78	31.35
Income आमदनी		
Other Misc. income अन्य अवध आय	420.12	2.02
Total कुल	420.12	2.02
NET TOTAL निवल योग	354.34	29.33

Earning per share(EPS)
प्रति शेयर अग्र्य (ईपीएस)

Note 24
नोट 24

**(Rupees in
lakhs)**
(लाख रुपए में)

Particulars विवरण	Figures as at the end of current reporting period 2023-24 वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत में आंकड़े	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23 पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के अंत में आंकड़े
Net Profit /Loss for the year वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि	3,784.86	4,682.16
Amount available for equity share holders(A) इक्विटी शेयर धारकों के लिए उपलब्ध राशि (A)	3,784.86	4,682.16
Weighted average number of shares(B) शेयरों की भारित औसत संख्या (B)	75.09	75.09
Basic and diluted earning per share(A/B) प्रति शेयर मूल और द्वयीय आय ((ए/बी)	50.40	62.35
Face value 1000 per share फेस वैल्यू 1000 प्रति शेयर		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और खातों के लिए नोट्स, 31 मार्च, 2024 को वित्तीय विवरणों का भाग हैं।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST March, 2024

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

पिछले वर्ष की नीतियों की तुलना में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिनका लगातार पालन किया जा रहा है।

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

There is no change in significant accounting policies during the year as compared to previous year policies, which are being consistently followed.

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) जहाँ तक अधिसूचित है कि प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड ए एस) के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अंतर्गत, कुछ वित्तीय प्रयुक्त उपकरण को छोड़कर जो कि उचित मूल्यों पर आँके जाते हैं, उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं। इण्ड ए एस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं, कंपनी नियम 2015 इण्डियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम 3 और उसके बाद जारी संबंधित संशोधित नियम के साथ पढ़ें।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक और सहित सभी अवधियों के लिए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (भारतीय जीएएपी) के पैराग्राफ 7 के साथ पढ़ा गया। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पहला था जिसे कंपनी ने इंड एएस के अनुसार तैयार किया है।

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') (to the extent notified). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the relevant amendment rules issued thereafter.

For all periods up to and including the year ended 31 March 2018, the Company prepared its financial statements in accordance with accounting standards notified under Section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (Indian GAAP). The financial statements for the year ended 31 March 2019 were the first which the Company has prepared in accordance with Ind AS.

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

The financial statements have been prepared on a historical cost basis.

कंपनी की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के संबंध में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के दिनांक 09/05/2013 के निर्णय के कार्यान्वयन के बाद चालू निकाय के आधार पर लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

Accounts have been finalized on the basis of going concern after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs' (CCEA) dated 9/5/2013 on revival of closed units of Company.

राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('INR') में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख (INR 00,000) तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

ROUNDING OF AMOUNTS

The financial statements are presented in Indian Rupees ('INR') and all values are rounded to nearest lakh (INR 00,000), except when otherwise indicated.

II. अनुमानों का उपयोग

आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ विश्वास में वित्तीय विवरणों की पूर्वधारणा के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और वित्तीय विवरण की तारीख पर आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण और वर्ष के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधि में भावी रूप से मान्यता दी जाती है।

II. USE OF ESTIMATES

The preparation of Financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets & liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the date of Financial statement and the reported amounts of revenues and expenses during the year. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

III. व्यापार संयोजन

(क) इंड ए एस के अनुसार पहली बार अंगीकृत करने से संबंधित प्रावधानों को ग्रुप ने भावी व्यापार एकरूपता के लिए इंड ए एस लेखांकन को 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का निर्णय लिया है। अतः व्यापार एकरूपता से संबंधित इंडियन जी एस ए ए पी बकाया जो की उसे तिथि से पहले प्रविष्टि की गई है, सद्भावना (गुडविल) सहित न्यूनतम समायोजन के साथ आगे लिखित कर दिया गया है।

III. BUSINESS COMBINATIONS

In accordance with Ind AS 101 provisions related to first time adoption, the Company has elected to apply Ind AS accounting for business combinations prospectively from 1 April 2014. As such, Indian GAAP balances relating to business combinations entered into before that date, including goodwill, have been carried forward with minimal adjustment.

व्यापार एकरूपता को अर्जन पद्धति से लेखांकित किया गया है। अंतरित किए गए प्रतिफल के कुल के रूप में अर्जन के लागत का मैप अर्जन के दिनांक से उचित मूल्य, और अर्जन में किसी भी प्रकार की अनियंत्रित ब्याज का राशि को माता जाता है। प्रत्येक व्यापार एकरूपता के लिए कहां कंपनी या तो अनियंत्रित ब्याज के अर्जन को उचित मूल्य पर मापने के लिए अथवा अर्जन करने वाले की पहचान हो सकने योग्य निबंध परिसंपत्ति का औसत शेयर चुनती है। अर्जन संबंधी खर्चों को व्यय में दिखाया गया है।

संयुक्त उद्यमों में निवेश

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के दिनांक 04.08.2011 और 27.06.2013 के अधिदेश के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन किया गया था। एफसीआईएल को भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसम्पत्तियां और अवसर लागत उपलब्ध कराने के बदले में इक्विटी दी गई है।

- रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
- तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और
- हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड।

संयुक्त उद्यम करारों के अनुसार। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) में एक कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है, यदि उसके पास एक या अधिक सहायक कंपनियां हैं, जिनमें सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम शामिल हैं।

कानूनी राय के आधार पर कंपनी का विचार है कि कंपनियों में कंपनी का निवेश "संयुक्त उद्यम" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि लेखा मानक एएस - 27 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' में प्रदान किया गया है क्योंकि कंपनी उपरोक्त कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। इसलिए कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष

Business combinations are accounted for using the acquisition method. (The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interests in the acquiree.) For each business combination, the Company elects whether to measure the non-controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred.

Investment in joint ventures

As per Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) mandate dated 04.08.2011 & 27.06.2013 the following Joint Ventures Companies were formed to set up Fertilizer plants. FCIL has been given equity in lieu of providing land use, usable assets and opportunity cost.

- Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited,
- Talchar Fertilizers Limited and
- Hindustan Urvarak and Rasayan Limited

As per the Joint Venture Agreements. Section 129(3) of the Companies Act, 2013, requires a Company to prepare Consolidated Financial Statements, if it has one or more subsidiaries, which include associate company and joint venture.

The Company based on the legal opinion is of the view that the Company's investment in Companies does not fall under the definition of "Joint Venture" as provided for in Accounting Standard AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures' as the Company does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid Companies. The Company has therefore not prepared

के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं और पहले के वर्षों के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भी तैयार किए हैं।

IV. वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। एक संपत्ति को वर्तमान के रूप में माना जाता है जब यह होता है:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की अपेक्षा
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समकक्ष जब तक कि समीक्षाधीन अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग किए जाने से प्रतिबंधित न हो
- अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कोई दायित्व तब चालू होता है जब:

- यह सामान्य परिचालन चक्र में तय होने की उम्मीद है।
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर तय होने के कारण है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए

Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2024 and for earlier years also have prepared its Standalone Financial Statements as per requirements of the notified accounting standards under Section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

IV. Current versus non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle
- Held primarily for the purpose of trading
- Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period
- All other assets are classified as non-current.

A liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle
- It is held primarily for the purpose of trading
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve

दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है

कंपनी अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। समूह ने अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह महीनों की पहचान की है।

months after the reporting period

- The Company classifies all other liabilities as non-current.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents.

The group has identified twelve months as its operating cycle.

V. राजस्व मान्यता

राजस्व को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है, भले ही भुगतान कब किया जा रहा हो। राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, भुगतान की अनुबंधात्मक रूप से परिभाषित शर्तों को ध्यान में रखते हुए और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या कर्तव्यों को छोड़कर। राजस्व को मान्यता देने से पहले निम्नलिखित विशिष्ट मान्यता मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिए:

- ब्याज आय को निवेश की गई राशि और ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है; और
- राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो आमतौर पर तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देते हैं; और
- निवेश संपत्तियों पर परिचालन पट्टों से उत्पन्न होने वाली किराये की आय पट्टे की शर्तों पर प्रोद्भवन आधार पर होती है और इसकी परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में राजस्व में शामिल होती है।

V. REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account contractually defined terms of payment and excluding taxes or duties collected on behalf of the government. Following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised:

- Interest income is recognised on a time proportion basis taking into account the amount invested and the rate of interest; and
- Revenue is recognised when the Company's right to receive the payment is established, which is generally when shareholders approve the dividend; and
- Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on accrual basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature.

• VI. संपत्ति, प्लैंट और उपकरण (PPE)

पिछले GAAP (भारतीय GAAP) के तहत, फ्रीहोल्ड भूमि और भवन (संपत्ति), निवेश संपत्ति के अलावा, 31/03/2015 को किए गए उचित मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट में ले जाया गया था। कंपनी ने पुनर्मूल्यांकन की तारीख में संपत्ति के उन मूल्यों को डीम्ड लागत के रूप में मानने के लिए चुना है क्योंकि वे मोटे तौर पर उचित मूल्य के बराबर थे। कंपनी ने यह भी निर्धारित किया है कि 31/03/2015 को पुनर्मूल्यांकन 1 अप्रैल, 2018 (इंडस्ट्रीज़ एएस में संक्रमण की तारीख) के रूप में उचित मूल्यांकन से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 को संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं को इंडस्ट्रीज़ एएस में संक्रमण की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा गया है। कंपनी उचित मूल्य को संक्रमण तिथि अर्थात् 1 अप्रैल 2018 को डीम्ड लागत के रूप में मानती है।

अन्य संपत्ति:

- 1) मूर्त अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है, निपटान के लिए रखी गई अचल संपत्तियों को छोड़कर, जिनका 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गया है।
- 2) मूर्त अचल संपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए पूर्ण और तैयार होने के लिए प्रमाणित होने के बाद पूंजीकृत किया जाता है।
- 3) राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा निशुल्क दी गई भूमि का पूंजीकरण लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार लागत और/अथवा आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
- 4) मशीनरी स्पेयर जो कंपनी 12 महीने की अवधि से अधिक उपयोग करने का इरादा रखती है, लेखा मानक - 2 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसरण में पूंजीकृत हैं।

VI. PROPERTY, PLALN & EQUIPMENT (PPE)

Under the previous GAAP (Indian GAAP), Freehold land and buildings (property), other than investment property, were carried in the balance-sheet on the basis of fair valuations performed as at 31/03/2015. The Company has elected to regard those values of property as deemed cost at the date of the revaluation since they were broadly comparable to fair value. The Company has also determined that revaluation as at 31/03/2015 does not differ materially from fair valuation as at 1st, April 2018 (date of transition to Ind AS). Accordingly, the Company has not re-valued the property at 1 April 2018 again. Certain items of plant and equipment have been measured at fair value at the date of transition to Ind AS. The Company regards the fair value as deemed cost at the transition date, viz., 1st. April 2018.

Other Assets:

- 1) Tangible fixed assets are stated at Historical Cost except fixed assets held for disposal which has been re-valued during the year ended 31st March 2015.
- 2) Tangible fixed assets are capitalized after they are certified to be complete and ready for their intended use.
- 3) Land given 'free of cost' by State Governments and other authorities is capitalised at cost and / or on the basis of incidental expenditure as per the guidelines given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.
- 4) Machinery spares which the company intends to use more than a period of 12 months are capitalized in pursuance with provisions of Accounting Standard - 2 (Revised).
- 5) Intangible Asset is recognised only in case

5) अमूर्त संपत्ति को केवल संभावना के मामले में मान्यता दी जाती है कि भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी में प्रवाहित होंगे और लागत और व्यय को मज़बूती से मापा जा सकता है।

6) सेवानिवृत्त अचल संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों को मूल लागत के 95% तक मूल्यहास किया जाता है और 5% को अवशिष्ट मूल्य के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि, जहां अचल संपत्ति पहले से ही लागत के 95% से अधिक मूल्यहास कर रही है, इसे वैसे ही बनाए रखा जाता है।

VII. खरीदी वस्तु

दीर्घकालीन निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट / कमी ऐसे निवेश के मूल्य में मान्यता प्राप्त है और इसके लिए प्रदान किया गया है।

VIII. अवमूल्यन

क) परिवर्धन वर्ष में रु.5,000/- तक की लागत वाली परिसंपत्तियां पूर्णतया मूल्यहास हो जाती हैं।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II में निर्दिष्ट अचल संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर यथानुपात आधार पर मूल्यहास और परिशोधन प्रदान किया जाता है।

ग) लीज होल्ड भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ix. सूची

माल-सूची का मूल्यांकन लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है।

प्रत्येक उत्पाद को उसके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली लागतों का हिसाब निम्नानुसार है:

- कच्चा माल: लागत में खरीद की लागत और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। लागत पहले में, पहले निर्गम आधार पर

of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost & expenses could be measured reliably.

6) Retired fixed assets and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown as residual value. However, where fixed assets are already depreciated more than 95% of the cost, it is retained as it is.

VII. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Decline/ diminution other than temporary, in the value of such investment is recognised and provided for.

VIII. DEPRECIATION

a) Assets costing up to Rs.5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

b) Depreciation and amortization is provided on a pro-rata basis on the straight-line method over the estimated useful lives of the fixed assets as specified in Schedule-II to the Companies Act, 2013.

c) Lease hold land is amortised over the period of lease.

IX. INVENTORIES

Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follows:

- Raw materials: cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on first in, first out basis.

निर्धारित की जाती है।

- तैयार माल और कार्य प्रगति पर: लागत में प्रत्यक्ष सामग्री और श्रम की लागत और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण ओवरहेड्स का अनुपात शामिल है, लेकिन उधार लेने की लागत को छोड़कर। लागत पहले में, पहले निर्गम आधार पर निर्धारित की जाती है।
- व्यापारिक सामान: लागत में खरीद की लागत और अन्य लागतें शामिल हैं जो इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होती हैं। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूर्णता की कम अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत है।

पैकिंग सामग्री और भंडार और पुर्जों के अन्य स्टॉक को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा गया है और मूल्य में अप्रचलन के लिए प्रावधान बनाया गया है।

ii) अप्रचलन या कमी:

माल-सूची के वर्तमान मूल्यों को लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर माना जाता है।

x. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति खराब हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक संपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई (CGU) के उचित मूल्य, निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जब

- Finished goods and work in progress: cost includes cost of direct materials and labour and a proportion of manufacturing overheads based on the normal operating capacity, but excluding borrowing costs. Cost is determined on first in, first out basis.
- Traded goods: cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The other stock of Packing material and stores & spares has been measured at net realisable value and provision has been created for obsolescence in value.

ii) Obsolescence or depletion:

The current values of inventories are considered at the cost or net realisable value, whichever is less.

X. Impairment of non-financial assets

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable

किसी परिसंपत्ति या CGU की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और इसे इसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। निपटान की उचित मूल्य कम लागत का निर्धारण करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

निरंतर संचालन के हानि नुकसान, इन्वेंट्री पर हानि सहित, लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त हैं, पहले ओसीआई को लिए गए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष के साथ पुनर्मूल्यांकन के साथ पुनर्मूल्यांकन किए गए गुणों को छोड़कर। ऐसी संपत्तियों के लिए, हानि को ओसीआई में किसी भी पिछले पुनर्मूल्यांकन अधिशेष की राशि तक मान्यता दी जाती है।

सदभावना को छोड़कर संपत्ति के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक आकलन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो क्योंकि अंतिम हानि हानि को मान्यता दी गई थी। उत्क्रमण सीमित है ताकि परिसंपत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, और न ही वहन राशि से अधिक हो जो निर्धारित की गई हो, मूल्यहास का शुद्ध, पूर्व वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि हानि मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस तरह के उत्क्रमण को लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसंपत्ति को फिर से मूल्यवान राशि पर नहीं ले जाया जाता है, इस मामले में, उत्क्रमण को

amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.

Impairment losses of continuing operations, including impairment on inventories, are recognised in the statement of profit and loss, except for properties previously re-valued with the revaluation surplus taken to OCI. For such properties, the impairment is recognised in OCI up to the amount of any previous revaluation surplus.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss unless the asset is carried at a re-valued amount, in which case, the reversal is treated as a revaluation increase.

पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

XI. कर्मचारियों को लाभ

i. अल्पकालिक कर्मचारियों के लाभ

अल्पावधि कर्मचारियों के लाभ, जैसे कि वीआरएस के लिए चुने गए कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, वेतन, मजदूरी, भविष्य निधि में योगदान, भुगतान वार्षिक अवकाश, मौद्रिक लाभ, जैसे, चिकित्सा देखभाल और गैर-मौद्रिक लाभ जैसे वर्तमान कर्मचारियों के लिए घर, वर्तमान व्यय के रूप में खातों में चार्ज किए जाते हैं।

ii. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के प्रति दायित्व, अर्थात्, ग्रेच्युटी निधि में योगदान, संचित छुट्टी के नकदीकरण के प्रावधान प्रोद्भव आधार पर किए जाते हैं और लाभ और हानि के विवरण पर लगाए जाते हैं।

XII. प्रीपेड खर्च

प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये तक के प्रीपेड खर्चों का हिसाब उस वर्ष में लगाया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

XIII. तीन साल से अधिक पुराने प्राप्त को संदिग्ध ऋण के रूप में माना और प्रदान किया जाना चाहिए।

XIV. पट्टों:

यह निर्धारित करना कि क्या कोई व्यवस्था एक पट्टा है (या इसमें शामिल है) पट्टे की स्थापना के समय व्यवस्था के पदार्थ पर आधारित है। व्यवस्था है, या इसमें शामिल है, एक पट्टा यदि व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताती है, भले ही वह अधिकार स्पष्ट रूप से एक व्यवस्था में निर्दिष्ट न हो।

XI. EMPLOYEES BENEFITS

i. Short Term Employees' Benefits

Short term employees' benefits, such as, gratuity for employees opted for VRS, salary, wages, contribution to Provident Fund, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non-monetary benefits like houses for current employees, are charged off in accounts as current expenditure.

ii. Retirement Benefits

The liability towards post-retirement benefits, i.e., contribution to Gratuity fund, provision for encashment of accumulated leave are made on accrual basis and charged to statement of Profit & Loss.

XII. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses up to Rs.25,000 in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

XIII. Receivables for more than three years old to be treated and provided as doubtful debts.

XIV. LEASES :

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

जहां कंपनी पट्टेदार पट्टे है जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को बनाए रखता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज भुगतान को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां कंपनी पट्टेदार पट्टे है जिसमें कंपनी काफी हद तक स्थानांतरित नहीं करती है, संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के अधीन संपत्ति अचल संपत्तियों में शामिल हैं। पट्टे की आय को पट्टे की अवधि में प्रोद्भव आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। "सा सहित लागत को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे कानूनी लागत, ब्रोकरेज लागत आदि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

xv. प्रति शेयर कमाई

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

ख. खातों पर नोट्स

पृष्ठभूमि

1. फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) को 1 जनवरी 1961 को सिंदरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के समामेलन द्वारा शामिल किया गया था।

Where the Company is the lessee

Leases where the lessor effectively retain substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

Where the Company is the lessor Leases in which the company does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognised in the Statement of Profit and Loss on accrual basis over the lease term. Cost including depreciation is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss. Initial direct costs such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

XV. EARNING PER SHARE

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

b. NOTES ON ACCOUNTS

Background

1. Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) was incorporated on 1st January 1961 by the amalgamation of Sindri Fertilizers & Chemicals Limited and Hindustan Chemicals & Fertilizers Limited.

2. बाद में, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को 1.4.1978 को पांच कंपनियों, एफसीआईएल, एनएफएल, एचएफसीएल, आरसीएफ और पीडीआईएल में पुनर्गठित किया गया।
3. एफसीआईएल की चार इकाइयां हैं, सिंदरी (झारखंड), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामागुंडम (तेलंगाना) और तलचर (ओडिशा) इकाइयां और कोरबा परियोजना (छत्तीसगढ़) स्थल।
2. Later, Fertilizer Corporation of India Limited and National Fertilizers Limited were reorganized on 1.4.1978 into five Companies, namely, FCIL, NFL, HFCL, RCF & PDIL.
3. FCIL has four Units, namely, Sindri (Jharkhand), Gorakhpur (Uttar Pradesh), Ramagundam (Telengana) & Talcher (Odisha) Units and Korba Project (Chhattisgarh) site.

बीआईएफआर के लिए रेफरल

4. पुनर्गठन के बाद, प्रौद्योगिकी के पुराने होने और एफसीआईएल के पास रखी गई इकाइयों के फीडस्टॉक की प्रकृति के कारण, कंपनी ने घाटा उठाना शुरू कर दिया, जिससे 1983-84 तक इसका संपूर्ण निवल मूल्य समाप्त हो गया।
5. रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) में संशोधन के बाद 1992 में एफसीआईएल को अप्रैल, 1992 में बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था।

इकाइयों के संचालन को बंद करना

6. उर्वरक इकाइयों के आर्थिक प्रचालनों की अव्यवहार्यता के कारण, भारत सरकार ने 2002 में सभी उर्वरक इकाइयों के प्रचालनों को बंद करने और वीएसएस पर कर्मचारियों को छोड़ने का निर्णय लिया। तदनुसार, अधिकांश कर्मचारियों को वीएसएस पर रिहा कर दिया गया था, सिवाय संयंत्रों की सुरक्षा और संरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए बहुत कम कर्मचारियों को छोड़कर और सांविधिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए। जिन कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें बाद में सेवानिवृत्त कर दिया गया है अथवा उन्हें यथा समय वीएसएस के अंतर्गत सेवामुक्त कर दिया गया है।
7. वर्तमान में, कंपनी के रोल पर केवल 1 कर्मचारी है और विभिन्न यूनिटों/कॉर्पोरेट कार्यालय में नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अनुचर की

Referral to BIFR

4. Post reorganization, due to aging of technology and nature of feedstock of the units retained with FCIL, the Company started incurring losses, eroding its entire Net Worth by 1983-84.
5. Subsequent to the amendment of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA), in 1992, FCIL was referred to BIFR in April 1992.

Closure of operations of the Units

6. Due to un-viability of economic operations of the fertilizer Units, GoI in 2002 took a decision for closure of operations of all the fertilizer units and release of employees on VSS. Accordingly, most of the employees were released on VSS, except skeleton staff retained for the purpose of safety & security of the plants and to discharge the statutory functions. The employees, who were retained, have subsequently been superannuated or released under VSS in due course of time.
7. At present, there is only 1 employee on the rolls of the Company and services of few retainers are being taken to supplement the job requirements at different Units/

सेवाएं ली जा रही हैं।

Corporate Office.

इकाइयों का पुनरुद्धार

8. बाद में, देश में यूरिया की मांग-आपूर्ति के अंतर को ध्यान में रखते हुए और एफसीआईएल की बंद उर्वरक इकाइयों में उपलब्ध परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए, अप्रैल 2007 में भारत सरकार ने इन इकाइयों के पुनरुद्धार पर विचार करने का निर्णय लिया।
9. अक्टूबर, 2008 में, सीसीईए ने सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया जो इन इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की जांच करेगी और सरकारी वित्तपोषण का सहारा लिए बिना तथा गैस की उपलब्धता के अध्यधीन पुनरुद्धार के लिए एक योजना की सिफारिश करेगी।
10. सीसीईए ने ईसीओएस की सिफारिशों पर 4-8-2011 को एक मसौदा पुनर्वास योजना अनुमोदित की थी ताकि अलग-अलग इकाइयों का या तो भारत सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अथवा बोली प्रक्रिया के माध्यम से पुनरुद्धार किया जा सके। सीसीईए ने यह भी अनुमोदन किया कि सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार करने वाले संयुक्त उद्यम परियोजना में न्यूनतम 11% इक्विटी और बोर्ड सीट एफसीआईएल को प्रदान करेंगे।
11. इसके अलावा, सीसीईए ने दिनांक 09/05/2013 को एफसीआईएल के निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए एफसीआईएल के निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए भारत सरकार के ऋण (273927.66 लाख रुपए) और ब्याज (790446.80 लाख रुपए) को माफ करने का अनुमोदन किया है ताकि एफसीआईएल पुनरुद्धार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बीआईएफआर से पंजीकरण रद्द करा सके। कंपनी को दिनांक 27/06/2013 को बीआईएफआर से अपंजीकृत कर दिया गया था।
12. वर्तमान में, भारत सरकार के अनुमोदन से, एफसीआईएल की इकाइयों का पुनरुद्धार किया जा रहा है

Revival of Units

8. Subsequently, considering the demand-supply gap of urea in the country and to leverage the assets & infrastructure available in the closed fertilizer Units of FCIL, GoI, in April 2007, took a decision to consider revival of these Units.
9. In October 2008, CCEA constituted an Empowered Committee of Secretaries (ECoS) to examine the viability of revival of these Units and recommend a Scheme for revival, without recourse to Government funding and subject to the availability of gas.
10. CCEA approved a Draft Rehabilitation Scheme on 4.8.2011 on the recommendations of ECoS for revival of the individual Units either by GoI nominated PSUs or through bidding route. CCEA further approved that the reviving JVs of Government nominated PSUs would offer a minimum of 11% equity and a Board seat in the Project to FCIL.
11. Further, CCEA on 9.5.2013 approved waiver of GoI loan (Rs.273927.66 lakhs) & interest (Rs.790446.80 lakhs) of FCIL as on 31.3.2012 to make its net worth positive to enable FCIL to get de-registered from BIFR to speed up the revival process. The Company was de-registered from BIFR on 27.6.2013.
12. At present, with the approval of GoI, the revival of the Units of FCIL is being carried

जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है –

संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ पट्टा करारों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं/हस्ताक्षर किए जाने हैं। पट्टा करारों की शर्तों के अनुसार सभी पट्टे चल रहे पट्टे हैं और तदनुसार लेखांकन व्यवस्था की गई है।

out as detailed below:-

The lease agreements with the Joint Ventures Companies have been signed/are to be signed. As per terms of lease agreements all the leases are operating leases and accounting treatment has been made accordingly.

रामागुंडम यूनिट

नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत ईआईएल, एनएफएल और एफसीआईएल द्वारा 12.7 लाख मी.टन यूरिया प्रति वर्ष की क्षमता वाला गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन किया गया है। एफसीआईएल को भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसम्पत्तियां और अवसर लागत उपलब्ध कराने के बदले में 11% इक्विटी दी गई है। एफसीआईएल के साथ रियायत समझौते, पट्टा समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयंत्र ने 22 मार्च 2021 से यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

Ramagundam Unit

A Joint Venture Company, namely, Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL) has been incorporated by the nominated PSUs, namely, EIL, NFL and FCIL to set-up a gas-based fertilizer plant with a capacity of 12.7 lakh MT Urea per annum. FCIL has been given 11% equity in lieu of providing land use, usable assets and Opportunity Cost. Concession Agreement, Lease Agreement & Substitution Agreement have been signed with FCIL. The plant has started commercial production of Urea w.e.f. 22nd March 2021.

तालचर यूनिट

नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत आरसीएफ, गेल, सीआईएल और एफसीआईएल द्वारा प्रतिवर्ष 12.7 लाख मी.टन यूरिया क्षमता का कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए तालचर फटलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई है। एफसीआईएल को भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसम्पत्तियां और अवसर लागत उपलब्ध कराने के बदले 4.45% इक्विटी दी जाएगी। प्रोजेक्ट का काम अब आगे बढ़ रहा है। परियोजना-पूर्व कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं। विभिन्न एलएसटीके और गैर-एलएसटीके संविदा फर्मों द्वारा परियोजना कार्यकलाप प्रगति पर हैं। सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ECoS) द्वारा अनुमोदित FCIL और TFL के बीच रियायत समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। FCIL और TFL के बीच पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी हैं।

Talcher Unit

A Joint Venture Company, namely, Talcher Fertilizers Limited (TFL) has been incorporated by the nominated PSUs, namely, RCF, GAIL, CIL and FCIL to set-up a coal-based fertilizer plant with a capacity of 12.7 lakh MT Urea per annum. FCIL will be given 4.45% equity in lieu of providing land use, usable assets and Opportunity Cost. The job of project is now going ahead. Pre-project activities have been completed. Project activities are in progress by various LSTK and Non-LSTK contract firms. Concession Agreement and Substitution Agreement has been signed between FCIL & TFL, approved by the Empowered Committee of Secretaries (ECoS). Lease Agreement is yet to be signed between FCIL & TFL.

सिंदरी और गोरखपुर इकाइयाँ

केन् द्रीय मंत्रिमंडल ने 13.07.2016 को एफसीआईएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों को एचएफसीएल की बरौनी इकाई के साथ-साथ नामित पीएसयू की संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः एनटीपीसी, सीआईएल और आईओसीएल द्वारा प्रत्येक 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। एफसीआईएल और एचएफसीएल भी संयुक्त उद्यम भागीदार होंगे, जिन्हें भूमि उपयोग, उपयोग योग्य संपत्ति और अवसर लागत के बदले प्रत्येक परियोजना में 10.99% इक्विटी प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल ने पुनरुद्धार प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया। इकाइयों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से 'हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)' के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल किया गया था। सिंदरी और गोरखपुर परियोजनाओं के लिए FCIL और HURL के बीच रियायत समझौतों के साथ-साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों के लिए प्रतिस्थापन समझौतों पर भी FCIL, HURL और ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। गोरखपुर और दक्षिण में 03.05.2022 और 15.4.2023 को वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है।

ग. अचल संपत्ति, प्रगति और आकस्मिक देनदारियों में पूंजी कार्या

- (i) सिंदरी में कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से बिहार सरकार (अब झारखंड) से निःशुल्क प्राप्त 112 एकड़ भूमि का मूल्य सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजी आरक्षित के तहत अनुमानित मूल्य पर 14.11 लाख रुपये आंका गया है, जिसे बाद में लाभ और हानि खाते में डेबिट करके खातों की पुस्तकों से वापस ले लिया गया था। बाद के वर्षों में एफसीआईएल द्वारा भूमि के

Sindri & Gorakhpur Units

Union Cabinet decided on 13.7.2016 to revive Sindri & Gorakhpur Units of FCIL, along with Barauni Unit of HFCL by a Joint Venture Company of nominated PSUs, namely, NTPC, CIL & IOCL to set up gas based Fertiliser plants with a capacity of 12.7 lakh MT. per annum each. FCIL & HFCL would also be Joint Venture partners, who would receive 10.99% of equity in each of the projects in lieu of land use, usable assets & opportunity cost. Cabinet also constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) to oversee the revival process. A Joint Venture company in the name of 'Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL)' was incorporated for the purpose of revival of the units. Concession Agreements as well as Lease Deeds have been signed between FCIL & HURL for Sindri & Gorakhpur Projects. Substitution Agreements for Gorakhpur & Sindri Units have also been signed amongst FCIL, HURL & Lenders' Representative. Commercial production has already been started on 03.05.2022 and 15.4.2023 in Gorakhpur and Sindri plant respectively.

c. FIXED ASSETS ,CAPITAL WORK IN PROGRES AND CONTINGENT LIABILITIES

- (i) Out of total land of 6652.61 acres at Sindri, 112 acres received from Govt. of Bihar (now Jharkhand) free of cost has been valued at Rs. 14.11 Lakh at notional value under Capital Reserve as per guidelines of Department of Public Enterprises, which was later on withdrawn from books of accounts by debiting profit & loss account. Later on, in subsequent

विकास, पंजीकरण शुल्क, उपकर और स्टाम्प शुल्क आदि पर 87.33 लाख रुपये का व्यय किया गया।

ii) उपरोक्त 6652.61 एकड़ भूमि में से 1641.70 एकड़ भूमि विभिन्न पार्टियों (एचयूआरएल 695 एकड़, एसीसी 231.81 एकड़, बीसीसीएल 590.05 एकड़ और कई छोटे दलों सहित) को अलग-अलग पट्टे की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई है।

(iii) सेल के चासनाला को सिंदरी में 304 एकड़ भूमि 4 सितम्बर से 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई है, जिसे 3 चरणों में दिया जाना है। 2023-24 में 60 एकड़, 2024-25 और 2025-26 में क्रमशः 110 एकड़ और 134 एकड़ जमीन दी जाएगी। 60 एकड़ के लिए 2023-24 के दौरान 1959.84 लाख रुपये का भुगतान वन टाइम प्रीमियम और वार्षिक लीज रेंट के रूप में प्राप्त हुआ, जिसमें से 1839.87 लाख को 31.03.2024 को अग्रिम रूप से प्राप्त आस्थगित प्रीमियम/किराए के तहत बुक किया गया है। लागू दरों के आधार पर 244 एकड़ भूमि के लिए भुगतान 2024-25 और 2025-26 में प्राप्त होगा जब भूमि वास्तव में सेल को सौंप दी जाएगी।

years an expenditure of Rs. 87.33 lakhs was incurred by FCIL towards development of land, registration charges, cess and stamp duty etc.

(ii) Out of above 6652.61 acres of land 1641.70 acres have been given on lease to various Parties (consisting of HURL 695 acres, ACC 231.81 acres, BCCL 590.05 acres & many small Parties) for varying lease periods.

(iii) 304 Acres of Land at Sindri has been given on Lease to SAIL Chasnala for a period of 30 years w.e.f 4th September, 2023 which is to be given in 3 phases. 60 Acres has been given in 2023-24, 110 Acre & 134 Acre will be given in 2024-25, & 2025-26, respectively. For 60 Acres payment of Rs. 1959.84 lakhs was received as One Time Premium & Annual lease rent, during 2023-24, out of which 1839.87 lakhs has been booked under deferred premium/rent received in advance on 31.03.2024. For 244 Acres of Land payment based on applicable rates, will be received in 2024-25 & 2025-26 when the land will be actually handed over to SAIL.

2. कोरबा में 907 एकड़ भूमि 1974 से 1980 के दौरान राज्य सरकार से मुफ्त में प्राप्त हुई थी। इसके अलावा एफसीआईएल द्वारा 16.78 लाख रुपये मूल्य पर 29 एकड़ फ्री होल्ड और 7 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 907 एकड़ भूमि में से 215 एकड़ भूमि वर्ष 2005 में बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट (बीसीपीपी) को सौंप दी गई थी और आगे 405 एकड़ भूमि पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एफसीआईएल से कोई अनुमति मांगे बिना 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को 258 एकड़ भूमि आवंटित की है। इस प्रकार वर्तमान में 623 एकड़ भूमि एफसीआईएल कोरबा के कब्जे में है।

2. Land measuring 907 acres at Korba was received during 1974 to 1980, free of cost, from the state Government. In addition, 29 acres of free hold and 7 acres of private land was acquired by FCIL for a value of rs 16.78 lakhs.. Out of 907 acres of land provided by State Government 21.5 acres was handed over to BALCO Captive Power Plant (BCPP) in the year 2005 and further 40.5 Acres has been occupied by them. Govt. of Chhattisgarh has allotted 258 acres of land to Chhattisgarh State Electricity Board in 2007 without seeking any permission from the FCIL. Thus, presently 623 acres of land is in the possession of FCIL Korba.

3. (i) तालचेर इकाई के लिए, 1971 से 1979 की अवधि के दौरान, एफसीआईएल ने राज्य सरकार से 919.59 एकड़ भूमि मुफ्त प्राप्त की और एफसीआईएल द्वारा निजी पाटयों से 21.19 लाख रुपये मूल्य की 14.01 एकड़ भूमि फ्री होल्ड भूमि के रूप में खरीदी गई। राज्य सरकार से प्राप्त भूमि का मूल्य लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजी आरक्षित के माध्यम से 18.64 लाख रुपये आंका गया था। बाद के वर्षों में एफसीआईएल द्वारा भूमि के विकास, पंजीकरण शुल्क, उपकर और स्टाम्प शुल्क आदि पर 32.93 लाख रुपये का व्यय किया गया।
- (ii) वर्ष 1985-86 में, ओडिशा सरकार की भूमि बंदोबस्त योजना ढेंकनाल के पूरे अविभाजित जिले में चल रही थी, जहां से वर्तमान नया जिला अंगुल वर्ष 1993 में बनाया गया था। पूरे जिले में, भूमि रिकॉर्ड के नियमितीकरण, भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन और सुधार, भूमि के KISAM के परिवर्तन आदि के लिए कई निपटान शिविर आयोजित किए गए थे।
- (iii) उपरोक्त अभ्यास के कारण, तालुकावार भूमि में परिवर्तन के साथ-साथ भूमि की कुल मात्रा में कुछ परिवर्तन हुए हैं। पूर्व में एफसीआईएल के पास कुल भूमि 933.600 एकड़ दर्शाई गई थी जबकि वास्तविक उपलब्ध भूमि केवल 908.516 एकड़ है। विभिन्न गांवों में 25.084 एकड़ (निवल) भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे वर्ष 1985-86 में ढेंकनाल जिले (अंगुल का मातृ जिला) में निपटान अभियान के दौरान निपटान प्राधिकरण द्वारा अन्य खातों को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- (iv) एफसीआईएल के पास उपलब्ध कुल 908.516 एकड़ भूमि में से 32.381 एकड़ भूमि भारी पानी संयंत्र को सौंपी जानी है।
3. (i) For Talcher Unit, during the period from 1971 to 1979, FCIL received 919.59 acres of land from the State Government free of cost and 14.01 acres of land was purchased by FCIL from private parties as free hold land for a value of Rs. 21.19 lakhs. Land received from State Government was notionally valued at Rs 18.64 lakhs as per the guidelines of Department of Public Enterprises, through capital reserve. Later on, in subsequent years an expenditure of Rs. 32.93 lakhs was incurred by FCIL towards development of land, registration charges, cess and stamp duty etc.
- (ii) In the years 1985-86, the land settlement scheme of the Government of Odisha was in operation in the entire undivided district of Dhenkanal from which the present new district Angul was carved out in the year 1993. Throughout the district, several settlement camps were organized for regularization of Land Record, change and correction in ownership of the Land, change of KISAM of Land etc.
- (iii) Due to above exercise, there are some changes in the total quantum of land along with changes in Taluka wise land. Earlier the Total land with FCIL was shown as 933.600 Acres whereas, the actual available land is 908.516 Acres only. 25.084 Acres of (net) land in different villages is not available as it has been shifted to other Khatas by the Settlement Authority during Settlement operation in the District of Dhenkanal(Mother District of Angul) in the year 1985-86.
- (iv) Out of 908.516 Acres of total Land available with FCIL, 32.381 Acres is to be handed over to Heavy Water Plant and the

और शेष 876.135 एकड़ भूमि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार टीएफएल को सौंपी जानी है।

balance 876.135 Acres of land to be handed over to TFL as per details given below.

Sl. No क्र.सं.	Particulars विवरण	Land in Acres एकड़ में भूमि
1	Land with Clear (Record of Rights) स्पष्ट के साथ भूमि (अधिकारों का रिकॉर्ड)	870.995
2	Non RoR Land (for which Permissible Right will be available) गैर आरओआर भूमि (जिसके लिए अनुमेय अधिकार उपलब्ध होगा)	04.98
3	Cases are pending with Revenue Deptt for obtaining RoR in favour of FCIL. एफसीआईएल के पक्ष में आरओआर प्राप्त करने के मामले राजस्व विभाग के पास लंबित हैं	0.160
	Total कुल	876.135

(v) बीआईएफआर द्वारा सुलवाई गई व्यवस्था के तहत एचडब्ल्यूपी से एफसीआईएल को प्राप्त 344 क्वार्टर के बदले एक क्लस्टर में भारी पानी संयंत्र को 202 क्वार्टर दिए गए थे। अब, ए प्रकार के प्राप्त क्वार्टर जमीन पर गिर गए हैं और शेष 48 क्वार्टर बी, सी, डी प्रकार के मौजूद हैं। कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की गई है। एफसीआईएल सभी परिसंपत्तियों को मैसर्स तलचर फटलाइनर्स लिमिटेड को सौंपने की प्रक्रिया में है। मैसर्स तलचर फटलाइनर्स लिमिटेड (टीएफएल) के साथ पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने के बाद, आवश्यक समायोजन बहियों में किया जाएगा।

4. (i) गोरखपुर इकाई में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी परियोजना के लिए दिसंबर 1963 से मार्च 1970 के दौरान 993.335 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया और कंपनी को आवंटित किया, जिसमें से एफसीआईएल द्वारा राज्य

(v) 202 quarters were given to Heavy Water Plant in a cluster in exchange of 344 qtrs received by FCIL from HWP under an arrangement suggested by BIFR. Now, 296 A type of quarters received have fallen to the ground and remaining 48 quarters of B,C,D type are existing. No adjustment entry has been carried out . FCIL is in the process of handing over of all assets to M/s Talcher Fertilizers Limited. After signing the lease deed with M/s. Talcher Fertilizer Limited (TFL), the necessary adjustment will be made in the books.

4. (i) At Gorakhpur Unit, Govt. of Uttar Pradesh acquired and allotted to Company 993.335 acres of land during December 1963 to March 1970 for its project, out of which 40% of acquisition cost valued at Rs.19.51 Lakh had been paid to the State

सरकार को 19.51 लाख रुपये मूल्य की अधिग्रहण लागत का 40% भुगतान किया गया था और शेष 60% मूल्य 29.26 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया गया था।

Government by FCIL and the balance 60% valued at Rs.29.26 Lakh was given by the State Government.

(ii) लखनऊ में 10733.1 वर्ग फुट का एक भूखंड लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एफसीआईएल को दिसंबर, 1983 में 7.51 लाख रुपये मूल्य पर पट्टे पर दिया गया था।

(ii) A plot admeasuring 10733.1 sq.feet at Lucknow was leased out to FCIL by Lucknow Development Authority at a value of Rs 7.51 lakhs in December, 1983.

(iii) आयुध विभाग और गृह मंत्रालय के बीच दिनांक 05/02/2004 के समझौता ळापान के अनुसार सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को कतिपय भवन और क्वार्टर दिए गए हैं। मैसर्स एचयूआरएल द्वारा यूनिट के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर विचार करते हुए, एसएसबी को सलाह दी गई है कि वे डीओएफ और गृह मंत्रालय के बीच हुई सहमति के अनुसार लगभग 125 एकड़ के क्षेत्र में स्वयं को समायोजित करें। तदनुसार, एफसीआईएल ने एसएसबी को 15 मार्च, 2019 को 125 एकड़ भूमि को 55 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर मंजूरी दे दी है, जिसमें 6475.00 लाख रुपये एकबारगी प्रीमियम के रूप में और 518.00 लाख रुपये वार्षिक पट्टा किराए के भुगतान पर पट्टे पर दिए गए हैं। लेकिन एसएसबी ने सभी आरोपों को माफ करने के लिए मंत्रालय स्तर पर मामला उठाया। बाद में, एफसीआईएल बोर्ड ने 4.3.2023 को रु. 6475.00 लाख का एकमुश्त प्रीमियम माफ कर दिया। लेकिन फिर भी एसएसबी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से निशुल्क आवंटन के लिए दबाव डाल रहा है। इस संबंध में 29.5.2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जहां एफसीआईएल ने स्पष्ट किया कि आगे कोई छूट संभव नहीं है और एसएसबी को उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतान करना होगा।

(iii) Certain buildings and quarters have been given to Sashatra Seema Bal (SSB) in terms of MOU dated 5-2-2004 between DOF and MHA. Considering the requirement of revival of the unit by M/s HURL, SSB has been advised to accommodate themselves in an area of around 125 acres as was agreed between DOF and MHA. Accordingly, FCIL has approved lease of 125 acres of land to SSB on 15.3.2019 for a period of 55 years on payment of Rs.6475.00 lakhs as one time premium and Rs.518.00 lakhs towards Annual Lease Rent. But SSB took up the matter at Ministry level for waiving off all the charges. Later on, FCIL Board waived off one Time Premium of Rs.6475.00 lakhs on 4.3.2023. But still SSB is pressing for free allotment through Government of U.P. A meeting in this regard was held on 29.5.2023 under the Chairmanship of Principal Secretary (Infrastructure and Industrial Development Department) Government of U.P, where FCIL made clear that no further waiver is possible and SSB will be required to pay Annual Lease Rent. The matter has been referred to DoF for necessary intervention. However due to dispute raised by SSB, FCIL is not raising the invoices of the annual rent, hence revenue on account of above has not been recognized.

- (iv) एचयूआरएल को 600 एकड़ और एसएसबी को 125 एकड़ जमीन देने के बाद विशेष सचिव (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार) ने दिनांक 30.01.2019 के पत्र के माध्यम से एफसीआईएल की सहमति लिए बिना गोरखपुर में 268.335 एकड़ शेष भूमि डीएम, गोरखपुर के नियंत्रण में रख दी है। इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है, लेकिन वे 30.01.2019 के अपने पत्र को वापस लेने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा, डीएम, गोरखपुर द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से, राज्य प्रशासन ने पहले ही नवंबर-दिसंबर 2021 के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के लिए चिन्हित 49 एकड़ भूमि पर बने 215 क्वार्टरों को ध्वस्त कर दिया है, सिवाय 7 दुकानों के, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मिला था। ध्वस्त क्वार्टरों के लिए, 18,25,988/- रुपये का बुक वैल्यू और 18,16,957/- रुपये का संचित मूल्यहास वापस ले लिया गया है और वर्ष 2021-22 के दौरान 9031/- रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हमने संबंधित भूमि के हस्तांतरण विलेख के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को भूमि वापस करने के लिए उर्वरक विभाग के साथ मामला उठाया है। इस बीच, एफसीआईएल, गोरखपुर इकाई के कुछ पूर्व कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 30.01.2019 और 21.10.2021 के पत्र को रद्द करने/रद्द करने की प्रार्थना करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए हैं।
- (iv) From the total land, after providing 600 acres to HURL and 125 Acres to SSB, Vide letter dated 30.01.2019, Special Secretary (U.P. State Government) has put the residual land of 268.335 acres at Gorakhpur under the control of D.M., Gorakhpur without taking consent of FCIL. The matter has been taken up with the State Government but they are not willing to withdraw their letter dated 30.01.2019. Further, vide letter dated 21.10.2021 issued by DM, Gorakhpur, State Administration has already demolished 215 quarters built on the 49 acres of land in the month of November-December 2021, identified for Sainik School by U.P. Government, except 7 shops, who got Stay Order from Allahabad High Court. For the demolished quarters, the book value of Rs 18,25,988/- and accumulated depreciation of Rs 18,16,957/- have been withdrawn and an amount of Rs 9031/- was written off in the books during the year 2021-22. We have taken up the matter with DoF for surrendering the land to UP Government as per the provisions of Conveyance deed of the subject land. In the meantime, some ex-employees of FCIL, Gorakhpur Unit, have gone to Allahabad High Court praying for quashing/ setting aside letter dated 30.01.2019 and 21.10.2021 of Government of Uttar Pradesh.
5. रामागुंडम के लिए, 1971 से 1989 तक विभिन्न वर्षों में कुल 1284.04 एकड़ भूमि प्राप्त/खरीदी गई। राज्य सरकार से निशुल्क और सैद्धांतिक रूप से 459 लाख रुपए (कैपिटल रिजर्व) मूल्य की भूमि प्राप्त हुई थी जिसे बाद में वर्ष 2003-04 के दौरान पी एंड एल को हस्तांतरित कर दिया गया था। लीज होल्ड और फ्री होल्ड भूमि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:
5. For Ramagundam, total land of 1284.04 acres received/purchased in various years from 1971 to 1989. The land received from State Government as free of cost and notionally valued at Rs.4.59 lakhs (Capital Reserve) which was later on transferred to P&L A/c during the year 2003-04. The details of lease hold and free hold land is given below:

(एकड़: गुंटा)			(Acres: Guntas)		
कार्य-क्षेत्र	कीमत		Area	Cost	
	(रु. /लाख)			(Rs. / lakh)	
	एकड़ गुंटा			Acres Guntas	
फ्री होल्ड:	308.32	128.73	Free hold:	308.32	128.73
लीज होल्ड:	975.12	33.89	Lease hold:	975.12	33.89
-----			-----		
कुल :	1284.04*	162.62	Total:	1284.04*	162.62

*40 गुंटा 1 एकड़ के बराबर है।

*40 Guntas is equivalent to 1 Acres.

6. नोएडा में, 4261.16 वर्ग मीटर का एक प्लॉट है। (ग) नोएडा प्राधिकरण द्वारा एफसीआईएल को 24 मई, 1989 को 90 वर्षों के लिए पट्टा आधार पर 1000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। प्लॉट नोएडा के सेक्टर-1 स्थित ए-11 में स्थित है। भूमि भौतिक रूप से कंपनी के कब्जे में है।

6. At NOIDA, a plot measuring 4261.16 sq. mtrs. was allotted to FCIL by NOIDA Authority on 24th May 1989 on lease basis for 90 years. The plot is located at A-11, Sector -1, NOIDA. The land is physically in the possession of Company.

यह विवेकपूर्ण समझा गया कि नोएडा में एफसीआईएल के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए प्रमुख स्थान पर किया जाए जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की गई थी।

It was thought prudent to utilize the plot available with FCIL in NOIDA at a Prime location to construct office building the purpose for which the land was allotted by NOIDA Authority.

मैसर्स एनबीसीसी को लागू करें और एनबीसीसी के 7% सेवा प्रभार सहित 5943 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में काम करने का कार्य सौंपा गया है। भवन के संकल्पना चित्रों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। मैसर्स एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर 24 मई 2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं और 21.6.2021 को 650 लाख रुपये का प्रारंभिक अग्रिम भुगतान किया गया था। एनबीसीसी ने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 12.4.2022 को वर्क ऑर्डर प्रदान किया है। एमओयू की शर्तों के अनुसार निर्माण पूरा होने की तारीख 30.09.2024 है, लेकिन 31.03.2024 तक केवल 33% ही काम पूरा हुआ है। 31.03.2024 तक, एफसीआईएल द्वारा एनबीसीसी को किया गया कुल

M/s. NBCC has been awarded the assignment to work as Project Management Consultant (PMC) for the project at an estimated cost of Rs.5943 Lakhs, including applicable taxes and 7% Service Charge of NBCC. Concept drawings of the building have already been approved. MOU with M/s. NBCC has been signed on 24th May 2021 and an initial advance of Rs.650 lakhs was paid on 21.6.2021. NBCC has awarded the Work Order on 12.4.2022 for construction of Office Building. As per terms of MoU the completion date of construction is 30.09.2024, but upto 31.03.2024 only 33% approx. work has been completed. Upto 31.03.2024, the total payment made to NBCC by FCIL (including initial

मेसर्स एनबीसीसी को लागू करें और एनबीसीसी के 7% सेवा प्रभार सहित 5943 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में काम करने का कार्य सौंपा गया है। भवन के संकल्पना चित्रों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। मेसर्स एनबीसीसी के साथ समझौता जापान पर 24 मई 2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं और 21.6.2021 को 650 लाख रुपये का प्रारंभिक अग्रिम भुगतान किया गया था। एनबीसीसी ने कार्यालय भवन के निर्माण के

advance) are Rs.1587.40 Lakhs & NBCC has completed the work valuing Rs.1397.77 Lakhs (after adjusting Rs.57.55 Lakhs towards interest accrued on advance given to NBCC), which is shown as CWIP as on 31.03.2024 & the balance amount of Rs.132.08 Lakhs is appearing as advance in the books.

- | | |
|---|---|
| <p>7. एफसीआईएल और पीडीआईएल द्वारा 6 सितंबर, 2017 को हस्ताक्षरित समझौता जापान और बाद में डीओएफ की मंजूरी के अनुसरण में, पीडीआईएल के उपयोग के अधीन भूमि और पीडीआईएल, सिंदरी इकाई की अचल संपत्तियां, जिनका सकल मूल्य और शुद्ध मूल्य क्रमशः 26.40 लाख रुपये और 24.89 लाख रुपये है, को एफसीआईएल को 30/04/2019 को "जैसा है जहां है" आधार पर और भौतिक सत्यापन के बिना सौंप दिया गया है। इसे एफसीआईएल के लेखा-बहियों में नहीं लिया गया है। पीडीआईएल के माध्यम से कैटलिस्ट प्लांट और अन्य संबंधित परिसंपत्तियों की बिक्री प्रक्रियाधीन है।</p> | <p>7. In pursuance to the MOU signed by FCIL and PDIL on 6th September, 2017 and subsequent approval of DOF the land that was under the utilisation of PDIL and the fixed assets of PDIL, Sindri Unit, having a gross value & net value of Rs.26.40 Lakhs & 24.89 Lakhs respectively have been handed over to FCIL, on 30/04/2019 on "As is Where is" basis and without physical verification. It has not been taken into books of account of FCIL. The selling of Catalyst Plant and other related assets, through PDIL, is under process.</p> |
| <p>8. गैर-चालू परिसंपत्तियों में 91.22 लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया या बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति शामिल है, जिसका मूल्य 31.03.2024 को बुक वैल्यू (वहन लागत) पर है, इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य और इन परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए संबंधित लागत इस स्तर पर पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए उचित मूल्य और वहन लागत के कारण अंतर, यदि कोई हो, तो पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए प्रदान नहीं किया गया है।</p> | <p>8. Non current assets includes Assets not in use or held for sale amounting to Rs 91.22 lakhs, which are valued on book value (carrying cost) as on 31.03.2024, fair value of these assets and corresponding cost to sell of these assets are not ascertainable at this stage, therefore difference, if any, on account of fair value and carrying cost is not ascertainable, hence not provided.</p> |
| <p>9. सिंदरी संयंत्र में, उत्प्रेरक ग्रेड का प्लेटिनम (27780.1 ग्राम) सुरक्षित अभिरक्षा में पड़ा हुआ है, जिसका मूल्य 31.03.2023 को 174.79 लाख रुपये है, जिसके लिए</p> | <p>9. In Sindri Plant, Platinum of Catalyst grade (27780.1 grams) lying in safe custody as unconsumed valued at Rs.174.79 lakh as on 31.03.2023 for which no provision</p> |

प्लेटिनम के रूप में कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसका बाजार में सराहनीय मूल्य है। मैसर्स आरसीएफ के तकनीकी मार्गदर्शन के साथ, प्लेटिनम के उत्प्रेरक ग्रेड के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए मैसर्स लेडौक्स एंड कंपनी, यूएसए को भेजे गए थे।

made for depletion as Platinum has appreciable value in the market. With the technical guidance of M/s. RCF, the samples of Catalyst grade of Platinum were sent to M/s. Ledoux & Co, USA for quality test.

- 9.1 नमूने लेते समय कैटेलिस्ट ग्रेड का कुल वजन 27154.86 ग्राम पाया गया, जबकि पहले 27779.1 ग्राम दर्ज किया गया था। धूल श्रेणी में 784.71 ग्राम की कमी थी, जो 2016 से नमी की मात्रा और कई हैंडलिंग के कारण हो सकती है। अन्य सामग्रियों में 160.47 ग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। गुणवत्ता विश्लेषण के अनुसार 31.03.2024 तक विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूनों (85.53 ग्राम) को छोड़कर प्लैटिनम (27069.33 ग्राम) का मूल्यांकन 570.15 लाख रुपये आता है, लेकिन लेखा नीति के अनुसार इसे पुस्तकों में 174.79 लाख रुपये के समान स्तर पर बनाए रखा गया है।
- 9.2 नमूनों के तीन सेट जिनका कुल वजन 150.51 ग्राम (64.98 ग्राम, 2 संदर्भ नमूने + 85.53 ग्राम नमूना विश्लेषण के लिए भेजा गया) लिया गया था (धूल को छोड़कर) जहां गुणवत्ता विश्लेषण के लिए केवल एक नमूना लिया गया था जिसमें से केवल एक नमूना यूएसए भेजा गया था और दो नमूने भविष्य के संदर्भों के लिए हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। प्लैटिनम के कुल मूल्यांकन की तुलना में प्रयुक्त एक नमूने के छोटे मूल्य को ध्यान में रखते हुए इसका हिसाब नहीं दिया गया है।
- 9.3 उपर्युक्त के अलावा, 2583.04 ग्राम (सिंदरी के लिए), 221.40 ग्राम (गोरखपुर के लिए), 524.44 ग्राम (तलचर के लिए) और 433.687 ग्राम (रामागुंडम के लिए) प्लैटिनम के बर्तन, स्वर्ण रसायन, प्रयोगशाला बर्तन जो 27069.33 ग्राम से भिन्न गुणवत्ता के हैं, गुणवत्ता मूल्यांकन के अभाव में पुस्तकों में शामिल नहीं किए गए हैं। गुणवत्ता विश्लेषण और उसके मूल्यांकन के लिए अभ्यास 2024-25 के दौरान किया जाएगा।
- 9.1 While taking the samples the total weight of the Catalyst grade was found 27154.86 grams, as against the 27779.1 grams recorded earlier. The reduction of 784.71 grams was there in dust category, which may be because of moisture content & multiple handlings since 2016. In other materials the excess weight of 160.47 gams was found. As per the quality analysis the valuation of Platinum (27069.33 gms) comes to Rs.570.15 Lakhs excluding samples sent for analysis(85.53 grams) as on 31.03.2024, but as per accounting policy it has been retained at the same level of Rs. 174.79 lakh in the books.
- 9.2 Three set of samples consisting total weight of 150.51gms(64.98 grams , 2 reference samples+85.53 grams 1 sample sent for analysis) were drawn (except for dust) where only one sample was drawn for quality analysis out of which only one sample was sent to USA and the two samples are in our custody for future references. Considering the small value of one sample used in comparison to total valuation of Platinum, it has not been accounted for
- 9.3 In addition to above, 2583.04 gms (for Sindri), 221.40 gms (for Gorakhpur), 524.44 gms (for Talcher) & 433.687 gms (for Ramagundam) of platinum wares, gold chemicals, laboratory utensils which are of different quality from 27069.33 gms has not been accounted for in the books for want of quality evaluation. The exercise for quality analysis and valuation thereof will be taken during 2024.25.

घ. वर्तमान देनदारियां और प्रावधान

- वर्तमान देयता में 01 कर्मचारियों (पिछले वर्ष 01 कर्मचारी) के लिए वीएसएस मुआवजा, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण के संबंध में नोट -15 में कर्मचारियों के लाभ के लिए 26.88 लाख रुपये (पिछले वर्ष 29.70 लाख रुपये) की राशि का प्रावधान शामिल है, जिनके वीएसएस के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है लेकिन काम की अनिवार्यता के कारण 31.03.2024 को जारी नहीं किया गया है।
- विविध लेनदारों में गोरखपुर इकाई के नौ कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश आदि के लिए चेक द्वारा भुगतान के संबंध में 5.23 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5.23 लाख रुपये) की गैर-स्वीकृत राशि शामिल है, जिन्होंने वीएसएस का विकल्प नहीं चुना था और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार छंटनी की गई थी। उन्होंने एक रिट दायर करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में छंटनी को चुनौती दी, जिसे 14.11.2019 को खारिज कर दिया गया और उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की, जो सुनवाई के लिए लंबित है। अब डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लंबित रहने के दौरान, उन्होंने उसी राहत के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या: 1624/2023 दायर की है, जिसके खिलाफ एफसीआईएल ने 27.7.2023 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में संशोधित याचिका दायर की है।

च. निवेश

सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम और तालचेर इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कैबिनेट की मंजूरी के हिस्से के रूप में, निम्नलिखित निवेश किए गए हैं:-

रामागुंडम इकाई:

भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसंपत्तियों और अवसर लागत के लिए इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं: वर्ष 2014-15 में, कंपनी ने मैसर्स रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स

B. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

- Current liability includes provision for employees benefits in Note -15 an amount of Rs. 26.88 Lakhs (previous year Rs. 29.70 Lakhs) in respect of VSS compensation, gratuity, leave encashment for 01 employees (previous year 01 employees), whose request for VSS has been accepted but has not been released as on 31.03.2024 due to exigencies of work.
- Sundry creditors include a non-accepted amount of Rs.5.23 lakhs (previous year Rs.5.23 lakhs) in respect of payment by cheque towards Gratuity and earned leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were retrenched as per Industrial Disputes Act, 1947. They challenged the retrenchment in the Allahabad High Court by filing a writ, which was dismissed on 14.11.2019 and they had appealed to the Division Bench, which is pending for hearing. Now during pendency of the hearing before Division Bench, they have filed a writ petition no: 1624/2023 in Hon'ble Delhi High Court for the same relief, against which FCIL has filed revised petition in Hon'ble Delhi High Court on 27.7.2023.

E. INVESTMENTS

As part of Cabinet approval for the revival of Sindri, Gorakhpur, Ramagundam and Talcher Units, following investments are made:-

Ramagundam Unit:

Equity Shares are received for Land use, usable assets and opportunity cost as under:

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs.1.00 Lakh towards

लिमिटेड (आरएफसीएल) रामागुंडम के 10,000 इक्विटी शेयरों के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान किया है और कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं। हालांकि, वर्ष 2017-18 में, आरएफसीएल ने एफसीआईएल को 9251.63 लाख रुपये का इक्विटी शेयर जारी किया है, जबकि कंपनी के एसोसिएशन ऑफ एस्टिम्स (आरएफसीएल) की शर्तों के अनुसार रु.10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर एफसीआईएल के योगदान के मूल्य की तुलना में। कंपनी ने विभिन्न वर्षों में निम्नानुसार इक्विटी शेयर प्राप्त किया है: 2018-19 - 2327.01 लाख रुपये, 2019-20 - 2869.63 लाख रुपये, 2020-21- 4490.00 लाख रुपये और 2021-22 1854.37 लाख रुपये।

10,000 Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) Ramagundam of Rs.10 each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company. Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18, RFCL has issued equity share of Rs.9251.63 lakhs to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs10/- per share as per the terms of Articles of Association of the company (RFCL). The Company has received equity share in different years as under :2018-19 - Rs.2327.01 lakhs, 2019-20 - Rs.2869.63 lakhs, 2020-21- Rs.4490.00 lakhs and 2021-22 Rs 1854.37 lakhs.

तालचर इकाई:

वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने तालचर फटलाइजर लिमिटेड (टीएफएल) (जिसे पहले "राष्ट्रीय कोल एंड गैस फर्टिलाइजर्स लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) में 0.50 लाख रुपये का निवेश किया है और प्रत्येक को 10 रुपये के 5,000 इक्विटी शेयर प्राप्त किए हैं।

Talcher Unit:

During the year 2015-16, the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd." and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.

सिंदरी और गोरखपुर इकाइयाँ:

वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने हिन्दुस्तान उर्वरक एंड रासायन लिमिटेड (एचयूआरएल लिमिटेड) में 10 रुपये प्रत्येक के 16,667 इक्विटी शेयरों के लिए 1.67 लाख रुपये का निवेश किया है, जिसके लिए कंपनी द्वारा शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। गोरखपुर और सिंदरी इकाई में क्रमशः 03.05.2022 और 15.04.2023 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जा चुका है। रियायत समझौते के अनुसार एचयूआरएल वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर गोरखपुर और सिंदरी संयंत्र की कुल इक्विटी शेयरधारिता का 10.99% जारी करेगा, जो एचयूआरएल के साथ संयुक्त उद्यम समझौते के संदर्भ में प्रक्रियाधीन है।

Sindri & Gorakhpur Units:

During the year 2016-17, the company has made an investment of Rs.1.67 Lakhs in Hindustan Urvarak & Rasasyan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs.10/- each, for which share certificates have been received by the company. The commercial production has already been started on 03.05.2022 and 15.04.2023 at Gorakhpur and Sindri Unit respectively. As per Concession Agreement HURL to issue 10.99% of the total equity shareholding of Gorakhpur & Sindri plant, on commencement of commercial production, which are under process in terms of Joint Venture Agreement with HURL.

छ. फुटकर

1. बोर्ड की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य होता है जिस पर वे वित्तीय विवरणों में बताए गए हैं।
2. चूंकि कंपनी के पास 2003 से विनिर्माण परिचालन नहीं है, इसलिए 31.12.2014 के "कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम 2014" के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान "लागत रिकॉर्ड" बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
3. प्राप्य व्यापार शेष, पूर्व कर्मचारियों के देय, व्यापार देय और अन्य प्राप्य और देय अपुष्ट हैं। इस संबंध में यदि कोई विसंगतियां हों तो उनका पता नहीं लगाया जा सकता।
4. कंपनी का आयकर निर्धारण निर्धारण वर्ष 2022-23 तक पूरा हो गया है, हालांकि निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी/विभाग ने अपील को प्राथमिकता दी है

F. MISCELLANEOUS

1. In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.
2. Since Company does not have manufacturing operation since 2003, as per "Companies (Cost Records & Audit) amendment Rules 2014" dated 31.12.2014 the Company is not required to maintain "Cost Records" during the financial year 2023-24.
3. Balances of Trade receivable, payables of Ex-employees, Trade payables and others receivables and payables are unconfirmed. Discrepancies, if any, on this account are not ascertainable.
4. Income Tax assessment of the company is completed upto AY 2022-23, however for the following AYs company/department has preferred an appeal

S. No. क्र.सं.	AY प्र	Remarks टिप्पणियां
1.	2002-03 to 2014-15	<p>Against the first Appellate Authority's order in ITAT appeal was filed by the department which was decided in favour of the company. Income Tax department moved to Hon'ble Delhi High court and filed an appeal for AY 2004-05 to 2009-10.</p> <p>आईटीएटी में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा अपील दायर की गई थी जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में किया गया था। आयकर विभाग माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में गया और कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2009-10 के लिए अपील दायर की। आईटीएटी में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा अपील दायर की गई थी जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में किया गया था। आयकर विभाग माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में गया और कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2009-10 के लिए अपील दायर की।</p>
2.	2018-19	<p>An appeal with ITAT was preferred by the company against the order of CIT, however, the decision of ITAT was not in the favour of the company. Company has filed an appeal with the Hon'ble Delhi High Court.</p> <p>आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा आईटीएटी के समक्ष अपील की गई थी, तथापि, आयकर अपीलीय अधिकरण का निर्णय कंपनी के पक्ष में नहीं था। कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।</p>
3.	2021-22	<p>Demand amounting to 2,27,205.84 Lakhs is withdrawn by the department.</p> <p>विभाग द्वारा 2,27,205.84 लाख रुपये की मांग वापस ले ली गई है।</p>
4.	2022-23	<p>Company has preferred an appeal with CIT against the order of assessing officer.</p> <p>कंपनी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त के समक्ष अपील की है।</p>

निर्धारण वर्ष 2020-21, निर्धारण वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर विभाग द्वारा मूल्यांकन मांग के खिलाफ क्रमशः 426.36 लाख रुपये, 411.82 लाख रुपये और 201.81 लाख रुपये की राशि का रिफंड समायोजित किया गया है, कंपनी मांग के साथ रिफंड राशि के समायोजन को समेटने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, कंपनी ने मांगों के खिलाफ अपील को तरजीह दी है और मांग की राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना है। विशेषज्ञ की राय के आधार पर कंपनी का विचार है कि आईटी विभाग द्वारा उठाई गई मांग टिकाऊ नहीं है और वसूली योग्य 1039.98 लाख रुपये की आईटी रिफंड वसूली के लिए अच्छी मानी जाती है।

During the course of Assessment proceeding for the AY 2020-21, AY 2021-22 and 2022-23 refund amounting to Rs.426.36 lacs, Rs 411.82 lacs and Rs 201.81 lacs respectively are adjusted by the IT Dept against the assessed demand, Company is in the process to reconcile the adjustment of refund amount with the demand. Further company has preferred appeal against the demands, and has considered the amount of demand as contingent liability. On the basis of expert opinion Company is of the view that the demand raised by IT Dept are not sustainable and IT refund recoverable Rs.1039.98 lacs is considered good for recovery.

6. वर्ष 2002 में विनिर्माण कार्यों को बंद करने और वीएसएस पर कर्मचारियों की रिहाई और बीआईएफआर द्वारा दिनांक 17.05.2004 के आदेश के तहत जारी समापन सिफारिश और इसके बाद 10.08.2011, 09.05.2013 को सीसीईए के निर्णय और 13.07.2016 के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद, सभी इकाइयां पुनरुद्धार के अधीन हैं जहां उपयोग योग्य परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने वाले जेवी को सौंप दिया गया है और अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान किया जा रहा है। शेष अचल संपत्तियों और माल-सूची का भौतिक सत्यापन 31.3.2024 तक केंद्रीय कार्यालय सहित सभी इकाइयों में किया गया था।

6. In view of GOI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, and further following the decision of CCEA on 10.08.2011, 09.05.2013, and Cabinet decision dated 13.07.2016, all the Units are under revival where usable assets have been /are being handed over to reviving JVs & unusable items are disposed of. Physical verification of remaining fixed assets & inventories was carried out in all the units, including Central Office as on 31.3.2024

7. विविध लेनदारों की बकाया देयताओं में पिछले कई वर्षों से देय बकाया राशि (पुरानी देयताएं) शामिल हैं और इन पार्टियों की एमएसएमई स्थिति कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। अतः एमएसएमई का दर्जा न होने के कारण एमएसएमई को बकाया बकाया, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है।

7. Outstanding dues to sundry creditors includes amount payable outstanding since past many years (old dues) and MSME status of these parties is not available with Company. Therefore in the absence of their MSME status the dues outstanding to MSME, if any, is not ascertainable.

8. ईपीएफओ ने 2015-2016 से 2021-2022 तक की अवधि के लिए ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेश पैटर्न के विचलन के लिए 175.33 लाख रुपये

8. EPFO has levied a surcharge of Rs 175.33 lakh-(Rs 131.82 lakh/- for Sindri and Rs 43.51 lakh for Ramagundam) towards deviation of Investment pattern notified by EPFO from time to time for the period from

ईपीएफओ ने 2015-2016 से 2021-2022 तक की अवधि के लिए ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेश पैटर्न के विचलन के लिए 175.33 लाख रुपये (सिंदरी के लिए 131.82 लाख रुपये और रामागुंडम के लिए 43.51 लाख रुपये) का अधिभार लगाया है, जिस पर कंपनी ने आपत्ति जताई है।

EPFO has levied a surcharge of Rs 175.33 lakh-(Rs 131.82 lakh/- for Sindri and Rs 43.51 lakh for Ramagundam) towards deviation of Investment pattern notified by EPFO from time to time for the period from 2015-2016 to 2021-2022, which have been objected by the Company.

2022-23 के दौरान, ईपीएफओ ने 16.1.2023 को सिंदरी में बैंक खाते को जब्त कर लिया है जिसमें 84.29 लाख रुपये की शेष राशि है, जिसे ईपीएफओ में अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील की गई है। अपीलीय प्राधिकारी ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है और अब एफसीआईएल ने माननीय उच्च न्यायालय रांची में मामला उठाया है। हालांकि कंपनी को केस जीतने का

During 2022-23, EPFO has seized the Bank account at Sindri on 16.1.2023 having a balance of Rs 84.29 lakh which has been appealed with appellate authority in EPFO. Appellate Authority has rejected the company's plea and now FCIL has taken up the matter in Hon'ble High Court Ranchi. Although company is confident for winning the case, but as an abundant precautionary measure the

9. विभिन्न लाइसेंस जारी करने के लिए आबकारी विभाग के पास गिरवी रखी गई 38.14 लाख रुपये की डाकघर पासबुकों/एनएससी को गिरवी रख दिया गया है और वसूली के दावे संबंधित पोस्ट मास्टर और सीनियर अधीक्षक को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसे अन्य वर्तमान परिसंपत्ति अनुसूची के तहत "डाकघर के साथ जमा" के रूप में दिखाया गया है।
9. Post Office Pass books /NSC's pledged with Excise Department amounting to Rs.38.14 lakhs for issuing different licenses has been de-pledged and claims for realization has been submitted to Concerned Post Master & Sr. Supdt. Of post, Dhanbad and are under process of settlement by them. It has been shown as "Deposit with post Office" under other current asset schedule.
10. वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने एमएसटीसी की ई नीलामी के माध्यम से सिंदरी यूनिट (रिकॉर्ड में दिखाई नहीं देने वाली वस्तु) में फ्लाई ऐश/बॉटम ऐश की बिक्री के लिए 902 लाख रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ "जैसा है जहां है" आधार पर 1307 लाख (पिछले वर्ष 1209 लाख रुपये) की बिक्री के लिए एक समझौता किया है। 31.03.2024 तक सफल बोलीदाता ने 2 किस्तों की राशि अर्थात् 876 लाख रुपये जमा की है जिसे अन्य आय के रूप में गिना गया है। तीसरी किस्त की राशि 431 लाख रुपये
10. During the year 2023-24 company has entered into an agreement for the sale of fly ash/bottom ash at Sindri Unit (Item not appearing in the record) through MSTC's E auction to the tune of 1307 Lakhs (Rs.1209 Lakhs previous year) on "As is where is" basis with a reserve price of Rs.902 Lakhs. Till 31.03.2024 the successful bidder has deposited amount of 2 instalments i.e. Rs.876 Lakhs which has been accounted for as other income. Amount of 3rd instalment Rs.431 Lakhs is due on 18.07.2024. Party has started to lift the material.

18.07.2024 को देय है। पार्टी ने सामग्री उठाना शुरू कर दिया है।

11. 15/09/2010 से 31/03/2015 तक बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए 31-03-2023 को 158.06 लाख रुपये की पुष्टि की गई देयता में से, क्योंकि उपयुक्त सरकार 15/09/2010 से राज्य सरकार से केंद्र सरकार में बदल गई थी, 152.75 लाख रुपये की वास्तविक राशि के चेक जारी किए गए थे, लेकिन 3.37 लाख रुपये (24 आवेदकों के लिए) राशि के चेक 31.03.2024 को भुगतान नहीं किए गए थे। 5.31 लाख रुपये (158.06-152.75) के अतिरिक्त प्रावधान को 2023-24 के दौरान "अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया" के रूप में वापस ले लिया गया था। श्रम न्यायालय धनबाद में चल रहे मामले को श्रमिकों द्वारा वापस ले लिया गया है।
11. Out of the confirmed liability of Rs.158.06 lakhs as on 31-03-2023 towards payment of arrear wages from 15/09/2010 to 31/03/2015 as the appropriate Govt changed from State Govt to Central Govt w.e.f. 15/09/2010, the cheques for actual amount of Rs.152.75 lakhs were released but cheques amounting Rs.3.37 lakh (for 24 applicants) remains unpaid on 31.03.2024. The excess provision of Rs.5.31 lakh (158.06-152.75) was withdrawn as "excess provision written back" during 2023-24. The case in labour court, Dhanbad has been withdrawn by the labourers.
12. सिंदरी इकाई में अनधिकृत रूप से कब्जे वाले क्वार्टरों के नियमितीकरण के लिए एक माफी योजना वर्ष के दौरान शुरू की गई थी, जिसके अनुसार अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनधिकृत कब्जेदारों को 21 साल के लिए लीज रेंट और शुल्क का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था, यानी जनवरी 2003 से दिसंबर 2023/जनवरी 2024 की अवधि के लिए 25% छूट का लाभ उठाने के लिए एक किस्त में या बिना छूट के तीन किस्तों में राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। 25% छूट के लिए पात्र 212 आवेदकों से 510 लाख रुपये की राशि और 5 अन्य आवेदकों से प्राप्त 18.02 लाख रुपये की राशि जो अग्रिम में प्राप्त राशि के रूप में रखी गई है। आवेदकों का विवरण पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के लिए सिंदरी और बलीपुर पुलिस स्टेशन के एसएसपी और डीएसपी को प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। अनुकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इन आवेदकों को पट्टा नियमित कर दिया जाएगा।
12. An amnesty scheme for the regularization of unauthorizedly occupied quarters at Sindri Unit was introduced during the year according to which unauthorized occupants fulfilling requisite requirements were given an option to pay lease rent and charges for 21 years i.e. for the period from January 2003 to December 2023/January 2024 in one instalment for availing 25% rebate or to pay the amount in three instalment without rebate. A sum of Rs.510 Lakhs from 212 applicants eligible for 25% rebate and Rs.18.02 Lakhs received from 5 other applicants which have been parked as amount received in advance. Details of the applicants are submitted to SSP and DSP of Sindri and Balipur police station for police verification report which is awaited. After receipt of favourable police verification report the lease will be regularised to these applicants.

13. As per the order dated 21.3.1997 of Hon'ble Supreme Court, the amount of Rs.30.00 lakhs was deposited with Bihar Govt. towards Education cess & Health Cess during the previous years which has been charged to expenses during the year. In view of stay granted by the Hon'ble Supreme Court and the matter being pending with constitution bench, further liability if any, is not ascertainable at this stage hence not provided in the books.
13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 21.3.1997 के आदेश के अनुसार, पिछले वर्षों के दौरान शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर के रूप में बिहार सरकार के पास 30.00 लाख रुपये की राशि जमा की गई थी, जिसे वर्ष के दौरान व्यय के रूप में चार्ज किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन और संविधान पीठ के समक्ष मामला लंबित होने के मद्देनजर, यदि कोई और देयता है, तो इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है, इसलिए पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
14. The Company Secretary of the company has resigned on 15th January 2024 & the company is in process of filling the post. The post of Company Secretary is vacant as on 31st March 2024.
14. कंपनी के कंपनी सचिव ने 15 जनवरी 2024 को इस्तीफा दे दिया है और कंपनी इस पद को भरने की प्रक्रिया में है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी सचिव का पद रिक्त है।

G. (i) Financial Ratios/
छ (i) वित्तीय अनुपात

S.N o.	Ratio अनुपात	Numerator अंश	Denominator हर	31-03-20 24	31-03-20 23	Variation विभिन्नता	Reason कारण
a.	Current Ratio वर्तमान अनुपात	Current Asset वर्तमान अनुपात	Current Liabilities वर्तमान देनदारियां	56.12	63.45	-11.55%	Due to Increase in current liabilities Towards deferral rent received चालू देनदारियों में वृद्धि के कारण प्राप्त आस्थगित
							किराए के लिए
b.	Debt Equity डेट इक्विटी	Total debt कुल ऋण	Shareholder Equity शेयरधारक इक्विटी	NA न.ए.	NA न.ए.	NA न.ए.	
c.	Debt Service Coverage ऋण सेवा कवरेज	Earnings before Interest, Dep & Taxes ब्याज, Dep & Taxes से पहले की कमाई	Interest & Principal repayments ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान	NA न.ए.	NA न.ए.	NA न.ए.	
d.	Return on Equity इक्विटी पर रिटर्न	Profit after Tax टैक्स के बाद लाभ	Average Shareholder Equity औसत शेयरधारक इक्विटी	0.05	0.07	-29%	Due to decrease in profits मुनाफे में कमी के कारण

f.	Trade Receivable प्राप्य व्यापार	Net Credit Sales शुद्ध क्रेडिट बिक्री	Average Trade Receivables औसत व्यापार प्राप्य	NA न.ए.	NA न.ए.	NA न.ए.	
g.	Trade Payable देय व्यापार	Net Credit Purchases नेट क्रेडिट खरीद	Average Trade Payables औसत व्यापार देय	NA न.ए.	NA न.ए.	NA न.ए.	
h.	Net Capital Turnover निवल पूंजी कारोबार	Net Sales शुद्ध बिक्री	Average Working Capital औसत कार्यशील पूंजी	NA न.ए.	NA न.ए.	NA न.ए.	
i.	Net Profit निव्वळ नफा	Net Profit निव्वळ नफा	Net Sales शुद्ध बिक्री	NA न.ए.	NA न.ए.	NA न.ए.	
j.	Return on Capital Employed नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	Earnings before Interest & Taxes ब्याज और करों से पहले की कमाई	Total Capital Employed नियोजित कुल पूंजी	0.07	0.11	-36.36%	Due to decrease in profits मुनाफे में कमी के कारण
k.	Return on Investment निवेश पर प्रतिफल	Net Profit निव्वळ नफा	Cost of Investment निवेश की लागत	0.05	0.06	-16.66%	Due to decrease in profits मुनाफे में कमी के कारण

(ii) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी के पास चालू और पिछले वर्ष की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(iii) जब्त बेनामी संपत्ति का विवरण

कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और इसलिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं थी, इसलिए कोई प्रकटीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) चालू परिसंपत्तियों के खिलाफ सुरक्षित उधार

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है; इसलिए इस तरह के किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(v) इरादतन चूककर्ता

कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थाओं/न्यायालयों द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(vi) कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी का उन कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत रद्द कर दिया गया है, इसलिए इस तरह के किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(vii) प्रभारों का पंजीकरण या कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ संतुष्टि

सांविधिक अवधि के बाद भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत की जाने वाली अथवा संतुष्ट कंपनियों के विरुद्ध कोई प्रभार नहीं लगाया गया है, इसलिए ऐसे किसी

(ii) Intangible Assets under development

The Company does not have any intangible assets under development during the current and previous year reporting period.

(iii) Details of Benami Property held

The Company does not hold any Benami Property and hence there were no proceedings initiated or pending against the Company for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and the Rules made thereunder, hence no disclosure is required to be given.

(iv) Borrowings secured against current assets

The Company does not have any borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets as at the date of the financial statements; hence no disclosure is required as such.

(v) Willful Defaulter

The company has not been declared to be a willful defaulter by any Banks/Financial Institutions/Courts.

(vi) Relationship with Struck off Companies

The Company does not have any transactions with Companies which are struck off under Section 248 of the Companies Act, 2013 or Section 560 of the Companies Act, 1956, hence no disclosure is required as such.

(vii) Registration of Charges or Satisfaction with Registrar of Companies (ROC)

There are no charges against the companies which are yet to be registered or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period, hence no disclosures are required as such.

प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(viii) कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन

कंपनी का किसी भी डाउनस्ट्रीम कंपनियों में निवेश नहीं है जिसके लिए उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन करना होगा, जिसे कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़ा जाएगा, इसलिए इस तरह के किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(ix) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग

1. कंपनी के पास विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्था (ओं) को न तो उन्नत और न ही उधार दिया गया है और न ही निवेश किए गए फंड (या तो उधार लिए गए फंड या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या फंड के प्रकार) इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किए गए हों या अन्यथा) कि मध्यस्थ करेगा;

क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (ओं) में उधार या निवेश करना या (बी) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करना। इसलिए किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

2. कंपनी को किसी भी व्यक्ति (ओं) या संस्था (यों) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्थाएं (फंडिंग पार्टियां) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा) कि कंपनी करेगी;

क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्था (ओं) में उधार देना या निवेश करना, जो किसी भी तरीके से या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) की ओर से पहचाना जाता है।

(viii) Compliance with number of layers of companies

The Company does not have investment in any downstream companies for which it has to comply with the number of layers prescribed under Clause (87) of Section 2 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017, hence no disclosure is required as such.

(ix) Utilization of Borrowed Funds and Share Premium

1. The Company has neither advanced nor loaned nor invested funds (either borrowed funds or Share premium or any other sources or kind of funds) to any other person (s) or entity (ies), including foreign entities (intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the intermediary shall;

(a) Directly or indirectly lent or invest in other person(s) or entity(ies) identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) Or (b) Provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries. Hence no disclosure is required as such.

2. The Company has not received any fund from any person(s) or entity (ies), including foreign entities (Funding Parties) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall;

(a) Directly or indirectly lend or invest in other person (s) or entity (ies) identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries)

ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें। इसलिए इस तरह के किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(b) Provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries. Hence no disclosure is required as such.

(x) अघोषित आय

कंपनी के पास ऐसी कोई अघोषित आय नहीं है जिसे खातों की बहियों में दर्ज नहीं किया गया था और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यपत या प्रकट किया गया हो जैसे कि तलाशी या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान। इसके अलावा, कंपनी के पास पहले से अलिखित आय और संबंधित संपत्ति नहीं है जिसे वर्ष के दौरान खातों की पुस्तकों में ठीक से दर्ज किया जाना आवश्यक था।

(x) Undisclosed Income

The Company does not have any undisclosed Income which was not recorded in the books of accounts and which has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 such as, search or survey or any other relevant provisions. Also the Company does not have previously unrecorded income and related assets which were required to be properly recorded in the books of accounts during the year.

(xi) क्रिप्टोकॉरेसी या वर्चुअल कॉरेसी का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है, इसलिए इसके लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

(xi) Details of Crypto Currency Or Virtual Currency

The Company has neither traded nor invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the financial year, hence disclosure requirements for the same is not applicable.

H. RELATED PARTY DISCLOSURES

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(I) Key Management Personnel for the year ended 31.03.2024 :

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए:

Sl.NO क्रम संख्या	Particulars विवरण	From से	To तक
1.	Smt Neeraja Adidam, Chairman&Managing Director (DIN -09351163) श्रीमती नीरजा आदिदम , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डिन - 09351163)	20-01-2022	31.03.2024
2.	Shri Padamsing P. Patil, Director (Finance) (DIN - 09747446) श्री पदमसिंह पी. पाटिल, निदेशक (वित्त) (डिन - 09747446)	26-09-2022	31.03.2024
3.	Smt Geeta Mishra, Director (DIN -09354822) श्रीमती गीता मिश्रा , निदेशक (डिन - 09354822)	29-09-2021	31.03.2024
4.	Shri Johan Topno, Director (DIN - 08758583) श्री जोहान टोपनो, निदेशक (डिन - 09354822)	20-04-2020	31.03.2024

(II) Joint Ventures Company where FCIL has equity stake

- 1) Ramagundam Fertilizers and chemicals limited. (RFCL)
- 2) Talchar Fertilizers Ltd. (TFL)
- 3) Hindustan Urvarak and Rasayan Ltd. (HURL)

(II) संयुक्त उद्यम कंपनी जहां एफसीआईएल की इक्विटी हिस्सेदारी है

- 1) रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल)
- 2) तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल)
- 3) हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)

During the year company raised bills amount Rs. 537.02 Lakh towards lease money and rent of quarters for the period upto 31.03.2024 on M/S HURL out of which Rs. 58.87 Lakh is outstanding as on 31.03.2024.

वर्ष के दौरान कंपनी ने मेसर्स एचयूआरएल पर 31.03.2024 तक की अवधि के लिए क्वार्टरों के लीज मनी और किराए के रूप में 537.02 लाख रुपये का बिल जारी किया, जिसमें से 31.03.2024 तक 58.87 लाख रुपये बकाया हैं।

I. SEGMENT REPORTING

In the absence of any manufacturing operation by the company during the year or in previous year, there are no separate segments to be reported.

I. खंड रिपोर्टिंग

वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष में कंपनी द्वारा किसी भी विनिर्माण कार्य की अनुपस्थिति में, रिपोर्ट करने के लिए कोई अलग खंड नहीं हैं।

J. Income Tax

In view of the non-operation of production activities at all the units of the company, there being no virtual certainty of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of INd-AS12 on Income tax, notified u/s 133 of the Companies Act, 2013.

J. आयकर

कंपनी की सभी इकाइयों में उत्पादन गतिविधियों के गैर-संचालन को देखते हुए, शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों के समायोजन की कोई आभासी निश्चितता नहीं होने के कारण, आईएनडी के प्रावधानों के संदर्भ में शुद्ध आस्थगित कर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है। - आयकर पर AS12, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित।

K. EARNING PER SHARE

प्रति शेयर कमाई

Basic Earnings Per Share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of shares outstanding for the period as under:-

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को इस अवधि के लिए बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार विभाजित करके की गई है: -

	2023-24	2022-23
Net profit for the year attributable to Equity shareholder – (Rs.in Lakh) इक्विटी शेयरधारक के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ – (Rs.in लाख)	3784.86	4682.16
No. Of Shares शेयरों की संख्या	75,09,239	75,09,239
Nominal Value per share (In Rs.) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रु. में)	1000.00	1000.00
Earning per Share : Basic (In Rs.): प्रति शेयर कमाई : मूल (रु. में):	50.40	62.35
Diluted (In Rs.) : द्रवीय (रु. में)	50.40	62.35

L. ADDITIONAL INFORMATION

अतिरिक्त सूचना

	As on 31.3.2024 31.3.2024 को स्थिति	As on 31.3.2023 31.3.2023 की स्थिति
Value of Import on CIF basis सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य	Nil शून्य	Nil शून्य
Expenditure in Foreign Currency विदेशी मुद्रा में व्यय	Nil शून्य	Nil शून्य
Raw Material s Consumption कच्चे माल की खपत	Nil शून्य	Nil शून्य
Store and Spares Consumption	Nil	Nil

स्टोर और स्पेयर खपत

शून्य

शून्य

M. As per Section 135 of the Companies Act 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) Committee has been formed by the Company.

As per the requirements of the Companies Act.2013(The Act) the Company was required to incur Rs 48.09 lakh in Financial Year 2023-24 which is paid to PM Relief Fund on 13-03-2024 hence no amount remains unspent during the financial year 2023-24.

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 48.09 लाख रुपये खर्च करने की आवश्यकता थी, जिसका भुगतान 13-03-2024 को पीएम रिलीफ फंड में किया जाता है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई राशि खर्च नहीं की जाती है।

The funds were primarily utilised throughout the year on the following activities which are specified in Schedule VII of the Act:-

निधियों का उपयोग मुख्य रूप से वर्ष भर निम्नलिखित गतिविधियों पर किया गया था जो अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट हैं: -

S.No	Particulars विवरण	Amount already spent पहले से खर्च की गई राशि	Amount to be spent खर्च की जाने वाली राशि	Total कुल
(i)	Construction/acquisition of any asset किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	
(ii)	On purposes other than (i) above (i) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर	48,09,000	-	48,09,000

N. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for) आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (के लिए प्रदान नहीं की गई सीमा तक)		
(I) Contingent liabilities आकस्मिक देनदारियां Claims against the Company not acknowledged as debt. Tax matters in dispute under appeal including possible interest कंपनी के खिलाफ दावा नहीं ऋण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अपील के तहत विवाद में कर मामले सहित संभावित ब्याज। Demand for Sales Tax बिक्री कर की मांग Demand for Property Tax संपत्ति कर की मांग Pending decision of Court / under Arbitration न्यायालय का लंबित निर्णय / मध्यस्थता के तहत Income Tax demand A.Y 18-19* आयकर मांग निर्धारण वर्ष 18-19* Income Tax demand A.Y 20-21 आयकर मांग निर्धारण वर्ष 20-21		
	2,434.71	2488.60
	16.64	16.64
	697.39	856.75
	9,747.65	5,698.17
	-	2,27,205.84

Income Tax demand A.Y 22-23** आयकर मांग निर्धारण वर्ष 22-23**	644.21	-
Income tax demand foreign Technicians*** आयकर मांग विदेशी तकनीशियन ***	19.14	19.14
Amount payable to Scrap dealer स्क्रेप डीलर को देय राशि	-	187.00
Demand from EPFO for deviation in investment pattern निवेश पैटर्न में विचलन के लिए ईपीएफओ से मांग।	-	91.05
Total Contingent liabilities कुल आकस्मिक देनदारियां	13,559.74	2,36,563.19
(II) Commitments प्रतिबद्धताओं		
(i) M/s. Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd. मेसर्स डेलॉइट टच तोहमात्सु इंडिया प्रा.	25.45	25.45
(ii) M/s. N.B.C.C. सुश्री। एन.बी.सी.सी.	4,356.02	4,765.69
Total Contingent liabilities कुल आकस्मिक देनदारियां	17,941.21	2,41,354.33

*Appeal has been filed with High Court

* उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है

** Appeal has been filed with CIT (Appeal)

** सीआईटी (अपील) के पास अपील दायर की गई है

*** It is Talcher Unit fee payable which is under dispute.

*** यह तलचर यूनिट शुल्क देय है जो विवादित है।

O. Previous year's figures have been regrouped / re- casted where ever found necessary so as to make them comparable to current years' figures.

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कभी आवश्यक पाया गया, पुन समूहित/पुन तैयार किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

(Rupees in lakhs)

186

निम्न के लिए समायोजन:-		
Increase/(decrease) in trade payables व्यापार देय में वृद्धि / कमी	(4.08)	(1.34)
Increase/(decrease) in provisions प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(66.57)	44.45
Increase/(decrease) long term liabilities दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	-	-
Increase/(decrease) in other current liabilities अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	2244.66	(333.88)
Increase/(decrease) in Non current Loans & Advances गैर-चालू ऋण और अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	-	-
Decrease/(Increase) in trade receivables व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	92.82	(108.57)
Decrease/(increase) in inventories माल-सूची में कमी/(वृद्धि)	-	-
Decrease/(Increase) in loans and advances ऋणों और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(33.39)	330.89
Decrease/(Increase) in other non-current assets अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी / वृद्धि	47.13	(1,120.35)
Decrease/(Increase) in other current assets अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / वृद्धि	(579.34)	(457.48)
Cash generated from Operations परिचालन से उत्पन्न नकदी	2004.93	313.42
Tax paid Paid/Refunds कर भुगतान / रिफंड	(1,629.00)	(1,354.32)
Net Cash Flow from Operating Activities ऑपरेटिंग गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	375.93	(1,040.90)
B Cash Flow from Investing Activities		
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Proceeds from sale of fixed assets/scrap अचल संपत्तियों/स्क्रेप की बिक्री से प्राप्त आय	881.59	1,218.51
Purchase of fixed assets अचल संपत्तियों की खरीद	(3.94)	(2.44)
Investment in CWIP सीडब्ल्यूआईपी में निवेश	(409.68)	-
Investments in FDR maturity more than 3 Months 3 महीने से अधिक परिपक्वता वाली एफडीआर में निवेश	(4,537.99)	(3,324.66)
Interest received प्राप्त ब्याज	3,444.10	2,835.97
Purchases of Non Current Investments	-	-

गैर चालू निवेश की खरीद		
Net Cash flow from Investing Activities		
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(625.92)	727.38
C Cash flow from Financing Activities		
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Proceeds from Equity Shares	-	-
इक्विटी शेयरों से आय	-	-
Redemption of Capital and Debentures	-	-
पूंजी और ऋणपत्रों का मोचन	-	-
Interest/ Dividend Paid	-	-
ब्याज/लाभांश भुगतान	-	-
Net cash from Financing Activities		
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद	-	-
Net Increase /decrease in Cash & Cash equivalents(A+B+C)	(249.99)	(313.52)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / कमी (ए + बी + सी)		
Opening Cash & Cash equivalent	394.76	708.28
नकद और नकद समकक्ष प्रारम्भ में		
Closing Cash & Cash equivalent	144.77	394.76
क्लोजिंग कैश और कैश समतुल्य		
Reconciliation of Cash & Cash equivalent		
नकद और नकद समकक्ष का समाधान		
Balance with banks in		
Current accounts	143.60	241.45
बैंकों के चालू खाते में शेष राशि		
Flexi Deposit Account	-	150.00
फ्लेक्सि डिपॉजिट अकाउंट		
Cash in hand	1.17	3.30
हाथ में नकद		
Cash & Cash Balance as per Balance Sheet		
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद शेष	144.77	394.75
<p>1. Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in the Indian Accounting Standard 7 on Cash Flow Statements. Cash and cash equivalents in the Cash Flow Statement comprise cash at bank and in hand, demand deposits and cash equivalents which are short-term and held for the purpose of meeting short-term cash commitments</p> <p>भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है में निर्धारित किया गया है। नगद प्रवाह विवरण में नकद और नकद समकक्षों में बैंक और हाथ में नकदी, मांग जमा और नकद</p>		

As per our report of even date

sd/-
(S.S Shekhawat)
एसएस शेखावत
Officer on Special Duty
विशेष कार्य अधिकारी
DIN: 09351163
डिन : 09351163

sd/-
(Naresh Arya)
नरेश आर्य
Director (Finance)
निदेशक (वित्त)
DIN: 10627329
डिन : 10627329

sd/-
(Neeraja Adidam)
नीरजा अदिदम
Chairman & Managing Director
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09351163
डिन : 09351163

for M.Verma & Associates
हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम.वर्मा & एसोसिएट्स के लिए
Chartered Accountants
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN - 501433C
एफआरएन - 501433सी

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date: 08.08.24
तिथि : 08.08.24

sd/-
Mohender Gandhi
मोहेन्द्र गांधी
Partner
हिस्सेदार
M.No. 088396
UDIN: 24088396BKFXCG8651
यूडीआईएन: 24088396BKFXCG8651



दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)
CIN : U74899DL1961GOI003439